शुक्रवार,
२८ अगस्त, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

शुक्रवार, २८ अगस्त, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

शिल्पिक प्रशिक्षण केन्द्र

*८८४. **प्रो० डी० सी० शर्मा:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रम मंत्रालय शिल्पिक प्रशिक्षण केन्द्र किन किन विश्वविद्यालयों के साथ संलग्न है; तथा

(ख) वहां किस प्रकार का कार्य हो रहा है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) यूं तो कोई शिल्पिक प्रशिक्षण केन्द्र किसी विश्वविद्यालय से संलग्न नहीं, परन्तु एक केन्द्र जिस का नाम उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र बनारस है जो कर्मशाला की सुविधाओं के लिए बनारस विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कालेज के साथ संलग्न है।

(ख) इस केन्द्र में ड्राफ्ट्समैन (मैकेनिक), इलैक्ट्रीशियन, लाईनमैन, तथा वायरमैन, मशीनिस्ट, मैकेनिक (आई-सी इंजिन), मोल्डर, टरनर, ओवरसीयर, फिटर, ड्राफ्ट्समैन सिविल, तथा इंजन ड्राईवर (भाप) के कार्य सिखाए जाते हैं।

श्री ए० एम० टामस: मैं जान सकता हूं कि क्या ये प्रशिक्षण की सुविधायें केवल विश्वविद्यालय के छात्रों को दी जाती हैं अथवा अन्य लोगों को भी ?

श्री आबिद अली : केवल बाहर के लोगों के लिए।

प्रो० डी० सी० शर्मा: श्रीमान, मैं जान सकता हूं कि क्या भारत के अन्य विश्वविद्यालयों में भी ऐसे केन्द्र बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

श्री आबिद अली : श्रीमान्, जैसा कि माननीय सदस्य को विदित होगा यह विषय शिवा राव समिति को निर्दिष्ट किया गया है। उन का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर न केवल वर्तमान केन्द्रों में प्रशिक्षण के प्रश्न पर वरन् नये केन्द्रों के सम्बन्ध में भी निर्णय किया जाएगा।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: श्रीमान्, क्या यह सत्य नहीं है कि श्रम मंत्रालय के अधीन इस शिल्पिक प्रशिक्षण में डिग्री प्रशिक्षण अथवा डिप्लोमा प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है ?

श्री आबिद अली: श्रीमान्, यह केवल २ वर्ष का प्रशिक्षण है और हम प्रमाणपत्र देते हैं।

श्री बी० के० दास: मैं जान सकता हूं कि इस प्रशिक्षण केन्द्र पर वार्षिक कुल व्यय क्या होता है ?

श्री आबिद अली : १९५१–५२ में ७९,९०० रुपये था।

श्री एन० एम० लिंगम : श्रीमान्, क्या मैं सेवा योजनालय के अधीन प्रशिक्षण केन्द्रों और उन में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या जान सकता हूं ?

श्री आबिद अली : कुल प्रशिक्षण केन्द्र ६१ हैं, प्रशिक्षणार्थियों की संख्या के आंकड़े मेरे पास यहां नहीं हैं ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : इस तथ्य के आधार पर कि विश्वविद्यालय डिग्री पाठ्यक्रम की व्यवस्था करते हैं क्या सरकार इन्हें ऐसे स्थानों पर आरम्भ करने की वांछनीयता पर विचार करेगी जहां विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिए सुझाव है ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : मैं जान सकता हूं कि क्या श्रम मंत्रालय ऐसे व्यक्तियों के आंकड़े रखता है जिन्होंने वहां प्रशिक्षण प्राप्त किया और जिन्हें लाभदायक नौकरी मिल चुकी है ?

श्री आबिद अली : श्रीमान्, उन्हें समीपतम सेवा योजनालय में नाम दर्ज करवाने का परामर्श दिया जाता है और उन्हें लगाने के आवश्यक प्रयत्न किये जाते हैं । मैं समझता हूं कि उन में से अधिकतम लग चुके हैं । परन्तु मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

देहली तथा हरिद्वार के बीच गाड़ियों में भीड़

*८८५. **श्री दाभी :** (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि देहली और हरिद्वार के बीच चलने वाली गाड़ियों में बहुत भीड़ होती है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो सरकार इस भीड़ को दूर करने के लिए क्या पग उठाने का विचार रखती है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) देहली तथा हरिद्वार के बीच मसूरी तथा देहरादून एक्सप्रैस गाड़ियों के तीसरे तथा डयोढ़ा दर्जा की श्रेणियों में कुछ भीड़ देखी गई थी ।

(ख) जून के आरम्भ में हरिद्वार और देहली के बीच एक अतिरिक्त सवारी गाड़ी चलाई जा चुकी है और इस के फलस्वरूप भीड़ की स्थिति पहले ही सुधर चुकी है ।

श्री दाभी : श्रीमान्, क्या इस तथ्य के आधार पर कि हरिद्वार एक तीर्थ स्थान है और सदा वहां जाने वाली सवारियों की भीड़ रहती है, क्या सरकार द्वारा भीड़ दूर करने के लिए उठाये गये पग पर्याप्त हैं ?

श्री शाहनवाज खां : साधारणतया जब धार्मिक त्योहार होते हैं तो बहुत भीड़ होती है और सरकार को यह विदित है और वह उपयुक्त पग उठाती है ।

श्रीमती ए० काले : क्या सरकार को यह विदित है कि सारे भारत में तीसरे तथा डयोढ़े दर्जों में बहुत भीड़ होती है और तीसरे तथा डयोढ़े दर्जों के वे लोग हैं जो रेल को सब से अधिक धन राशि देते हैं ?

श्री शाहनवाज खां : हां श्रीमान्, हमें यह पूर्णतः विदित है ।

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : श्रीमान्, मैं यह भी कह दूं कि हाल में स्थिति को बहुत सुधारा गया है ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : मैं जान सकता हूं कि स्थानीय स्टेशन के कर्मचारियों के लिए यह संभव क्यों नहीं कि वे बहुत भीड़ के समय अतिरिक्त एक अथवा दो डिब्बे लगा दें ?

श्री शाहनवाज खां : जहां आवश्यकता होती है ऐसा किया जाता है ।

कुमारी एनी मस्करीन : श्रीमान्, मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार को यह विदित है कि भारत में सब जगह तीसरे दर्जे

में बहुत भीड़ होती है और क्या सरकार ने यात्रिक जनता को सहायता देने के लिये कोई पग उठाये हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : श्रीमान्, मैं पहले इस का उत्तर दे चुका हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न देहली और हरिद्वार के बीच का है। हम सारे भारत की ओर निर्देश कर रहे हैं वह प्रश्न भी पहले श्रीमती काले ने किया है।

कुमारी एनी मस्करीन : श्रीमान्, उन्होंने उत्तर नहीं दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि उत्तर नहीं दिया गया था मैं प्रत्येक माननीय सदस्य को प्रश्न पूछने की अनुज्ञा दे दूं ?

कुमारी एनी मस्करीन : श्रीमान्, वह प्रश्न डयोढ़ा दर्ज़े के सम्बन्ध में था।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तीसरा तथा डयोढ़ा दोनों दर्ज़ों के सम्बन्ध में था।

आगरा काठगोदाम गाड़ी का पटरी से उतरना

*८८६. **सरदार ए० एस० सहगल :** (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि आगरा-काठगोदाम सवारी गाड़ी ३१ मई १९५३ को अचनेरा स्टेशन के पास लाईन से नीचे उतर गई थी ?

(ख) कितनी सवारियों को चोटें आईं और उन में से कितने मर गये ?

(ग) गाड़ी के लाईन से उतरने के क्या कारण थे ?

(घ) इस दुर्घटना के कारण सरकार को कितनी हानि हुई ?

(ङ) क्या कोई जांच की गई और यदि हां, तो उस के क्या परिणाम हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) ३१ मई १९५३ को अचनेरा स्टेशन के पास आगरा-काठगोदाम सवारी गाड़ी लाईन से नीचे नहीं उतरी जैसा कि प्रश्न में कहा गया है परन्तु ३२० डाउन अहमदाबाद आगरा ऐक्सप्रेस गाड़ी के इंजन से चौथा, पांचवां और सातवां डिब्बा ३१ मई १९५३ को ७.२६ पर अचनेरा स्टेशन के यार्ड में लाइन से उत्तर गए थे।

(ख) किसी को चोट नहीं आई और न ही कोई मारा गया।

(ग) तथा (ङ). ज़िला रेल अधिकारियों की एक समिति ने दुर्घटना की जांच की। दुर्घटना का कारण अभी अन्तिम रूप से निश्चित नहीं किया गया।

(घ) रेलवे सम्पत्ति की क्षति का अनुमानतः मूल्य २२५ रु० है।

कृषि विस्तार प्रशिक्षा केन्द्र

*८८७. **श्री के० पी० सिन्हा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि भारत सरकार के खर्च पर हिमाचल प्रदेश में कृषि वृद्धि प्रशिक्षण केन्द्र आरम्भ किया जा रहा है अथवा किया जा चुका है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : हां, मशोबरा हिमाचल प्रदेश में एक कृषि वृद्धि केन्द्र खोला गया है। इस केन्द्र का खर्च भारत सरकार, शिल्पिक सहकारी प्रशासन, फोर्ड फौंडेशन, तथा हिमाचल प्रदेश सरकार करेंगी।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या मैं प्रशिक्षण की कालावधि तथा प्रकृति जान सकता हूं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह प्रशिक्षण केन्द्र सामुदायिक परियोजनाओं को आदमी देने और उन का निरीक्षण करने के लिए ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के प्रयोजन से स्थापित किया गया है।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं इस केन्द्र में वार्षिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों की संख्या पूछ सकता हूं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह केन्द्र १५ जून को खोला गया है और वहां ४० कार्यकर्ता प्रशिक्षित किए जा चुके हैं ।

श्री एस० एन० दास : मैं इस संगठन की प्रशिक्षण की क्षमता जानना चाहता हूं । प्रति वर्ष कितने व्यक्ति प्रशिक्षित किए जायेंगे ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इस केन्द्र में ४० व्यक्ति ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या और स्थानों पर भी ये केन्द्र खोले जा रहे हैं ?

श्री म० वी० कृष्णप्पा : सारे देश में कई ऐसे केन्द्र हैं ।

श्री के० पी० सिन्हा : मैं जान सकता हूं कि क्या इन प्रशिक्षणार्थियों को आधुनिक खेती बाड़ी के वैज्ञानिक ढंग के सम्बन्ध में कोई प्रशिक्षण दिया जाता है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : उन्हें कृषि सम्बन्धी सहकारिता, पंचायत, ग्रामीण गृह व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता स्वास्थ्य विज्ञान, पशुपालन, तथा मीन कृषि इत्यादि की शिक्षा दी गई है ।

श्री बर्मन : प्रशिक्षण का काल क्या है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : ६ मास ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : इस छोटे काल में यह सब पाठ्य क्रम कैसे पूर्ण हो जाता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जाएं और देखें ।

श्री अच्युतन : मैं जान सकता हूं कि क्या यह प्रशिक्षण थोड़े समय में ही दिया जाता है अथवा लम्बे काल के लिए कोई और प्रशिक्षण होगा और छात्रों को क्या छात्रवृत्ति दी जाती है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रकार का प्रशिक्षण केन्द्र है और उन्हें वहां ६ मास में प्रशिक्षित किया जाता है । फिर उन्हें सामुदायिक परियोजना केन्द्रों के अविधायक अधिकारी के अधीन रखा जाता है और वे वहां सेवा कर रहे हैं ।

बेकारी

*८८८. **श्री राधा रमण :** (क) क्या श्रम मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार विभिन्न राज्यों में वर्ष प्रति वर्ष सेवा योजनाओं द्वारा शिक्षित बेकार व्यक्तियों के आंकड़े एकत्र कर रही है ?

(ख) यदि ऐसा है तो उन की राज्य अनुसार क्या संख्या है ?

(ग) गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष के आंकड़े क्या हैं ?

(घ) सरकार इस संख्या को कम करने के लिए और क्या पग उठाने का विचार रखती है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) शिक्षित लोगों (दसवीं पास तथा बी० ए०) जिन के नाम सेवा योजनाओं में दर्ज हैं, के आंकड़े मई १९५३ से एकत्र किए जा रहे हैं ।

(ख) तथा (ग). मई १९५२ के अन्त और जून १९५३ के अन्त की स्थिति की तुलना करने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४१[६]] (ख) तथा (ग) सेवा योजनाओं के आंकड़ों में लगभग ३२,००० की वृद्धि हुई है जो नौकरी ढूंढ रहे हैं और जिन में ३०,००० दसवीं पास और २,००० बी० ए० हैं ।

(घ) शिक्षित बेकारों के लिए नौकरी के साधन ढूंढने के हेतु योजना आयोग सक्रिय

विचार कर रहा है और उस ने पहले ही राज्य सरकारों को लिखा है कि वे संभव कार्य प्रणाली बनाएं ।

श्री सी० डी० पांडे : क्या सरकार को विदित है कि अधिकतर व्यक्ति सेवा योजनालयों में नाम नहीं लिखाते, अतः उन के आंकड़ों को बेकार व्यक्तियों के सही आंकड़े नहीं मानना चाहिए ?

श्री आबिद अली : वास्तव में, हम यह जानते हैं कि सारे बेकार व्यक्ति सेवा योजनालयों में नाम नहीं लिखाते हैं ।

श्री राधा रमण : देश में बेकारी की वास्तविक स्थिति का पता लगाने की दृष्टि से क्या अन्य क्षेत्रों में केन्द्र स्थापित करने के लिए सरकार की कोई योजना है ?

श्री आबिद अली : इन योजनालयों की स्थापना बेकारी का पता लगाने के लिए नहीं की जाती । योजनालयों का उद्देश्य बेकार व्यक्तियों के लिए काम ढूंढना है ।

श्री पी० सी० बोस : सेवा योजनालयों में जिन उम्मीदवारों के नाम लिखे हुए हैं क्या वे सब बेकार हैं, अथवा उन में से कुछ व्यक्ति कुछ काम करते हैं ?

श्री आबिद अली : उन में से अधिकतर नाम लिखाते समय यही कहते हैं कि वे बेकार हैं ।

श्री पी० सी० बोस : कितने प्रतिशत व्यक्तियों को काम मिलने की आशा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हों ने बताया था कि अधिकतर व्यक्ति बेकार हैं ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या सरकार इस सम्बन्ध में एक व्यापक विवरण देने की स्थिति में है कि वह इस समस्या को कैसे सुलझायेगी ?

श्री आबिद अली : जैसा कि मैं बता चुका हूं इस सम्बन्ध में उठाये जाने वाले पगों के बारे में योजना आयोग ने राज्य सरकारों को पहिले ही चिट्ठियां भेज दी हैं ।

श्रीमती ए० काले : मैं जान सकती हूं कि क्या बेकार व्यक्तियों में स्त्रियां भी सम्मिलित हैं ?

श्री आबिद अली : हां, श्रीमान्, बहुत सी ।

श्री जयपाल सिंह : क्या यह सत्य है कि बिहार राज्य के जमशेदपुर में इस्पात कम्पनी का स्वयं अपना सेवायोजनालय है ?

श्री आबिद अली : कुछ उद्योगों में ऐसे विभाग हैं जो उन व्यक्तियों की नामावली आदि रखते हैं जिन की उन्हें निकट भविष्य में आवश्यकता हो सकती है ।

कुमारी एनी मस्करीन : श्रीमान्, मैं जान सकती हूं कि देश में प्रशिक्षित परिचारिकाओं के बेकार रहते हुए, सरकार अमरीका तथा अन्य देशों से परिचारिकाओं को बुलाकर टी० सी० ए० के आधार पर जो केवल उद्योगों के लिए है, क्यों नौकरी देती है ?

श्री आबिद अली : हम बाहर से किसी को नहीं बुलाते.....

कुमारी एनी मस्करीन : यदि मैं आप को प्रमाण दूं ?

श्री आबिद अली : मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि केवल टैक्निकल या वैज्ञानिक कार्यों के लिए आवश्यक विशेषज्ञों को ही विदेशों से बुलाया जाता है न कि ऐसी परिचारिकाओं को जिन का उल्लेख माननीय सदस्या ने किया ।

कुमारी एनी मस्करीन : मैं सिद्ध कर सकती हूं कि थोड़ी योग्यता के व्यक्तियों को भी यहां लाया जा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या, कृपा कर के मन्त्री महोदय को सूचना देंगी ।

श्री सारंगधर दास : क्योंकि बेकारी की समस्या इतनी गम्भीर है और देश में चारों ओर से सूचनायें प्राप्त हो रही हैं, क्या बेकार तथा अल्प-व्यवसाय प्राप्त व्यक्तियों की संख्या निश्चित रूप से जानने के लिए सरकार की कोई योजना है ?

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा प्रतीत होता है कि सदन के सम्मुख एक संकल्प है ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : माननीय मन्त्री ने अभी यह बताया था कि काम दिलाऊ दफ्तरों का कार्य बेकार व्यक्तियों के आंकड़े एकत्रित करना नहीं है । फिर, स्थाई बेकारी तथा अन्तरित बेकारी के पूर्ण तथा सही आंकड़े एकत्रित करने के लिए कौन कौन अन्य ढंग अपनाये जाते हैं ?

श्री आबिद अली : एक प्रश्न पूछा गया था कि बेकारी की स्थिति का पता लगाने की दृष्टि से क्या हम अन्य क्षेत्रों में दफ्तर खोलेंगे या नहीं । उस का मैं ने यह उत्तर दिया था कि काम दिला कर दफ्तरों का मुख्य कार्य उन के द्वारा काम पाने वालों के लिए काम ढूंढना है ।

श्री पुन्नूस : त्रावंकोर-कोचीन राज्य में बेकार व्यक्तियों की संख्या २,८८९ से बढ़ कर ५,५८० हो गई है । मैं आशा करता हूं कि यह प्रतिशत भारत में सब से अधिक है । श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि स्कूल की अन्तिम परीक्षा, बी० ए०, तथा अन्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कम करने के लिए योजना आयोग, या भारत सरकार या अन्य किसी ने कोई अनुदेश दिये हैं—जैसा कि हाल की परीक्षाओं के परिणामों से विदित होता है जिन में केवल १८ या २० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं ?

श्री आबिद अली : योजना आयोग ने जो चिट्ठी भेजी है उस में त्रावंकोर-कोचीन राज्य भी सम्मिलित हैं ।

श्री जयपाल सिंह : क्या श्रम मंत्रालय द्वारा चलाये जाने वाले काम दिलाकर दफ्तरों तथा रक्षा मन्त्रालय के अन्तर्गत काम करने वाली सैनिक, नाविक, तथा वायु-सैनिक परिषदों के बीच कोई समन्वय है ? यदि उत्तर स्वीकारात्मक है, तो उस के परिणाम क्या हैं ?

श्री आबिद अली : मैं इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहता हूं ।

श्री गिडवानी : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को शिक्षित बेकार व्यक्तियों में से किसी की आत्म हत्या करने की सूचना मिली है ?

श्री एस० एन० दास : १९५२ में कितने काम दिलाऊ दफ्तर काम कर रहे थे और वर्तमान संख्या क्या है ?

श्री आबिद अली : सौ से अधिक ।

श्री एस० एन० दास : क्या कोई वृद्धि या कमी हुई है ?

श्री आबिद अली : कोई वृद्धि या कमी नहीं हुई है ।

मूल फार्म केन्द्र

*८८९. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृत्रिम गर्भाधान द्वारा गाय, बैल तथा भैंस की नस्ल सुधारने के लिए भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के अन्तर्गत अब तक कितने मूल फार्म खोले गये हैं ;

(ख) प्रत्येक केन्द्र में कितने प्रशिक्षित कर्मचारी हैं; तथा

ग) संसार के अन्य देशों में, मुख्यतः अमरीका में, प्राप्त परिणामों की अपेक्षा यह कृत्रिम गर्भाधान का ढंग भारत में कैसा काम कर रहा है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) तथा (ख). एक विवरण जिस में अपेक्षित सूचना दी गई है, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४२]** इन केन्द्रों को केन्द्रीय सरकार से भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा नहीं अपितु प्रत्यक्ष रूप से वैत्तिक सहायता मिलती है ।

(ग) क्रियात्मक रूप से कृत्रिम गर्भाधान का ढंग भारत में हाल में ही अपनाया गया है । अब तक प्राप्त हुए परिणाम अन्य देशों के परिणामों की तुलना में अच्छे हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि निकट भविष्य में सरकार मुख्य गांवों में कृत्रिम गर्भाधान के लिए अधिक से अधिक कितने केन्द्र खोलना चाहती है और क्या सरकार उन केन्द्रों को सामूहिक योजनाओं के क्षेत्र में खोलेगी ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : १९५१–५२ के अन्त में जब हम ने योजना आरम्भ की थी, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र तथा मूल गांवों की हमारी निश्चित संख्या क्रमशः १५० तथा ६०० थी । अब हमारे ९६ कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र हैं और इस वर्ष हम लगभग ३१ कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र और २९३ मुख्य गांव खोलना चाहते हैं ।

सेठ गोविन्द दास : कृत्रिम गर्भाधान के मामले में क्या इस बात का ध्यान रक्खा जा रहा है कि जो नस्लें बनाई जायें वह इस प्रकार की बनाई जायें जिस से खेती के बैल भी अच्छे हों और गायें भी अच्छी हों ? कुछ नस्लें ऐसी हैं जिन में सिर्फ़ गाय अच्छी होती हैं और कुछ ऐसी हैं जिन में सिर्फ़ बैल ही अच्छे होते हैं ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : दूध देने वाले तथा न देने वाले पशुओं की ओर ध्यान दिया गया है ।

श्री एम० खुदा बख्श : कृत्रिम रूप से गर्भाधारण करने वाले पशुओं में से कितने प्रतिशत सामान्य गर्भधारण करते हैं और बछड़ों को जन्म देते हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह कहा जाता है कि, अनुपाततः प्राकृतिक वीर्याधान के अनुसार पशु के सन्तोष के लिए दो बातों की आवश्यकता होती है । कृत्रिम वीर्यधान का परिणाम ६० से ७५ प्रतिशत तक सफल होता है । अर्थात् यह प्राकृतिक वीर्यधान की अपेक्षा अधिक फलदायक है ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या पशु संरक्षा समिति की सारी सिफ़ारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं ? यदि नहीं, तो, अन्य सिफ़ारिशें क्यों छोड़ दी गई हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

श्री मुनिस्वामी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि कृत्रिम गर्भाधान के प्रश्न पर विचार करने के लिए इस विभाग के प्राधिकारियों का एक सम्मेलन हाल में ही हुआ था ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हाल में ही एक सम्मेलन हुआ था ।

श्री एम० डी० रामस्वामी : मद्रास राज्य में कितने केन्द्र खोले गये हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मद्रास में लगभग आठ कृत्रिम गर्भाधान के केन्द्र हैं और प्रत्येक केन्द्र चार मूल गांवों से सम्बद्ध है । हुसूर, नाईडूब्रुलू, अम्मनब्रुलू, लंगायम, वैल्लाकूल, चिनचोना, वलपरई, ज़िला क्विम्बेटोर, तथा इमयाकोट में एक एक केन्द्र है ।

श्री पुन्नूस : पटल पर रखे विवरण से मुझे पता लगता है कि ये केन्द्र अधिकतर कस्बों में खोले गये हैं, कम से कम राज्य के

उस भाग में तो ऐसा ही है जहां मैं रहता हूं। भारत सरकार ने इन केन्द्रों को आर्थिक सहायता दी है, अतः क्या वह यह देखेगी कि इन केन्द्रों से गांव वालों को भी लाभ होता है या नहीं।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इन केन्द्रों में से ९९ प्रतिशत केवल गावों में ही खोले जाते हैं। प्रत्येक केन्द्र से हम ने चार गांव सम्बद्ध किये हैं और प्रत्येक गांव में हमारे ५०० पशु हैं। उस क्षेत्र में हम ने घूमने वाले सांडों को बधिया कर दिया है और गर्भोत्पादक सांडों की व्यवस्था कर दी है।

टिड्डियों की रोकथाम

***८९०. सरदार ए० एस० सहगल:** (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३–५४ में टिड्डियों की रोक-थाम पर सरकार क्या व्यय करेगी?

(ख) टिड्डी विभीषिका को कम करने के लिए राज्य सरकारें किस प्रकार सहायता कर रही हैं?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) यह विचार किया जाता है कि चालू वित्तीय वर्ष में भारत सरकार ९ लाख रु० टिड्डी सूचना संघ पर और १४ लाख रु० राजस्थान, सौराष्ट्र, बम्बई, कच्छ तथा पैप्सू के अनुसूचित मरुस्थल के उन क्षेत्रों में, जहां टिड्डी उत्पन्न होती है, समन्वयकृत टिड्डी नियन्त्रण योजना पर व्यय करेगी। द्वितीय धन राशि लाभ उठाने वाले राज्यों से स्वीकृत आधार पर पुनः प्राप्त की जायेगी।

(ख) क्षति उठाने वाले राज्यों के अपने अपने कृषि क्षेत्रों में टिड्डी विभीषिका का सामना करने के लिए अपने टिड्डी विरोधक संघ हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई समन्वयकृत टिड्डी विरोधी योजना में भी वे चन्दा देते हैं।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या मैं उस अनुसूचित मरुस्थल का क्षेत्रफल जान सकता हूं जहां भारत सरकार प्रत्यक्षतः कार्यवाही करती है और उन क्षेत्रों का क्षेत्रफल क्या है जहां राज्य सरकारें कार्यवाही करती हैं?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : वर्ग मीलों के रूप में मेरे पास क्षेत्र के आंकड़े नहीं हैं, परन्तु अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्र राजस्थान, सौराष्ट्र, बम्बई, कच्छ तथा पैप्सू में हैं।

श्री एन० एन० लिंगम : टिड्डी से प्रायः क्षति उठाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : वर्ग मील बताने के लिए मैं पूर्व सूचना चाहता हूं।

श्री बर्मन : क्या यह सत्य है कि चन्दा देने वाले राज्य केन्द्र को अपना चन्दा नहीं दे रहे हैं और यदि ऐसा है तो सरकार क्या पग उठाने का विचार कर रही है?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : वे दे रहे हैं।

श्री मुनिस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या इन टिड्डी विरोधी कार्यवाहियों में वायुयानों का प्रयोग होता है?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हां, दो वायुयान हैं जो हमें टी० सी० ए० से मिले हैं और उन का प्रयोग अत्यधिक टिड्डी आने के काल––जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर––में प्रयोग होता है।

श्री पुरुषोत्तम : क्या सरकार को यह विदित हो गया है कि गोरैया प्रकार की चिड़िया टिड्डयों को अधिक खाती है?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : इस ने राजस्थान में सफलतापूर्वक काम किया है।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : आज के समाचारपत्र में 'बया' चिड़िया के बारे में कुछ

लेख है। मुझे बताया गया है कि यह पर्याप्त मात्रा में टिड्डी विरोधी कार्य कर रही है।

डाकघरों के लिये मकान

*८९१. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या संचरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में, किराये के मकानों में रखे गये डाकघरों की संख्या कितनी है ;

(ख) डाक तार विभाग को प्रति वर्ष इन मकानों पर कितना किराया देना पड़ता है;

(ग) क्या सरकार उपलब्ध भूमि पर, डाकघरों के लिये अपने मकान बनाने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ? और

(घ) यदि हां, तो क्या इन डाक विभागीय मकानों के लिये योजनायें बनाई गई हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) भारत में, किराये के मकानों में रखे गये डाकघरों की कुल संख्या ४,७०२ है।

(ख) डाक तार विभाग को प्रति वर्ष इन मकानों के लिये २१,५५,९२० रुपये का किराया बिल चुकाना पड़ता है।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या भविष्य में डाकघरों के मकान बनाने के लिये सरकार ने कोई निश्चित योजना तैयार की है ? यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि किन विविध डाकघरों के बनाने में प्राथमिकता दी जायेगी ?

श्री राज बहादुर: प्रश्न के उत्तर के (घ) भाग की ओर मैं माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं बिना देखे यह नहीं बता सकता कि किन किन डाकघरों को किस क्रम में प्राथमिकता दी गई है।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या यह सच नहीं है कि योजना आयोग को इस बात का संदेह हुआ था कि डाकघरों में काम बहुत हद तक बढ़ गया है, और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिये कितनी धन राशि नियत की गई है, तथा क्या कोई अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है ?

श्री राज बहादुर : डाकघरों, आर० एम० एस० (डाकघरों), व्यवस्थापक कार्यालयों, रहने के मकानों, आदि के लिये नये मकानों की व्यवस्था करने के लिये पांच-वर्षीय योजना में २,५०,००,००० रुपये की राशि उपबन्धित की जा चुकी है।

कुमारी एनी मस्करीन: मैं जान सकती हूं कि क्या भारत के किसी भाग में की जनता ने डाकघरों और तारघरों के लिये मकानों की भेंट की है ?

श्री राज बहादुर : जनता ने नहीं, बल्कि एक-दो औद्योगिक सार्थों ने उक्त विभाग के लिये मकान बनाने की भेंट रखी थी।

श्री गिडवानी: क्या यह सच है कि दिल्ली का एक शाखा-डाकघर एक सीढ़ी के नीचे के आले में स्थापित किया गया है ?

श्री राज बहादुर: दिल्ली में तो बहुत से डाकघर हैं। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य किस विशेष डाकघर की ओर निर्देश कर रहे हैं ?

श्री वीर स्वामी: क्या मैं जान सकता हूं कि मद्रास राज्य में ग़ैर-सरकारी मकानों में स्थापित डाकघरों की संख्या कितनी है ?

श्री राज बहादुर: मेरे पास राज्यवार या हलकावार आंकड़े नहीं हैं।

श्री नानादास: मैं जान सकता हूं कि क्या इन में से कई डाकघर हरिजन बस्तियों में स्थापित किये गये हैं?

श्री राज बहादुर: बहुत से।

श्री ए० एम० टामस: मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री द्वारा दिये गये आंकड़ों में, दो हज़ार के लिये एक, वे डाकघर भी सम्मिलित हैं जो पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खोले जा चुके हैं?

श्री राज बहादुर: यह तो सर्वोपरि आंकड़ा है। माननीय सदस्य इस बात को समझ सकेंगे कि उन शाखा डाकघरों, विशेषतया अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों के लिये मकानों की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है जो किसी विशेष योजना के आधार पर खोले जाते हैं।

श्री एस० एन० दास: क्या प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर के आधार पर मैं यह जान सकता हूं कि चालू वर्ष का कार्यक्रम क्या है?

श्री राज बहादुर: रहने के क्वार्टरों और आर० एम० एस० (डाकघरों) के लिये मकान बनाने के अतिरिक्त बारह डाकघरों के लिये मकान बनाये जायेंगे।

श्री यू० एम० त्रिवेदी: मैं जान सकता हूं कि क्या उक्त योजना में पोस्टमास्टरों तथा क्लर्कों के लिये रहने के मकान बनाने की योजना भी सम्मिलित है?

श्री राज बहादुर: श्रीमान्, मैं तो पहले ही इस बात का उत्तर दे चुका हूं।

खड़गपुर स्थित रेलवे हाई स्कूल का हाता

*८९२. **श्री एस० सी० सामन्त:** (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि खड़गपुर स्थित रेलवे हाई स्कूल के हाते में रात में कोढ़ी रहा करते हैं?

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त स्कूल के कई चपरासियों को कोढ़ का रोग लगा है?

(ग) यदि हां, तो स्कूल के हाते से उन कोढ़ियो को हटाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

(घ) क्या उक्त स्कूल के हाते की सीमाओं के गिर्द दीवारें चुनने की कोई प्रस्थापना है?

(ङ) यदि हां, तो कब से कार्य आरम्भ किया जायेगा?

रेल तथा यातायात मंत्री के संसदीय सचिव (श्री शाहनवाज़ खां): (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) उक्त स्कूल के एक चपरासी को कोढ़ रोग का आक्रमण हुआ था, और उसे किसी स्वीकृत कोढ़ उपचार-केन्द्र में इलाज कराने के लिये छट्टी दी गई है।

(ग) से (ङ), स्कूल के मकान का वह भाग जहां मुख्य रूप से पढ़ाई होती है, घिरा हुआ है, किन्तु प्रारम्भिक विभागों और व्यायामशाला के गिर्द दीवारों की चुनाई नहीं हुई है। चुनाचि इस भाग के गिर्द दीवार चुनने की स्वकृति दी जा चुकी है, और थोड़े ही समय में चुनाई का काम शुरू किया जायेगा।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या यह सच नहीं है कि १९५१ में उन दिनों की बी० एन० रेलवे के जनरल मैनेजर ने हमें यह सूचना दी थी कि उक्त हाता कोढ़ियों द्वारा बार बार प्रयोग में लाया जा रहा है और यह आश्वासन दिया था कि इस हाते की दीवार चुनी जाएगी? यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि यह उस की इस प्रस्थापना को क्यों छोड़ा गया है?

श्री शाहनवाज़ खां: हाते की दीवार बनाने के लिये तो ७,३१४ रुपये की राशि स्वीकृत हो चुकी है, और बहुत जल्दी अब चुनाई का काम शुरू किया जायेगा।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि किन कारणों से १९५१ के बाद ही यह काम शुरू नहीं किया गया, और माननीय मंत्री मुझे प्रश्न के भाग (क) में यह उत्तर दे रहे हैं कि उक्त हाते में कोढ़ियों का झुण्ड नहीं लगा करता है ?

श्री शाहनवाज़ खां : उक्त स्कूल में, अप्रैल १९५० में केवल एक चपरासी के बारे में कोढ़ का रोग लगा ; यह चपरासी वहां से एक मील दूर रहता था, और बाद में यह देखा गया कि इसे यह रोग लगने वाला है। चुनाचि इसे एक कोढ़ उपचार-केन्द्र में भर्ती किया गया और सितम्बर, १९५१ में वहां के डाक्टरों ने इसके सम्बन्ध में बताया कि यह छतछात की बीमारी से मुक्त है और स्वस्थ हो चुका है। किन्तु तीन महीने बाद इसमें कोढ़ के लक्षण फिर से दिखाई देने लगे, और अब इसे एक कोढ़ उपचार-केन्द्र में भेजा जा चुका है। केवल यही घटना हुई है।

श्री एस० सी० सामन्त: मेरे माननीय मित्र इस बात की पूछताछ करने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सच नहीं है कि यह चपरासी जिसे इस प्रकार का रोग लगा था, रात को स्कूल के हाते में ही रहता था, और एक मील दूर किसी और जगह में नहीं रहा करता था ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : श्रीमान्, हमारे पास इसकी उतनी ही जानकारी थी, जितनी दी जा चुकी है, किन्तु हम इस सम्बन्ध में पूछताछ करेंगे।

अंतर्राष्ट्रीय गेहूं क़रार

*८९४. **श्री केशवैयंगार :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत द्वारा किया गया अंतर्राष्ट्रीय गेहूं करार कब समाप्त हो जायेगा ?

(ख) क्या इस करार को नये सिरे से किया जा रहा है ?

(ग) यदि हां, तो कितने वर्षों के लिये इसका नवीकरण होगा ?

(घ) १९४८ से इधर को आयात किये गये गेहूं का मूल्य क्या है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) भारत द्वारा १९४९ में किया गया अंतर्राष्ट्रीय गेहूं करार ३१ जुलाई १९५३ को समाप्त हुआ।

(ख) इसका १ली अगस्त, १९५३ से नवीकरण किया जा चुका है।

(ग) १ली अगस्त, १९५३ से ३१ जुलाई, १९५६ तक के ३ वर्षों के लिये।

(घ) १९४८ से १९५३ तक के पत्री वर्षों में आयात किये गये गेहूं का मूल्य निम्न में दिया जाता है :—

वर्ष	राशि (लाखों रुपयों में)
१९४८	४६,७६
१९४९	७४,८८
१९५०	४७,२३
१९५१	१४१,१४
१९५२	१२८,४४
१९५३ (जनवरी—जून)	३९,९२

कई माननीय सदस्य: अंत के आंकड़ों को हम समझ नहीं सकते।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: जनवरी से जून तक ३९,९२ लाख रुपये।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री १९५८ की ओर निर्देश कर रहे थे ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : क्षमा कीजिये, १९५३ से मेरा मतलब है ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या अंतर्राष्ट्रीय गेहूं करार में किसी प्रकार का विशेषीकरण हुआ है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : जी नहीं । हमें किसी भी प्रकार का गेहूं खरीदने का अधिकार है ।

श्री गोपाल राव : मैं जान सकता हूं कि विगत करार की दरों के मुकाबले में इस खरीद के लिये कौनसी दरें निश्चित की गई हैं ; दोनों न्यूनतम तथा अधिकतम बताइये ?

श्री किदवई : इस वर्ष अधिकतम दर १·८० डालर से २·०५ डालर हो गई है । बाज़ार में वर्त्तमान दर १·८१ डालर है । अतः एव यह दर विगत वर्ष की जैसी है । विगत वर्ष उन्होंने ढुआई के भी कुछ पैसे लगा लिये थे । इस वर्ष उसे भाव के साथ ही रखा गया है । इस समय हमें विगत वर्ष की अपेक्षा सस्ती दरों पर गेहूं मिलेगा ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि केन्द्रीय सरकार के पास गेहूं की राशि बढ़ती जा रही है, क्या सरकार गेहूं के उस पूरे अभ्यंश का आयात करेगी जो अंतर्राष्ट्रीय गेहूं करार के अन्तर्गत भारत को दिया जा चुका है ?

श्री किदवई : हम तो पहले ही इसे कम कर चुके हैं । हमें १५ लाख टन गेहूं मिला था । अब इस अभ्यंश को कम कर के १० लाख टन निश्चित किया गया है ।

श्री वी० पी० नायर : माननीय मंत्री में इस बात के आंकड़े सुना रहे थे कि अनाज के लिये कितना मूल्य दिया गया । क्या मैं इन के भाड़े के तत्स्थानी आंकड़े जान सकता हूं, और, यदि संभव हो, तो यह भी बता दीजिये कि भारतीय और विदेशी जहाज़ों ने कितना कितना गेहूं ढोया था ?

श्री किदवई : यदि हम से एक अलग प्रश्न पूछा जाये तो हम जानकारी देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न तो अंतर्राष्ट्रीय गेहूं करार से सम्बन्ध रखता है ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि इस खाद्यान्न को भारत तक पहुंचाने में अमरीकी जहाज़ों ने बहुत अधिक भाड़ा लिया था ?

श्री किदवई : अमरीकी जहाज़ ही सदा भारत को गेहूं नहीं पहुंचाया करते थे ।

श्री राघवय्या : उपमंत्री द्वारा कुछ समय पहले दिये गये इस वक्तव्य को कि हम ने इस वर्ष खाद्य के सम्बन्ध में आत्म-निर्भर हो चुके हैं, दृष्टि में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि इस गेहूं के आयात करने का कारण क्या है ? क्या मैं जान सकता हूं कि १९५६ तक के इस आयात का यही अभिप्राय होगा कि हमें खाद्यान्न की कमी रहेगी ?

श्री किदवई : हम ने कभी भी इस बात का दावा नहीं किया कि हम आत्म-निर्भर हो चुके हैं । युद्ध से पहले भी हम बर्मा से १५ लाख टन चावल तथा कुछ गेहूं का आयात करते थे । प्रति वर्ष हमारा आयात घटता जा रहा है । मैं यह भी बतला चुका हूं कि हम ने केवल दस लाख टन गेहूं के आयात के लिये करार किया है । कदाचित हम कुछ भी चावल नहीं मंगायेंगे ।

सेठ गोविन्द दास : क्या जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि १५ लाख टन अब उन्होंने यह तै किया है कि हम दस लाख टन ही मंगायेंगे क्या निकट भविष्य में और भी घटने की सम्भावना है ?

श्री किदवई: यह १५ लाख टन तो हम इंटरनेशनल व्हीट ऐग्रीमेंट में ख़रीदते थे और उसके अलावा बहुत सा गेहूं हम ओपेन मारकेट में ख़रीदते थे जिसके दाम बहुत होते थे। इस साल हम ने सिर्फ़ इंटरनेशनल व्हीट ऐग्रीमेंट का गेहूं मंगाया था और आयन्दा साल से उसको भी घटा कर दस लाख टन कर दिया है।

श्री पुन्नूस : एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं समझौते में किसी किस्म विशेष का निर्देशन है उन्होंने बताया है कि हम अपनी स्वेच्छा के अनुसार चुनाव कर सकते हैं। यदि ऐसा है तो क्या मैं जान सकता हूं फिर ऐसी शिकायत क्यों थी कि बाहर से आने वाले गेहूं का बहुत सा भाग बेकार है ?

श्री किदवई: मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि उस समय अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं समझौते के अन्तर्गत हमें गेहूं खरीदना था और हमने बहुत सा गेहूं खरीदा। हमें पता चला है कि निरीक्षकों ने वहां कुछ भूल की और हमें वह गेहूं मिला जो कि नहीं मिलना चाहिये था।

श्री यू० एम० त्रिवेदी: विभिन्न राज्य सरकारों के पास आजकल कितनी मात्रा में गेहूं है और उसमें से कितना गेहूं ख़राब है ?

श्री किदवई: हमें पूर्व सूचना चाहिये।

श्री गोपाल राव: हमारे देश में आयात होने वाले गेहूं की परीक्षा करने का क्या कोई साधन है ?

श्री किदवई: वाशिंगटन में हमारा एक क्रय मिशन है, और वह मिशन इस के परीक्षण का प्रबन्ध करता है।

श्री गोपाल राव: अर्थात् भारत सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं है।

श्री किदवई: वे भारत सरकार के अधीन है।

श्री मुनिस्वामी: क्या मैं जान सकता हूं कि इस बात को जानने के लिये कि भारतवर्ष को वही गेहूं भेजा गया है जिसके बारे में कि समझौता किया गया था, कौन से साधन अथवा क्या रवैया अपनाया जाता है ?

श्री किदवई: समझौता तो मात्रा के बारे में किया जाता है। यह हमारे लिये खुली छूट है कि हम अच्छा गेहूं लें अथवा बुरा।

कुमारी एनी मस्करीन: उन व्यक्तियों के विरुद्ध जो कि गेहूं ख़रीदने के उत्तरदायी हैं और जिनके कारण यह गेहूं ख़राब हो गया है, उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री किदवई: उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

श्री दाभी: माननीय मंत्री ने कहा है कि हम विदेशों से लगभग दस लाख टन गेहूं का आयात करना चाहते हैं किन्तु चावल का आयात करना बिल्कुल नहीं चाहते। तब भला यह कैसी बात है कि सरकार गेहूं पर से तो नियन्त्रण हटाना चाहती है और चावल पर नियंत्रण रखना चाहती है ?

श्री किदवई: ऐसा इसलिये है कि हमारे पास गेहूं तो इतनी मात्रा में है कि हम प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार दे सकते हैं किन्तु चावल जो कि हमारे यहां उत्पन्न होता है वह केवल इतना ही है कि हम राशन के अन्तर्गत किये जाने वाले वायदों की ही पूर्ति कर पाते हैं। यदि हम इस पर से नियंत्रण हटा लें और इसकी बिक्री करने की आज्ञा खुले बाज़ार में करने के लिये दे दें तो इसका मूल्य बढ़ जायेगा क्योंकि हमारी आवश्यकता के अनुसार यह अब भी कम है। यह आयात होने वाला गेहूं आज कल चावल

खाने वाले क्षेत्रों में चावल के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है ।

श्री दाभी : तब फिर हम विदेशों से चावल का आयात क्यों नहीं करते ?

श्री किदवई : हमारी आवश्यकता को देखते हुए विदेशों का मूल्य बहुत ऊंचा है ।

रेगिस्तानी क्षेत्रों का विस्तार

* ८९५. **श्री ए० एन० विद्यालंकार :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह तथ्य है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों के विस्तार को रोकने के लिये जो वित्तीय उपबन्ध वर्ष १९५२-५३ के आय-व्ययक में किये गये थे उनमें से अधिकतर उपबन्धों का प्रयोग नहीं किया गया है ?

(ख) यदि ऐसा है तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) तथा (ख) आय-व्ययक में किये गये उपबन्धों को निम्न बातों के कारण परिवर्तित करना होगा :—

(१) योजना की वित्तीय स्वीकृति पाने में देरी ;

(२) प्रशिक्षित कारीगरों का न मिलना ;

(३) भूमि प्राप्त करने में देरी ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या मैं जान सकता हूं कि रेगिस्तान के विकास को रोकने के लिये किन किन क्षेत्रों में काम किया गया था, और इस वर्ष कितना खर्च किया गया तथा उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : वह क्षेत्र हिन्दुस्तान पाकिस्तान की सीमा के आरपार उसकी लम्बाई ४०० मील तथा चौड़ाई ५ मील है । उस क्षेत्र में ५ मील घने जंगलों की यही उगानी होगी । हमारी योजना के अनुसार २,३२,००० रुपया का उपबन्ध किया गया था किन्तु पिछले वर्ष हमने लगभग ७०,००० रुपया खर्च किया ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : मैं तो इस वर्ष के बारे में पूछ रहा था ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : चार लाख रुपया का उपबन्ध है किन्तु हमें आशा है कि हम उपबन्ध में किये गये धन की अपेक्षा अधिक खर्च करेंगे ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : अब तक कितना खर्च हो चुका है और उसके क्या परिणाम रहे हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मैं आंकड़े तो नहीं दे सकता । हमने इस वर्ष कितना खर्च किया है यह तो हम केवल आय-व्ययक के समय पर ही जान सकेंगे ।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसे रेगिस्तानी क्षेत्र में जहां कि कुछ भी उत्पन्न नहीं होता उसका सम्पूर्ण क्षेत्र फल कितना है एवं वहां की जनसंख्या कितनी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : इस प्रश्न में इसकी जानकारी नहीं मिल सकती; हमें पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या मैं जान सकता हूं कि बावजूद रेगिस्तान के विस्तार को रोकने के प्रयत्नों के भी; उसका वार्षिक विस्तार किस आधार पर हो रहा है ? क्या रेगिस्तानी क्षेत्रों में भूमि को कृषि योग्य बनाने तथा भूमि क्षारण को रोकने की योजनाओं के लिये भी आय-व्ययक में उपबन्ध किया गया है ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह तो एक स्वीकृत सिद्धांत है कि रेगिस्तान बराबर बढ़ रहा है । और इस की इस अग्रगामी

चाल के आधार पर यह कहा जाता है कि यह देहली की ओर वर्ष में आधी मील की चाल से बढ़ रहा है। हमने इसके लिये एक एतदर्थ समिति की नियुक्ति कर दी है, उस समिति ने इसका अध्ययन किया है और अपना प्रतिवेदन दे दिया है। उस प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के अनुसार ही हम धन को खर्च कर रहे हैं। ऐसी आशा की जाती है कि यदि हम ने इस समिति की सिफारिशों के आधार पर कार्य किया तो रेगिस्तान की इस बढ़ती हुई प्रगति को काफ़ी मात्रा में रोक सकेंगे।

श्री एस० वी० रामस्वामी: दिल्ली से रेगिस्तान की दूरी कितनी है ?

चीनी

*८९६. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जून १९५३ के प्रारम्भ से भारत सरकार ने खुले बाज़ार में बेचने के लिये कुल कितनी चीनी की छूट दी है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): ३,६२,७५६ टन।

डा० राम सुभग सिंह: इस चीनी में से कितनी चीनी उपभोग के लिये बाज़ार में आ गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): एक दिसम्बर से अब तक खुले बाज़ार में बेचने के लिये १४·९१ लाख टन चीनी बेचने की छूट दी है। वैगनों की कमी के कारण केवल २·०४ लाख टन चीनी नहीं जा सकी है। शेष चीनी बाज़ार में पहुंच चुकी है।

डा० राम सुभग सिंह: इस समय फैक्टरी में कुल कितनी चीनी है ?

श्री किदवई: २·०४ लाख टन चीनी जिस की छूट तो दे दी गई है किन्तु अभी तक बाज़ार में नहीं पहुंच सकी है। २·४२ लाख टन चीनी जिसकी छूट नहीं दी गई है। कुल योग ४·४६ लाख टन है।

डा० राम सुभग सिंह: जिस प्रकार ईख की कम से कम कीमत निश्चित की गयी है उसी प्रकार क्या सरकार सोच रही है कि चीनी की भी मिनिमम कीमत निश्चित करे ?

श्री किदवई : शुगर की मिनिमम कीमत मुक़र्रर करना बहुत मुश्किल है।

डा० राम सुभग सिंह: यह मिनिमम कीमत निश्चित करने में सरकार के सामने क्या क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री किदवई : जब तक कि गवर्नमेंट पूरी मारकेटिंग अपने हाथ में न ले ले, उस वक्त तक क़ीमत मुक़र्रर करना ब्लैक मारकेटिंग को एनकरेज करना है।

डा० राम सुभग सिंह: क्या सरकार ने ईख की मारकेटिंग का पूरा प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया है ?

श्री किदवई: ईख की मारकेटिंग का पूरा काम ज़्यादातर बिहार और यू० पी में तो कोआपरेटिव सोसायटीज़ करती है और उन को जो मिनिमम प्राईस मुक़र्रर है वह मिलती है।

श्री सी० डी० पांडे : क्या जो चीनी हाल में बाहर से आई है उस से कीमत गिरने की उम्मीद है ?

श्री किदवई: उस से क़ीमत तो बहुत गिर सकती थी, लेकिन हम चाहते हैं कि जो फ़ैक्टरी की कंट्रोल्ड प्राइस है, उस से नीचे न बेची जाय।

श्री सी० डी० पांडे: मेरे कहने का मतलब यह है कि चीनी की इस वक्त जो आप की कीमत है उस से वह ४ रुपये मन ज़्यादा बिक रही है। तो क्या यह उम्मीद हो सकती है कि ४ रुपये ज़्यादा न बिक कर उस कीमत

पर बिके जिस पर कि आप उस को बेचना चाहते हैं ?

श्री किदवई : इस लिये वह शुगर मंगाई गयी है कि चीनी उस कीमत पर बिके जो गन्ने की प्राइस मुक़र्रर होने पर होनी चाहिए। उम्मीद है कि उस पर बिकने लगगी ।

सेठ गोविन्द दास : कीमत को गिराने के लिये क्या अभी और शुगर बाहर से मंगाने का विचार है ?

श्री किदवई : हम ने तय किया है कि दो लाख टन चीनी बाहर से मंगावेंगे ।

श्री सिंहासन सिंह : क्या यह सही है कि आज कल मिल तीस रुपये के भाव पर तेज़ी से चीनी बेच रहे हैं ?

श्री किदवई : आज कल जब कि शुगर कम है तो यह क़ुदरती बात है कि लोग तेज़ी से बेच रहे हैं । लेकिन तीस रुपये के भाव तो कलकत्ते में बिक रही है, तो एक्स मिल प्राइस उतनी नहीं हो सकती ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस आयात की गई चीनी का कार्य कौन कर रहा है सरकार अथवा निजी अभिकरण ?

श्री किदवई : स्वयं सरकार कर रही है ।

श्री राघवय्या : क्या इस चीनी को साधारण व्यक्ति भी ख़रीद सकता है ? यदि नहीं तो क्या सरकार ऐसा भी प्रयत्न करेगी कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी इसे ख़रीद सके ?

श्री किदवई : हमारे आंकड़ों के अनुसार चीनी का ख़र्च ५० प्रतिशत बढ़ गया है जिसका तात्पर्य यह है कि या तो उपभोक्ता इसे अधिक चाहता है अथवा इसके ख़रीदने में गुड़ की अपेक्षा अधिक आसानी है ।

श्री गिडवानी : क्या यह सत्य है कि कुछ मास पूर्व बम्बई के बाज़ार में चीनी का भाव कम करने के लिये सरकार ने मेरठ से चीनी लेने के लिये कुछ वैगन वहां भजे थे किन्तु चीनी मिल के मालिकों ने लदान करने से इन्कार कर दिया और वैगन खाली लौट आये ?

श्री किदवई : यह बात सत्य हो सकती है क्योंकि चीनी मिल मालिक इस बात के लिये तैयार थे कि चीनी उन्हीं लोगों के साथ भेजेंग जिन को कि उस चीनी को बेचा गया था । इसलिये उन्होंने चीनी बम्बई नहीं भेजी ।

श्री गिडवानी : क्या यह तथ्य है कि इस के लिये सरकार अपराधियों के विरुद्ध कुछ कार्रवाही करना चाहती थी, और सरकार को इसके कारण हानि उठानी पड़ी ?

श्री किदवई : नहीं । सरकार को कोई हानि नहीं हुई । योजना के अनुसार २·०४ लाख टन चीनी की छूट दी गई थी किन्तु उसे भेजा नहीं जा सका । यदि उसे भेजा जाना है तो वह केवल उसी स्थान को भेजी जायगी जहां के लिये कि उसे ख़रीदा गया है ।

श्री वी० बी० गांधी : क्या आयात की गई चीनी का सरकार ने तटागत मूल्य दिया है ? देश की चीनी मिलों से निकलने वाले मूल्य की अपेक्षा यह मूल्य कैसा है ?

श्री किदवई : चीनी का तथागत मूल्य शुल्क इत्यादि के अतिरिक्त, लगभग १९।।) से २१।।) तक होगा ।

श्री वी० बी० गांधी : शुल्क मिलाकर यह कितना होगा ?

श्री किदवई : आयात की गई चीनी की प्रत्येक किस्मों के मूल्य में ५८) प्रति मन और बढ़ाना होगा ।

रासायनिक खाद

*८९७. **डा० राम सुभग सिंह** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि रासायनिक खाद खरीदने के लिये भारत सरकार ने राज्य सरकारों को ऋण दिये हैं ?

(ख) यदि हां तो वर्ष १९५३-५४ में अब तक कितनी कितनी धन राशि ऋणस्वरूप विभिन्न राज्य सरकारों को दी गई है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी हां ।

(ख) वांछित जानकारी का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

वर्ष १९५३-५४ में रासायनिक खाद खरीदने तथा उसके वितरण के लिये विभिन्न राज्यों को दिये गये अल्पकालीन ऋण—

राज्यों के नाम	लाखों में दिये गये ऋण की राशि
आसाम	७·९८
बिहार	४८·४८
मध्य प्रदेश	६३ ८०
पंजाब	१७·५३
उत्तर प्रदेश	११६·००
पश्चिमी बंगाल	१०१·४२
हैदराबाद	६३·३४
मध्य भारत	९·७७
मैसूर	१६ ७५
पेप्सू	६·७६
राजस्थान	१८·७९
अजमेर	०·३४
भूपाल	३·२७
कुर्ग	३·४६
विन्ध्य प्रदेश	३·१८
योग	४८०·८७

डा० राम सुभग सिंह : क्या माननीय मंत्री राज्य सरकारों द्वारा अब तक उपयोग की गई कुल राशि बता सकते हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हम अभी तक लग भग ४८० करोड़ रुपये ऋण दे चुके हैं और आयव्ययक में ८ करोड़ की व्यवस्था है ।

डा० राम सुभग सिंह : उस ऋण में से राज्य सरकारों द्वारा कितनी राशि का उपयोग किया जा चुका है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : जब तक कि उन के पास से लेखा न आ जाये, तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते । यदि वे ऋण दी गई राशि से अधिक की मांग करते हैं तो पहले उनको वह राशि व्यय करनी पड़ेगी जो दी जा चुकी है ।

श्री ए० एम० टामस : विवरण से प्रतीत होता है कि केवल कुछ ही राज्यों को सूची में स्थान मिला है । उदाहरणार्थ त्रावनकोर-कोचीन उसमें नहीं है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन राज्यों ने केन्द्रीय सरकार को ऋण के लिये आवेदन पत्र नहीं भेजा है और इसलिये उन्हें ऋण नहीं दिया गया है अथवा क्या कोई और कारण है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इन में से कुछ राज्यों के पास गत वर्ष के बचे हुए उर्वरक थे ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या मैं यह समझूं कि मद्रास राज्य ने इस ऋण को नहीं लिया है क्योंकि उसके साधन और उसकी स्थिति संतोषजनक है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मद्रास राज्य में भी लगभग एक लाख टन बच गया था । उनको इस वर्ष भी ४०,००० टन दिया गया था ।

श्री एन० एम० लिंगम : विवरण से पता चलता है कि इस वर्ष कोई भी ऋण स्वीकृत नहीं हुआ है ।

श्री किदवई : मद्रास राज्य ने इस वर्ष ऋण क्यों नहीं लिया, इस सम्बन्ध में मैं पूर्व-सूचना चाहूंगा। किन्तु केवल मद्रास ही ऐसा राज्य था जिसको गत वर्ष और उससे पूर्व के वर्ष में एक ऋण दिया गया था।

श्री टी० के० चौधरी : विवरण से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश को अधिकतम ऋण दिया गया है। क्या सरकार के पास उन मुख्य फसलों के बारे में कोई जानकारी है जिनके लिये ये उर्वरक काम में लाये गये थे? क्या यह तथ्य है कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को दिये गये इन उर्वरकों के अधिकांश भाग मुख्य रूप से गन्ना और चाय बागों में काम में लाये गये थे?

श्री किदवई : मेरे विचार से यह सत्य नहीं है। इस वर्ष बंगाल सरकार ने उर्वरकों को विशेष रूप से धान पैदा करने वाले क्षेत्रों को देने का प्रबन्ध किया है।

श्री शिवनंजप्पा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या विभिन्न राज्य सरकारें रैयतों को सहायता के परिणामस्वरूप निश्चित दरों पर यह उर्वरक देती हैं?

श्री किदवई : उन्होंने उर्वरक उधार दिए हैं और फसलों के काटने के समय वे उनका मूल्य वसूल करेंगे।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कोई ऐसी शर्त है कि राज्य सरकार को रासायनिक उर्वरक केन्द्रीय सरकार के साधनों से खरीदना चाहिये अथवा किसी अन्य व्यक्ति से?

श्री किदवई : एकमात्र साधन केन्द्रीय सरकार है। इस वस्तु में और कोई व्यापार नहीं करता।

श्री एम० डी० रामस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि मद्रास राज्य में उर्वरकों का वितरण किन साधनों से होता है?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : सहकारी संस्थाओं और गैरसरकारी अभिकरणों द्वारा।

जहाज़

*८९८. **सेठ गोविन्द दास :** क्या परिवहन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५२-५३ में कितने भारतीय जहाज़ तटवर्ती व्यापार में संलग्न हैं?

(ख) कितने जहाज़ वैदेशिक व्यापार में संलग्न हैं?

(ग) कितने जहाज़ भारतीय नौ-सेना में अंगीभूत हैं?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). १९५२-५३ में तटवर्तीय और वैदेशिक व्यापार में संलग्न जहाज़ों की संख्या भिन्न भिन्न समय अलग अलग थी, किन्तु नवीनतम प्राप्य सूचना के अनुसार आजकल ८९ और २४ भारतीय जहाज़ क्रमश: तटवर्तीय और वैदेशिक व्यापार में संलग्न हैं। इनके अतिरिक्त भारतीय नौपरिवहन कम्पनियों द्वारा १० ऐसे जहाज़ भी नियत किये गये हैं जो सारे तटवर्ती व्यापार में चलते हैं।

(ग) स्पष्ट है कि माननीय सदस्य भारतीय नौसेना के साथ लगे हुए व्यापारिक जहाज़ों की संख्या जानना चाहते हैं। ऐसा एक भी जहाज़ नहीं है।

सेठ गोविन्द दास : जहां तक इन जहाज़ों का सम्बन्ध है वहां तक १९५०-५१ और १९५१-५२ में इन की जो आवश्यकता थी उस औसत से १९५२-५३ में यह संख्या बढ़ी है या घटी है?

श्री अलगेशन : माननीय सदस्य ने जो आंकड़े दिये हैं उन्हें मैं नहीं समझ पाया हूं।

सेठ गोविन्द दास : यह जो जहाज़ इस वक्त चल रहे हैं इन में से हमारे देश में बने हुए जहाज़ ज्यादा हैं या बाहर से जो हम ख़रीदते हैं वे ज्यादा हैं ?

श्री अलगेशन : बाहर से जो हम ख़रीदते हैं वे ज्यादा हैं।

सेठ गोविन्द दास : क्या और कुछ जहाज़ हिन्दुस्तान में बन रहे हैं और क्या और भी कुछ जहाज़ बाहर से ख़रीदने का विचार किया जा रहा है ?

श्री अलगेशन : हमारे विभाग की यार्ड में हम बना रहे हैं और बाहर से भी हम ख़रीदते हैं।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान, क्या मैं जान सकता हूं कि भारतीय नौपरिवहन द्वारा भारत के सम्पूर्ण समुद्री व्यापार में ले जाये गये कुल माल का, तटवर्ती व्यापार में ले जाया गया माल कितना प्रतिशत है ?

श्री अलगेशन : जहां तक तटवर्तीय व्यापार का सम्बन्ध है, सदन को यह मालूम है कि वह पूरी तौर पर भारतीय नौपरिवहन के लिये रक्षित रखा गया है।

श्री वी० पी० नायर : प्रश्न यह नहीं है। भारत के सम्पूर्ण समुद्री व्यापार में भारतीय नौपरिवहन द्वारा ले जाया गया माल कितना प्रतिशत है ?

श्री अलगेशन : इस के लिये मैं पूर्व सूचना चाहूंगा।

श्री पुन्नूस : तटवर्तीय और वैदेशिक व्यापार में संलग्न भारतीय जहाज़ों की संख्या विवरण में दी गई है। क्या मैं इनमें संलग्न तत्स्थानी विदेशी जहाज़ों की संख्या जान सकता हूं ?

श्री अलगेशन : जैसा मैंने कहा, भारतीय नौपरिवहन कम्पनियों द्वारा नियत जहाज़ों को छोड़ कर, तटवर्ती व्यापार में कोई भी विदेशी जहाज़ नहीं है। वैदेशिक व्यापार में मुझे संख्या नहीं मालूम है। मैं अभी ठीक ठीक संख्या नहीं बता सकता।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह तथ्य नहीं है कि भारत का ९५ प्रतिशत से अधिक वैदेशिक व्यापार विदेशी जहाज़ों के द्वारा होता है ?

श्री अलगेशन : हां, उसका अधिकांश भाग विदेशी जहाज़ों द्वारा होता है।

चीनी का भाव

*८९९. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आज कल चीनी का भाव नियत करने के लिये सूत्र ;

(ख) वह कितने काल से लागू है;

(ग) क्या उसको संशोधित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) उक्त सूत्र का संशोधन करने का सुझाव देने वाली विशेषज्ञ समिति में चीनी के उपभोक्ताओं का यदि कोई प्रतिनिधि है तो वह कौन है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) गन्ने के न्यूनतम भाव, गन्ना उपकर, सहकारी संस्थाओं के कमीशन, उत्पादन शुल्क, एक निश्चित अनुसूची के आधार पर हिसाब लगाये गये निर्माण व्ययों और लाभ-सीमा पर विचार करके चीनी का भाव नियत किया जाता है।

(ख) १९३७ से । किन्तु प्रत्येक वर्ष चालू मूल्यों के आधार पर विभिन्न मदों की लागत में फेर बदल के अनुसार मूल्य ठीक किये जाते हैं ।

(ग) हां । अनुसूची को संशोधित करने के लिये नवम्बर १९५१ में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी । उस समिति का अन्तिम प्रतिवेदन शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है ।

(घ) विशेषज्ञ समिति में उपभोक्ताओं का कोई प्रतिनिधि नहीं है ।

श्री झूलन सिन्हा : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस वर्ष चीनी का भाव नियत करने में सरकार और निर्माताओं के बीच कोई समझौता था, और यदि था तो वह समझौता किस आधार पर किया गया था ?

श्री किदवई : चीनी के भाव के बारे में सरकार और चीनी के कारखानों के बीच कोई समझौता नहीं था, इस बात को छोड़ कर कि उनके उत्पादन का २५ प्रतिशत भाग सरकार द्वारा एक निश्चित दर पर बिक्री के लिये दिये जाने के लिये रक्षित रहेगा, क्योंकि कोई भाव निश्चित नहीं किया गया था । लेकिन चीनी गन्ने के भाव के आधार पर निश्चित भाव पर बिक्री के लिये दी जानी थी ।

श्री झूलन सिन्हा : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस वर्ष जब सरकार की चीनी-नीति घोषित की गई थी तो उसमें एक खण्ड यह था कि यदि चीनी का भाव अनुचित रूप से बढ़ जायेगा, तो सरकार विधान द्वारा भाव निश्चित कर सकेगी ?

श्री किदवई : ऐसा कोई उपबन्ध नहीं था, लेकिन जैसा मैं ने कहा, २५ प्रतिशत चीनी एक निश्चित भाव पर बिक्री के लिये दिये जाने के लिये रक्षित थी और मैं देखता हूं कि यद्यपि उसका कुछ भाग सरकार द्वारा कंट्रोल की दुकानों पर बिक्री के लिये दे दिया गया है, फिर भी उनके भाव खुले बाज़ार के भाव से कम नहीं रखे गये हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमान, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सहकारी संस्थाओं को दिया जाने वाला कमीशन सारे देश में एक सा है और क्या सहकारी संस्थायें उस कमीशन का उस प्रयोजन के लिये उपयोग कर रही हैं जिसके लिए वह उनको दिया जा रहा है ?

श्री किदवई : मैं समझता हूं कि यह एक राज्य विषय है, लेकिन यदि माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं तो हम विभिन्न राज्यों से जानकारी प्राप्त करेंगे । लेकिन मैं उनको बता सकता हूं कि इन सहकारी संस्थाओं को कमीशन और कुछ विकास निधि दी जा रही थी और उपकर की एक अधिक राशि भी है, और यह सब सड़क के किनारे पर पैदा होने वाले गन्ने के विकास के लिये था । मुझे एक मिल मालिक से यह सुन कर आश्चर्य हुआ कि बिहार सरकार ने ये अनुदेश निकाले थे कि गन्ना ढोने के लिये सड़क पर ट्रकों का उपयोग न किया जाये और इसलिये कुछ कठिनाई थी क्योंकि वहां एक भी रेलवे स्टेशन नहीं था । मैं इस कठिनाई को दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या लंदन में चीनी का अन्तर्राष्ट्रीय भाव निश्चित करने के लिये एक सम्मेलन हुआ था, और यदि हुआ था तो क्या इस अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भारतीय चीनी के भाव पर कुछ भी प्रभाव पड़ेगा ?

श्री किदवई : नहीं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि, जैसा मैं ने कहा, हमारे भाव अन्तर्राष्ट्रीय भाव से बहुत ऊंचे हैं और

हम ने यह देखा है कि यद्यपि हमारा उत्पादन बढ़ गया है, फिर भी हम निर्यात करने की दशा में नहीं हैं। इसलिए इस सम्मेलन में हम ने भाग नहीं लिया क्योंकि सम्मेलन उत्पादकों के लिए भाव निश्चित करने के लिए था। लेकिन हमारे पास यह संरक्षण है कि दो या तीन वर्षों के उपरान्त हमारे उत्पादन और निर्यातों की संभावना को देखने के बाद स्थिति का पुनर्विलोकन किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। सोमवार को गन्ने और चीनी के भावों पर हम लोग दो घंटे वादविवाद करेंगे।

श्री विभूति मिश्र : उपाध्यक्ष जी, मैं आप की आज्ञा से एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछना चाहता हूं जिस का जवाब दिया जाना बहुत ज़रूरी है।

सरकार ने एक सवाल के जवाब में उत्तर दिया है कि नौर्थ विहार में शुगरकेन का कास्ट आफ प्रोडक्शन १०५ से १२५ रुपये तक पड़ता है, जब पांच आने मन ट्रान्सपोर्ट चार्ज है तो ऐसी हालत में शुगरकेन की कीमत एक रुपया पांच आने है जबकि उस का कास्ट आफ प्रोडक्शन एक रुपये पांच आने से अधिक पड़ता है और मंत्री जी कहते हैं कि शुगरकेन की कीमत शुगरकेन के कास्ट आफ प्रोडक्शन के मुताबिक ठीक किया जाता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न के बजाय एक बहस अधिक है।

श्री विभूति मिश्र : यह आरगुमेंट नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति।

रेल का भाड़ा

*१००. **श्री एम० एल० अग्रवाल** :

(क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यदि कभी दो स्टेशनों के बीच एक टिकट खरीदा जाता है तो उस का भाड़ा उस से अधिक होता है यदि उसी दूरी के लिये दो किस्तों में टिकटें खरीदी जायें ?

(ख) यदि ऐसा है, तो क्यों ?

रेल तथा यातायात मंत्री के संसदीय सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) हां।

(ख) पहले और दूसरे दर्जों के मामले में, पांच रुपये से कम वाले भाड़े अगले उच्चतर आना तक, और पांच रुपये या उस से अधिक के भाड़े अगले उच्चतर चार आनों तक कर दिये जाते हैं। फलतः कुछ मामलों में जब यात्रा के विभिन्न भागों के भाड़े पांच रुपये से कम होते हों लेकिन कुल भाड़ा पांच रुपये से अधिक हो, तो कुल यात्रा का भाड़ा दो भाड़ों के योग से अधिक हो जाता है। भाड़ों में अन्तर का एक और कारण स्टेशनों की विशेष जोड़ियों के बीच समन्वित भाड़ों का होना है। चूंकि ये समन्वित भाड़े उन में से किसी भी स्टेशन से हो कर जाने वाली सीधी यात्रा के लिये उपलब्ध नहीं होते, अतः दो किस्तों में टिकटें खरीदना सस्ता हो सकता है।

श्री एम० एल० अग्रवाल : क्या सरकार इस प्रथा को चालू रखना चाहती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : हम इस की जांच करवा रहे हैं।

श्री मुनिस्वामी : श्रीमान, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह बात माननीय मंत्री की जानकारी में आई है कि कुछ स्टेशनों पर टिकट पर छपा हुआ भाड़ा टिकट घर द्वारा काट दिया जाता है और कुछ लिख दिया जाता है, जिस से कि यात्रियों के मन में सन्देह होता है ? क्या मैं उस के कारण जान सकता हूं ?

श्री अलगेशन : संभव है कि पुराने टिकटों का इस प्रकार उपयोग किया गया

हो । मैं उसका कारण नहीं जानता लेकिन यात्रियों के मन में किसी प्रकार का सन्देह नहीं होना चाहिये ।

दिल्ली-अहमदाबाद मेल का मार्ग परिवर्तन

*९०१. **श्री यू० एम० त्रिवेदी :** रेल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली-अहमदाबाद मेल को जून १९५३ से कोई लाइन के रास्ते से हटा कर लम्बे रास्ते से ले जाया जाने लगा है ;

(ख) क्या दिल्ली और अहमदाबाद के बीच सीधे आने जाने वाले यात्रियों को इस मार्ग परिवर्तन के कारण ४० मील का किराया और देना पड़ता है ; तथा

(ग) क्या यह सत्य है कि दिल्ली और कलकत्ते के बीच यात्रा करने वाले लोगों से कोई अधिक किराया नहीं लिया जाता चाहे गाड़ी सीधे रास्ते से जाये या ग्रांड कॉर्ड से जाये ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां; १६-४-५३ से ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इसे ठीक करेगी ?

श्री अलगेशन : जी नहीं । ऐसा लम्बे रास्ते से सफ़र करने वाले लोगों को अधिक सुविधा देने के उद्देश्य से किया गया है । हमारा इस में कमी करने का इरादा नहीं है ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : शायद माननीय मंत्री मेरा प्रश्न नहीं समझे हैं । यदि आप दिल्ली से कलकत्ते जाने वाले यात्रियों से ज्यादा किराया नहीं लेते तो फिर आप उन लोगों से जो दिल्ली से अहमदाबाद लम्बे रास्ते से हो कर जाते हैं अधिक किराया क्यों लेते हैं ? वे अपनी मर्ज़ी से तो ऐसा करते नहीं हैं ?

श्री अलगेशन : इन दो मामलों में अन्तर है । दिल्ली और कलकत्ते के बीच बहुत अधिक लोग सफ़र करते हैं और इस लिये इन मुसाफ़िरों को दो अलग अलग रास्तों से ले जाने में रेलवे को कार्य संचालन की दृष्टि से फायदा होता है, इसीलिये हम उन से लम्बे रास्ते और छोटे रास्ते के लिये एक सा किराया ही लेते हैं । जहां तक दिल्ली-अहमदाबाद का संबंध है, ऐसा रेलवे के कार्य-संचालन के दृष्टिकोण से नहीं किया गया है बल्कि जनता की मांग पूरी करने के लिये किया गया है । यही दोनों में अन्तर है ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : क्या सरकार को पता है कि जनता इस के विरुद्ध है ? क्या सरकार जानती है कि सरकारी कर्मचारियों को और संसद् के सदस्यों को भी छोटे रास्ते के हिसाब से ही किराया मिलता है ?

श्री अलगेशन : यहां सदन में इस अभिप्राय के भाषण दिये गये थे; सदस्यों ने कहा था कि मेल ट्रेनों को लम्बे रास्ते से ले जाया जाये । अन्य कई अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए थे क्योंकि जयपुर मेन लाइन पर स्थित है जो कि लम्बा रास्ता है और जयपुर राजस्थान की राजधानी है । हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि लोग इस के विरुद्ध हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्नों का घंटा समाप्त हो गया । अब अल्प सूचना प्रश्न सं० ६४ लिया जायेगा । डा० रामा राव , अन्य माननीय सदस्य भी जिन्हों ने इस विषय पर अल्प सूचना प्रश्न पूछे हैं, अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

गोदावरी में बाढ़

१. **डा० रामा राव : गृह-कार्य** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मद्रास राज्य में राजामंड्री के पास गोदावरी नदी में कई स्थानों पर किनारे टूट जाने के समाचार मिले हैं ;

(ख) राजामंड्री कस्बे में तथा आस-पास के निचले क्षेत्रों में पानी भर जाने के कारण लोगों को कितना नुक़सान हुआ है; तथा

(ग) सरकार इन पीड़ित लोगों का कष्ट दूर करने के लिये क्या कदम उठाना सोचती है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) मद्रास सरकार से प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४३]**

इस बात का अभी अन्तिम रूप से अनुमान लगाया जाना है कि जान और माल की कितनी हानि हुई है । ऐसा विश्वास किया जाता है कि जन हानि २६ व्यक्तियों से अधिक नहीं हुई है; इस में वे १४ व्यक्ति भी शामिल हैं जो एक नाव के उलट जाने से डूब गये थे । फ़सल को तथा सम्पत्ति को, विशेषतः मकानों को, बहुत नुक़सान पहुंचा है । प्रभावित परिवारों को बचाने, लोगों के खाने की और रहने की व्यवस्था करने तथा बीमारी न फैलने देने के लिये दवाओं का प्रबन्ध करने के बारे में मद्रास सरकार द्वारा आवश्यक क़दम उठाये जा चुके हैं ।

केन्द्रीय सरकार को वित्तीय अथवा अन्य प्रकार की सहायता के बारे में कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है; परन्तु उस ने मद्रास सरकार को दो हवाई जहाज़ प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य तथा अन्य पदार्थ ऊपर से डालने के लिये उपलब्ध कराये थे । १०० टन दूध का पाउडर भी भेजा जा चुका है और १०० टन और भेजा जाने वाला है । मद्रास राज्य में स्थिति का मुकाबला करने के लिये खाद्यान्नों की मात्रा पर्याप्त है । यदि जरूरत हुई तो और स्टाक भेज दिया जायेगा ।

सेना को यह अनुदेश दे दिया गया है कि जब भी उस की सहायता की आवश्यकता हो वह सहायता दे ।

डा० रामा राव : पृष्ठ आठ पर विवरण में कहा गया है कि "जैसा पहले उल्लेख किया गया है, सब से अधिक कठिनाइयां मकानों की व्यवस्था के बारे में हैं । विशेष रूप से ग़रीब लोगों के सारे मकान नष्ट हो गये हैं और मध्यवर्ग के लोगों को भी काफ़ी नुक़सान हुआ है ।" पृष्ठ ७ पर पैराग्राफ़ १५ में लिखा है : "प्रभावित क्षेत्रों में अधिकतर लोगों को अपना सामान छोड़ कर भागना पड़ा ।" दुर्भाग्य से मुझे यह सारी बात प्रश्न के रूप में रखनी है । मद्रास सरकार ने जिस तेज़ी के साथ इस मामले में कार्यवाही की है उस के बावजूद तथा तंजोर तूफ़ान सहायता निधि जैसे सूत्रों से सहायता प्राप्त होने के बावजूद, क्या सरकार को पता है कि लगभग २००० वर्ग मील क्षेत्र तथा लगभग दस लाख व्यक्ति इस से प्रभावित हुए हैं और क्या सरकार यह भी जानती है कि .....

उपाध्यक्ष महोदय : इतने सारे प्रश्न एक साथ कैसे पूछे जाते हैं ?

डा० रामा राव : दुर्भाग्य से सारी बात प्रश्न के रूप में रखी जानी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ने तो वक्तव्य दे डाला ।

डा० रामा राव : क्या सरकार को पता है कि जो सहायता दी गई है वह पर्याप्त नहीं है और क्या सरकार केन्द्रीय निधि में से उदारतापूर्वक कोई अनुदान देगी ?

डा० काटजू : जहां कहीं भी इस प्रकार की भयंकर बाढ़ें आती हैं—गोदावरी में हो चाहे महानदी में—बहुत बड़ा क्षेत्र और बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं । इस में कोई सन्देह नहीं हो सकता । जहां तक केन्द्रीय कोष में से अनुदान देने का संबंध है, बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि कुल नुक़सान कितना हुआ है, राज्य सरकार के पास क्या साधन है और वह क्या कर सकती है और उस ने केन्द्रीय सरकार से क्या प्रार्थना की है । परन्तु मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में हरेक प्रार्थना पर पूरी सहानुभूति से विचार किया जायेगा ।

श्री रघुरामय्या : मैं जानना चाहता हूं कि हवाई जहाज़ से खाद्यपदार्थ डालना क्यों बन्द कर दिया गया है ? आप ने इस के बारे में कुछ कहा था ।

डा० काटजू : रिपोर्ट में लिखा है—मैं यह नहीं कह सकता कि माननीय मित्र के पास रिपोर्ट है या नहीं—कि जब बाढ़ ज़ोर पर थी तो बहुत सी "लंकायें" बन गई थीं और उन तक पहुंचना कठिन हो गया था । इसलिये हवाई जहाज़ के द्वारा ही सहायता पहुंचाई जा सकती थी और खाद्य पदार्थ डाले जा सकते थे । दो या तीन दिन के अन्दर जब, नदियों का पानी उतरा और उन स्थानों तक पहुंचना संभव हुआ तब नावों से काम लिया गया ।

श्री रघुरामय्या : मुझे एक प्रश्न और पूछना है । रिपोर्ट में लिखा है कि धान की लाखों एकड़ ज़मीन पानी में डूब गई है । चूंकि इस का हमारी खाद्य समस्या पर प्रभाव पड़ता है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की काश्तकारों को दूसरी फ़सल उगाने के लिये सहायता देने के बारे में कोई योजना है ?

डा० काटजू : सरकार को कुछ दिन और दिये जाने चाहियें । जैसा मैं कह चुका हूं, अभी यह निश्चित करना है कि इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये किस बात की ज़रूरत है और किस की नहीं । डूबे हुए क्षेत्रों आदि के बारे में पूरी पूरी सहायता दी जायेगी ।

श्री राघवय्या: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गोदावरी की बाढ़ के कारण इतनी जन-हानि हुई है और फ़सलों तथा सिंचाई की नहरों को बहुत नुक़सान हुआ है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या मद्रास सरकार द्वारा पीड़ितों तथा अन्य प्रभावित व्यक्तियों को सहायता देने के बारे में बनाई गई योजना के अलावा भारत सरकार भी कोई योजना बना रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मद्रास सरकार जो कर रही है उस के अलावा क्या भारत सरकार ने अपनी कोई अलग योजना बनाना सोचा है ?

डा० काटजू : भारत सरकार के लिये अपनी अलग योजनायें बनाना अनुचित होगा । इस समस्या का सम्बन्ध पहले राज्य सरकार से है । हम उन की अन्तिम रिपोर्ट और अन्तिम प्रार्थना की प्रतीक्षा कर रहे हैं । यह सच है कि यह बहुत बड़ी है । जहां तक मुझे मालूम है उड़ीसा और बंगाल में इस तरह की बाढ़ें आ चुकी हैं । दामोदर नदी और कोसी नदी में अक्सर बाढ़ें आती हैं जिन से काफ़ी नुक़सान होता है । हर जगह यही हालत है ।

श्री के० एस० राव : (तेलगू में बोले)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या सरकार खेतिहर मज़दूरों को मुफ्त खाना बांट रही है ।

डा० काटजू: मैं इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर नहीं दे सकता । परन्तु रिपोर्ट से पता चलता है कि सरकारी तथा विश्वसनीय गैरसरकारी संस्थाओं दोनों ही द्वारा काफ़ी मात्रा में मुफ्त खाना बांटा गया था । राजामंड्री में अनाज की २९ दुकानें खोल दी गई थीं । माननीय मित्र मज़दूरों और अन्य व्यक्तियों में भेद कर रहे हैं। मद्रास सरकार बिना किसी भेदभाव के सब ग़रीब लोगों को सहायता देती रही है । मद्रास सरकार ने जो कुछ कहा है उस के अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें उन पदाधिकारियों तथा ग्राम निवासियों के प्रति आभारी होना चाहिये जिन के निडर एवं निस्वार्थ प्रयत्न के फलस्वरूप इस महान आपत्ति का मुकाबला किया जा सका है । यह समस्या दो दिन के अन्दर खड़ी हो गई थी और मद्रास सरकार ने—बड़े से बड़े पदाधिकारी से ले कर छोटे से छोट कर्मचारी और ग्राम निवासी ने पूरे परिश्रम के साथ अपने आप को तथा दूसरों को बचाने और उन की सहायता करने का प्रयत्न किया । संयुक्त प्रयत्न के द्वारा क्या किया जा सकता है उसका मैं समझता हूं यह एक ज्वलंत उदाहरण है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी: मै जानना चाहता हूं कि हैदराबाद राज्य के कितने गांव प्रभावित हुए थे ?

डा० काटजू: मुझे नहीं मालूम ।

श्री एच० एन० मुकर्जी: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश के विभिन्न भागों में बार बार बड़े पैमाने पर बाढ़ आती है, जिस की ओर मंत्री महोदय ने निर्देश किया है, सरकार पिछले अनुभव से सबक क्यों नहीं सीखती और इस प्रकार के अवसरों पर शीघ्र सहायता देने के लिए तैयार क्यों नहीं रहती ?

डा० काटजू: मेरे विचार में यदि माननीय सदस्य रिपोर्ट पढ़ें, तो वे देखेंगे कि इस अवसर पर सरकार ने बिजली की तेज़ी से काम किया है ।

श्री सारंगधर दास: श्रीमान, यदि कृषकों को डूब हुए खेतों में दूसरी फसल उगाने के लिये, और नुकसान पहुंची हुई फसलों के लिये कोई सहायता दी जानी है, तो क्या इस प्रयोजन के लिये अन्तिम कर-निर्धारण में विलम्ब नहीं हो जायेगा ?

डा० काटजू: जूंही पानी कम होगा और यदि फसल उगाना संभव हुआ तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वहां के कृषक को हम से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । वह दूसरी फसल वहां उसी समय बोएगा और यदि किसी सहायता की आवश्यकता पड़ी, तो मद्रास सरकार और नई आंध्र सरकार यह सहायता देगी ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह एक बहुत बड़ी आपत्ति है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार मुख्य मंत्री या गैर-सरकारी अभिकरणों के द्वारा अन्य राज्यों में सहायता के कोई गैर-सरकारी उपाय कर रहे हैं ?

डा० काटजू: मेरे विचार में कुछ रुपया दिया गया है । प्रधान मंत्री ने कुछ सहायता दी है और मेरे सहयोगी श्री गिरि राजामन्द्री गये हैं और वे स्वयं वहां की स्थिति देख कर एक रिपोर्ट देंगे । गैर-सरकारी संस्थाओं ने भी कुछ चन्दा इकट्ठा किया है और मद्रास में सहायता निधि भी जारी की गई है ।

डा० राधा राव: श्रीमान, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बाढ़ से बहुत से हाथकर्घा बुनकरों को नुकसान पहुंचा है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का उन बुनकरों को जो कि तबाह हो गये हैं

कपड़ा निधि में से कुछ अंशदान देने का कोई विचार है ?

डा० काटजू: मैं यह सुझाव मद्रास राज्य के मुख्य मंत्री को भेज दूंगा ।

श्री एन० एम० लिंगम: श्रीमान क्या यह सत्य है कि पिछले १०० मीलों में गोदावरी के बहाव की जांच नहीं की गई और इसी कारण सरकार ने पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय नहीं किये ?

डा० काटजू: मेरे विचार में इस का प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं किन्तु मैं सदन की जानकारी के लिए बतला देना चाहूंगा कि कई वर्षों से गोदावरी परियोजना सरकार के विचाराधीन रही है । अनुमान लगाया था कि आरम्भ में इस पर ११० करोड़ रुपये लागत आयेगी । बाद में मुझे पता चला कि इस पर २४० करोड़ रुपये लगेंगे । विश्व के प्रसिद्ध विशेषज्ञ इंजीनियरों की राय ली गई है और जहां तक मुझे ज्ञात है इस बात पर मतभेद है कि यह प्रस्ताव व्यवहार्य है या नहीं । किन्तु यह नहीं भूलना चाहिये कि कुछ नदियों का बहाव ऐसा ही होता है और इस सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है ?

श्री गोपाल राव: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रभावित क्षेत्रों में हैज़ा बड़े ज़ोर से फैल रहा है क्या सरकार केन्द्र से कुछ डाक्टरी मिशन और दवाइयां भेजने के लिए तैयार है ?

डा० काटजू: रिपोर्ट से पता चलता है कि बहुत से डाक्टर वहां भेजे जा चुके हैं । यदि और सहायता की आवश्यकता हुई तो भेज दी जायेगी ।

पैट्रोल और मिट्टी के तेल के मूल्य

२. **श्री एम० एल० द्विवेदी:** (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत विश्व युद्ध से पूर्व और उस के दौरान में भारत में पैट्रोल और मिट्टी के तेल के जो मूल्य थे, उन की तुलना में आज कल के मूल्य क्या हैं ?

(ख) मूल्यों में वृद्धि के कारण क्या हैं ?

(ग) आसाम आयल कम्पनी कितना प्रतिशत लाभ कमा रही है ?

(घ) पैट्रोल और मिट्टी के तेल के उत्पादन मूल्य और तटागत मूल्य क्या हैं ?

(ङ) आजकल जो मूल्य हैं उन्हें कैसे उचित ठहराया जा सकता है ।

(च) क्या सरकार मूल्यों में वृद्धि होने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए और उन्हें युद्धपूर्व स्तर पर लाने के लिए कोई पग उठा रही है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उप-मंत्री (श्री बुरागोहिन): (क) तथा (ख). युद्ध से पूर्व के पैट्रोल और मिट्टी के तेल के फुटकर मूल्य युद्ध के दौरान में अधिकतम मूल्य और इस समय प्रचलित मूल्य (मुख्य केन्द्रों के रेलवे स्टेशनों तक पहुंचा कर) सदन पटल पर रखे जाते हैं । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४४**] इस वृद्धि में अधिक करानुपात, परिवहन व्यय और अवमूल्यन आदि सम्मिलित हैं ।

(ग) पिछले कुछ वर्षों में आसाम आयल कम्पनी को बहुत लाभ हुआ है किन्तु कम्पनी का कहना है कि इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिये कि पहले वर्षों में अवितरित लाभ को पुनः व्यापार में लगा दिया जाता है और यह लाभ सूत्र धारी कम्पनी अर्थात बर्मा आयल कम्पनी लिमेटिड को होता है और उस कम्पनी का अन्तिम लाभ साधारण होता है । वह यह भी कहती है कि उस की ओर से सूत्रधारी कम्पनी बहुत सा रुपया परिमाप और पर्यवेक्षण पर खर्च करती है और इसे भी ध्यान में रखना चाहिए ।

(घ) उत्पादन मूल्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। प्रचलित तटागत मूल्यों के सम्बन्ध में आयात शुल्क के साथ लागत, बीमा, भाड़ा मूल्य ये हैं :

पैट्रोल १ रु० १० आ० प्रति गैलन।

मिट्टी का तेल ६ रु० ५ आ० ४ पा० प्रति एक ८ इम्पीरियल गैलन यूनिट।

(ङ) पैट्रोलियम की वस्तुओं के मूल्य का ढांचा उस सूत्र पर आधारित है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत जहाज़ तक पहुंचा कर गल्फ़ मूल्य के आधार पर तेल कम्पनियों और सरकार के बीच निश्चित किया गया है।

(च) चूंकि वर्तमान प्रबंध के अधीन तेल कम्पनियां अपने फुटकर मूल्य सरकार से परामर्श कर के निश्चित करती हैं सरकार को इन मूल्यों का पुनरीक्षण करने के बहुत अवसर मिलते हैं और परिस्थितियों के अनुसार सरकार यह खयाल रखती है कि इन में कोई अनुचित वृद्धि न हो।

श्री एम० एऊ० द्विवेदी : माननीय मंत्री ने मेरे प्रश्न के भाग (ख) का कि आसाम आयल कम्पनी कितना प्रतिशत लाभ कमा रही है, ठीक ठीक उत्तर नहीं दिया।

श्री बुरागोहिन : मैं ने कहा है कि उसे बहुत लाभ हो रहा है। १९४८ से १९५१ तक के चार वर्षों में आसाम आयल कम्पनी को जो लाभ हुआ है, उस के आंकड़े सरकार को मालूम हैं और हिसाब लगाने से यह १०० प्रतिशत से ३०० प्रतिशत तक होता है।

श्री एम० एऊ० द्विवेदी : मंत्री महोदय बतलायेंगे कि इस का क्या कारण है कि युद्ध के दिनों से पैट्रोल और मिट्टी के तेल के मूल्य दुगने से भी अधिक हो गये हैं ?

श्री बुरागोहिन : यह सत्य है कि बढ़िया किसम के मिट्टी के तेल के मूल्य में ९१ प्रतिशत और घटिया किसम के मिट्टी के तेल के मूल्य में १०४ प्रतिशत वृद्धि हुई है, परन्तु इस का कारण अवमूल्यन परिवहन व्यय में वृद्धि और कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि है।

श्री एम० एऊ० द्विवेदी : श्रीमान, मैं जान सकता हूं कि माननीय मंत्री को विदित है कि विवरण में पैट्रोल का मूल्य २ रु० ५ आ० प्रति गैलन बतलाया गया है, परन्तु उपभोक्ता को २ रु० १३ आ० ६ पा० प्रति गैलन देना पड़ता है। मैं इस अन्तर का कारण जान सकता हूं ?

श्री बुरागोहिन : मैं ने पैट्रोल का मूल्य २ रु० ५ आ० बतलाया है और यह केन्द्रों अर्थात बन्दरगाहों के रेलवे स्टेशन तक है। इस में अन्य कर जैसा कि विक्रय कर, जो कि लगभग ६ आना है, अन्तर्देशीय परिवहन व्यय, व्यापारी का कमीशन आदि जोड़ने पड़ते हैं।

श्री सर्मा : क्या यह सत्य है कि भिन्न भिन्न राज्यों में पैट्रोल के मूल्यों में अन्तर है, और आसाम में इस का मूल्य सब से अधिक है, यद्यपि वहां विक्रय कर कम है और उत्पादन बहुत है और कम्पनी १०० प्रतिशत से ३०० प्रतिशत तक लाभ कमा रही है ?

श्री बुरागोहिन : दूसरे सदन में एक प्रश्न के उत्तर में मैं ने कहा था कि यह सत्य है कि कुछ दूर दूर के स्थानों को छोड़ कर आसाम में देश के अधिकतर भागों की अपेक्षा पैट्रोल का मूल्य अधिक है। मुख्य बात यह है कि चाहे पैट्रोल देश में पैदा किया जाये या बाहर से आयात किया जाये, इस के मूल्य का आधार एक ही है, अर्थात यह अमेरिकन गल्फ़ मूल्य पर आधारित होता है।

श्री सर्मा : माननीय मंत्री के पिछले उत्तर से ज्ञात हुआ था कि सरकार को समय समय पर पैट्रोल के मूल्यों का पुनरीक्षण करने का अवसर मिलता है। माननीय

मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस बात को कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि सरकार डिब्रूगढ़ जैसे स्थान पर जहां पैट्रोल पैदा किया जाता है, गल्फ़ तुल्यता सूत्र लागू किया जाय और भारत में अधिकतम मूल्य निर्धारित किया जाये ?

श्री बुरागोहिन : सरकार उन चीज़ों की जांच करती है जिस से मूल्य बनता है। इस मूल्य के ढांचे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जिन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं जैसा कि जहाज़ तक मैदिसको गल्फ़ मूल्य जो कि निश्चित है और जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। परन्तु कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसा कि कम्पनी का लाभ, अन्तर्देशीय परिवहन व्यय और समुद्री हानि, जिन की सरकार समय समय पर जांच करती है और जांच के बाद मूल्य बढ़ाये या घटाये जाते हैं।

श्री सर्मा : आधुनिक अर्थशास्त्र में सरकार को उद्योग, सहभागी समझा जाता क्योंकि सरकार के संरक्षण के बिना कोई उद्योग चल नहीं सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्य को बहस करने की आवश्यकता नहीं।

श्री सर्मा : ठीक है, किन्तु इतना असाधारण मूल्य लेने वाली कम्पनी को संरक्षण देने का औचित्य क्या है .....

उपाध्यक्ष महोदय : असाधारण लाभ ?

श्री सर्मा : असाधारण मूल्य।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बार बार उसी बात की ओर निर्देश करते हैं। इस की क्या आवश्यकता है ?

श्री सर्मा : यह बात याद होगी कि एक प्रबन्धक नें गोली से मार दिया गया था...

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सीधा प्रश्न पूछें। क्या वे यह जानना चाहते हैं कि कम्पनी ३०० प्रतिशत लाभ क्यों ले जिस का अर्थ यह होगा कि प्रत्येक राज्य में मूल्य बढ़ेगा ?

निर्माण, गृह-व्यव स्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : मैसर्ज़ आसाम आयल कम्पनी लि० मैसर्ज़ बर्मा आयल कम्पनी की एक सहायक कम्पनी है। यह कम्पनी ब्रिटेन में रजिस्टर्ड है। मैसर्ज़ आसाम आयल कम्पनी की सारी जारी की गई अंश पूंजी उन के पास है। युद्धोत्तर काल में मैसर्ज़ बर्मा आयल कम्पनी ने हिस्सेदारों को जो लाभांश दिया है, वह निम्न है :—

१९४६—१२,१/२ प्रतिशत
१९४७—१२,१/२ प्रतिशत
१९४८—१२,१/२ प्रतिशत
१९४९—१५ प्रतिशत
१९५०—१५ प्रतिशत
और ६ प्रतिशत बोनस
१९५१—२१ प्रतिशत
१९५२—१५ प्रतिशत

यदि इन आंकड़ों की तुलना अन्य कम्पनियों द्वारा अपने हिस्सेदारों को दिये गये लाभांश से, जोकि निम्न है, की जाये तो यह बहुत अधिक नहीं मालूम होंगे :

ऐंग्लो-इरानियन आयल कम्पनी—३५ प्रतिशत;

राय डच पैट्रोलियम कम्पनी—१६ प्रतिशत;

शैल ट्रांसपोर्ट ट्रेडिंग कम्पनी—१५ प्रतिशत;

ऐंग्लो-इजिपशन आयल फील्ड्स—१२,१/२प्रतिशत।

श्रीमान्, इस के साथ यह याद रखना भी आवश्यक है कि हम अपनी पैट्रोलियम की आवश्यकताओं के लिये, आयातों पर निर्भर हैं और आसाम आयल कम्पनी हमारी आवश्यकताओं का केवल थोड़ा सा भाग ही पूरा करती है।

डा० राम सुभग सिंह : माननीय मंत्री ने अभी आसाम कम्पनी के नफों की एन्गलो ईरानियन कम्पनी के नफों से तुलना की है। श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार भी वे उपाय करेगी जो डा० मुसद्दक ने एन्गलो-ईरानियन कम्पनी के विरुद्ध किए थे ?

सरदार स्वर्ण सिंह : हमारा डा० मुसद्दक के तरीके को अपनाने का कोई इरादा नहीं है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं जान सकती हूं कि क्या पैट्रोल के मूल्य के प्रश्न की जांच के लिये मंत्रिमडल की किसी उप-समिति के नियुक्त करने की कोई प्रस्थापना की गई है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : ये सब प्रश्न सरकार के सामने सदैव ही रहते हैं तथा एक की या सभी मंत्रियों की उपसमिति बनाने की कोई जरूरत नहीं है ।

श्री सर्मा : क्या सरकार तथा आसाम आयल कम्पनी में कोई बातचीत हुई है तथा यदि ऐसा है तो परिणाम क्या है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : हाल में बातचीत हुई थी तथा आसाम आयल कम्पनी से इस मामले के सम्बन्ध में अग्रेतर पत्र व्यवहार आदि हो रहा है ।

श्री जयपाल सिंह । माननीय मंत्री ने कहा है कि उत्पादन की लागत सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । क्या मैं इसका कारण जान सकता हूं ? यदि वह उसका उत्तर नहीं दे सकते तो क्या सरकार बतलायेगी कि १९२८ के पैट्रोल के उत्पादन की एक आना प्रति गैलन लागत से अब यह लागत कितनी बढ़ गई है ?

श्री बुरागोहिन : इस प्रकार का जो अन्तर्राष्ट्रीय रूप से माना हुआ आधार है, वह तो लागू है ही लागत के तथ्यों में जाने का कोई प्रयोजन नहीं है । लागत कुछ भी हो, मूल्य अमरीकन गल्फ आधार पर निश्चित किए गये हैं ।

श्री जयपाल सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि ब्रिटिश आयल कम्पनी तथा आसाम आयल क्षेत्र की उत्पादन की लागत क्रमशः क्या है ?

श्री बुरागोहिन : ये आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री जयपाल सिंह : क्यों नहीं, क्या वे देश की सरकार को भी उपलब्ध नहीं हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चहते हैं कि क्या सरकार ने इस की गणना की है या नहीं अथवा क्या वह ऐसा करना अनावश्यक समझती है, अथवा क्या सरकार के पास कोई हिसाब नहीं है ?

श्री बुरागोहिन : माननीय सदस्य को मैं बतला दूं कि हमने इस प्रश्न को आसाम आयल कम्पनी से उठाया है ।

डा० एस० एन० सिंह : मैं जान सकता हूं कि पेट्रोल की लागत के अधिक होने से सड़क यातायात को कहां तक हानि पहुंची है तथा कितने व्यक्तियों को बेकारी का सामना करना पड़ा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम प्रश्न से बहुत परे जा रहे हैं ।

श्री सारंगधर दास : इस उत्तर के निर्देश से कि अमरीकन मूल्य विश्व मूल्य का आधार है, क्या हम यह समझें कि हमारे आसाम के तेल के मैदानों में उत्पादित तेल के मूल्यों को तेल उद्योग में अमरीकन पूंजी की इच्छानुसार ही निश्चित करना होगा ?

श्री बुरागोहिन : इस समय स्थिति यही है। मूल्य का आधार 'अमरीकन गल्फ'

मूल्य है । वास्तविक स्थिति यही है। यह अलग बात है कि हम इस में विवश हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मौजूदा पेट्रोल में कितना प्रतिशत अलकोहल मिलाया जाता है और उसी तरह चार्ज की जाती है जिस तरह इम्पोर्टेड गैसोलिन पर चार्ज की जाती है ? ऐसा क्यों है ?

श्री बुरागोहिन : मुझे इस प्रश्न की पूर्वसूचना चाहिए ।

श्री पुन्नूस : श्रीमान्, मंत्री महोदय ने कहा है कि सरकार को उत्पादन की लागत का पता नहीं है । मैं जान सकता हूं कि क्या उन्होंने उत्पादन आदि के जो सभी आंकड़े दिये हैं तथा उस मूल्य को स्थिर रखने के लिये जो युक्तियां दी गई हैं, वे कम्पनी द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित हैं तथा क्या सरकार को स्वतंत्र रूप से इसका कोई पता नहीं है ?

श्री बुरागोहिन : सरकार के पास लाभ तथा हानि लेखा मौजूद है तथा मैं उसी के आधार पर नफों के सम्बन्ध में जानकारी दे रहा हूं ।

डा० एम० एम० दास : मैं जान सकता हूं कि ईरानियन आयल कम्पनी ने पैट्रोल तथा मट्टी के तेल को देश में इस समय के चालू मूल्यों के ५० प्रतिशत पर बेचने की प्रस्तावना की है ?

श्री बुरागोहिन : मैं इसका उत्तर पिछले सत्र में दे चुका हूं । मैंने कहा था कि ईरानियन आयल कम्पनी ने अवश्य ही ऐसी प्रस्तावना की थी । परन्तु स्थिति यह है कि सरकारी खाते में हम तेल की किसी मात्रा का आयात नहीं करते हैं । तेल के निर्यात को निजी व्यापार पर छोड़ दिया गया है तथा हमारी जो आवश्यकतायें होती हैं, वे हम देश के निजी व्यापारियों से पूरी कर लेते हैं ।

डा० एम० एम० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार की नीति यह है कि तेल को सरकारी आधार पर आधे मूल्यों पर खरीदने की बजाय निजी कम्पनियों से दुगने मूल्यों पर खरीदा जाय ?

श्री बुरागोहिन : श्रीमान्, जहां तक मुझे मालूम है कि ईरानी सरकार की प्रस्तावना जापान तथा अमरीका जैसे कुछ देशों के लिये ही थी तथा भारत के लिये नहीं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या विधि में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिस से सरकार इन कम्पनियों को उत्पादन की लागत के बतलाने के लिये विवश कर सकती है तथा यदि कोई उपबन्ध नहीं है तो क्या विधि का संशोधन करने की कोई कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बुरागोहिन : मैं समझता हूं कि आसाम आयल कम्पनी की—जो देश की एक मात्र उत्पादक कम्पनी है—उत्पादन की लागत निकालने में कोई कठिनाई पेश नहीं आयेगी । परन्तु अभी तक हमने मामले के इस पहलू पर विचार नहीं किया है क्योंकि हमने सोचा कि वर्तमान स्थिति में, जब अमरीकन गल्फ मूल्य हमारे मूल्यों का आधार है इस की जांच करने से कोई लाभ नहीं है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : आसाम आयल कम्पनी के नफ़ों को सामने रखते हुए तथा उक्त कम्पनी द्वारा अपने भारतीय कर्मचारियों के प्रति दुर्व्यवहार के अनेक आरोपों पर विचार करते हुए, क्या सरकार कम्पनी को अपने हाथों में लेने के लिये उद्योग अधिनियम को लागू करने का विचार कर रही है; यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक कार्यवाही का सुझाव है ।

श्री श्यामनन्दन सहाय : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये अन्तिम उत्तर को दृष्टि में

रखते हुए मैं पूछ सकता हूं कि क्या सरकार का विचार देश में पैट्रोल तथा अन्य वस्तुओं के उत्पादन की लागत से सदैव अनभिज्ञ रहने का है ?

श्री सर्मा : श्रीमान्, वायु यातायात मंत्रणा समिति १९५० की टिप्पणी के निर्देश से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 'आयल कम्बाईन' ने भारत के प्रति विभेद का करना बन्द कर दिया है; तथा, यदि ऐसा नहीं है तो इस प्रयोजन से सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? माननीय मंत्री की सूचना के लिए मैं बतला दूं कि कलकत्ता में १००/१३०— विमान चालन ईंधन १–९–३ रु० पर मिल सकता है जबकि आस्ट्रेलिया में जो अधिक दूर है, यह १–४–६ रु० पर मिलता है ? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अब यह विभेद बन्द हो गया है तथा यदि नहीं तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री बुरागोहिन : इसमें विभेद का कोई प्रश्न नहीं है । मेरे पास यहां पर संसार के विभिन्न देशों में पैट्रोल के परचून मूल्यों सम्बन्धी आंकड़े मौजूद हैं । यदि माननीय सदस्य को आवश्यकता हो तो मैं उन्हें यह सूची दे सकता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : उनकी शिकायत यह है कि उत्पादन के स्थान पर भी लागत उतनी ही है जितनी कि उस स्थान में जहां हज़ारों मील परे इसे ले जाया जाता है । माननीय मंत्री इस पर विचार के लिये समय ले सकते हैं ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : श्रीमान् आप इस मामले पर चर्चा की तिथि निश्चित करें तथा इसी समय ताकि मंत्रालय बाद में उसे टालने का कोई बहाना न कर सके ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप नियमित रूप से इसकी सूचना दें । इसमें अधिक समय नहीं लगेगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

खाद्य नीति

*८९३. **पंडित एम० बो० भार्गव :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि संसद् के पिछले सत्र के दौरान भारत सरकार के खाद्य मंत्री द्वारा घोषित नीति के बाद विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के अनाज के मूल्यों के नियंत्रण तथा लाने ले जाने के सम्बन्ध में किस नीति का अनुसरण किया जा रहा है ?

(ख) क्या विभिन्न राज्यों का कोई क्षेत्रीय वर्गीकरण किया गया है जिन में अनाज के लाने ले जाने पर से नियंत्रण को पूर्णतः हटा दिया गया है ?

(ग) यदि ऐसा है तो देश को कितने हल्कों में बांटा गया है ?

(घ) देश की सामान्य खाद्य परिस्थिति पर इस नीति का क्या प्रभाव पड़ा है ?

(ङ) क्या प्राप्त हुए अनुभव से सरकार अपनी नीति में किसी परिवर्तन के करने का विचार कर रही है ?

(च) यदि ऐसा है तो किस बारे में परिवर्तन की सम्भावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) इस सम्बन्ध में सदन पटल पर रखे गए श्री दाभी द्वारा ४–८–५३ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ७८ के उत्तर सम्बन्धी दो विवरणों की ओर ध्यान दिलाया जाता है । उक्त विवरणों में प्रत्येक राज्य में अनाज के लाने ले जाने तथा अनाज के मूल्यों से नियन्त्रण के हटाने की नीति सम्बन्धी प्रगति का विस्तार से उल्लेख किया गया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) से (च). प्रश्न नहीं उठते हैं ।

मनीपुर में फसलों को हानि

*९०२. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मनीपुर के कई पहाड़ी इलाकों में धान के पोधों को कीड़ों तथा चूहों द्वारा बहुत हानि पहुंचाई गई है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो फसलों को अधिक हानि से बचाने तथा प्रभावित व्यक्तियों की सहायता के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) राज्य सरकार को धान के पौदों को उखरूल क्षेत्र में कीड़ों, टिड्डी, चूहों आदि से अत्यन्त हानि के पहुंचने की रिपोर्ट मिली है। मौके पर जांच से पता चला कि ढलानों के खेतों में फस्लों को कीड़ों आदि से कोई हानि नहीं पहुंची है। झुम क्षेत्रों में (जहां पहाड़ियों की ढलानों पर खेती होती है) कुछ हानि देखने में आई है जो कोई बहुत अधिक नहीं है।

(ख) उखरूल फार्म में कीटनाशक, चूहानाशक तथा कुछ झाड़ने और छिड़कने की वस्तुएं रखी गई हैं तथा राज्य सरकार ने आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्यवाही करने के आवश्यक अनुदेश जारी कर दिये हैं।

पत्तनों पर गहराई का अध्ययन करने के लिये समिति

*९०३. **श्री रघुनाथ सिंह :** (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार ने पत्तनों पर गहराई का अध्ययन करने के लिये राष्ट्रीय समिति नियुक्त की है ?

(ख) यदि यह सही है तो क्या उक्त समिति ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) समिति निर्माण करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

उत्तर प्रदेश में नलकूप

*९०४. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी ज़िलों में सिंचाई की समुचित सुविधायें प्रदान करने की दृष्टि से प्रथम पंचवर्षीय योजना में २,००० नलकूपों के निर्माण की व्यवस्था की गई है ?

(ख) क्या यह सच है कि २,००० में से ४६५ नलकूपों का निर्माण कार्य लिया जाकर योजना की अवधि में तब तक पूरा नहीं किया जा सकता जब तक कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त कार्य को आरम्भ करने के आदेश प्राप्त होकर आवश्यक निधि उपलब्ध नहीं हो जाती ?

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है ?

(घ) सरकार के पास इस विषय में क्या प्रस्ताव हैं कि उत्तर प्रदेश के अभावग्रस्त पूर्वी क्षेत्र में २००० नलकूपों के निर्माण की व्यवस्था प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में सम्पन्न की जा सके ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) उत्तर प्रदेश की पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ में केवल एक हजार नल कूपों के निर्माण की व्यवस्था थी। किन्तु बाद में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व करने पर टेकनीकल सहयोग प्रशासन से सहायता

उपलब्ध होने की शर्त पर उक्त संख्या दो हजार नलकूपों तक बढ़ा दी गई।

(ख) हां।

(ग) नहीं।

(घ) टेकनीकल सहयोग प्रशासन की योजनाओं के अतर्गत १२७५ नलकूपों और राज्यकीय योजना के तअंगर्त २६० नलकूपों के निर्माण का भारत सरकार ने अनुमोदन कर दिया है और यह पंचवर्षीय योजना की निर्धारित अवधि में पूर्ण हो जायगा। शेष ४६५ नलकूपों का निर्माण कार्य वर्तमान योजना की अवधि के मध्य विदेशी सहायता के अतर्गत आगे के कार्यक्रम पर निर्भर है।

तिक्तातु शुल्बीय (अमोनियम सल्फेट)

*९०५. **श्री राजगोपाल राव:** (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय उर्वरक संकोष से सन् १९५३ में मद्रास राज्य को अमोनियम सलफेट की कितनी मात्रा की पूर्ति की गई?

(ख) क्या सरकार ने पूर्व वर्ष के बटवारे का कोई संतुलन प्रकट किया था?

(ग) प्रथम अगस्त, १९५३ को राज्य सरकार के पास अयोनियम सलफेट की कुल कितनी राशि थी?

(घ) अमोनियम सलफेट का मूल्य कितना है?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) दिनांक २१ अगस्त, १९५३ तक १४,००० टन।

(ख) हां—१,०६,७२७ टन।

(ग) ६५,८९६ टन।

(घ) यह मद्रास बन्दर पर ३३५ रु० प्रति टन की मर्यादा में राज्य के दूरवर्ती स्थानों पर ३८० रु० ८ आ० से ३९८ रु० प्रति टन के भीतर अनेक स्थानों पर भिन्न भिन्न है।

मद्रास को खाद्यान्न का सम्भरण

*९०६. **श्री राजगोपाल राव:** (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय संकोष से सन् १९५३ में मद्रास सरकार को प्रदाय किये गये गेंहूं और धान की कुल राशि कितनी है?

(ख) उसका मूल्य क्या है?

(ग) पहली अगस्त, १९५३ को राज्य सरकार के पास दोनों प्रकार के खाद्यान्नों की कुल कितनी राशि है?

(घ) उसका मूल्य कितना है?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) १९५३ में अभी तक मद्रास को निर्धारित किये गये गेंहूं और चावल का कुल परिमाण क्रमश: ६२,००० टन और १५७,००० टन है।

(ख) और (घ). मद्रास राज्य से सूचना संग्रहीत की जा रही है और ज्यों ही वह उपलब्ध होगी, सदन पटल पर रख दी जायगी।

(ग) १२,८०० टन गेंहू और २०२,२०० टन चावल।

कोयला खानों में काम करने वाले श्रमिकों का वेतन निर्धारण

*९०८. **श्री विट्ठल राव:** क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कोयला खानों के श्रमिकों के वेतन निर्धारण के प्रश्न का अध्ययन करने वाले बोर्ड की केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्ति कर दी गई है?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): कोयला खानों के अनेक विवादों के विनिश्चय के लिये सरकार शीघ्र ही एक औद्योगिक अभिकरण की स्थापना करेगी। विनिश्चय का एक विषय कोयला खानों में वेतन निर्धारण भी रहेगा।

मध्य भारत में रेलवे लाइन

*९०९. **श्री डामर:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार के पास मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्र में किसी नवीन रेलवे लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि यह सही है तो कार्य आरम्भ किये जाने का अनुमानित समय;

(ग) उन विशिष्ट जिलों, तहसीलों और स्टेशनों के नाम जिनमें होकर रेलवे लाइन का निर्माण किया जायेगा; और

(घ) क्या उक्त लाइन का परिमाप कार्य गत वर्ष पूर्ण किया जा चुका है अथवा इस वर्ष किया जाने वाला है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां): (क) वर्तमान में नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

(घ) इंदौर और दोहद के बीच गवेषणा के रूप में परिमाप की स्वकृति दी जा चुकी है और प्रतिवेदन प्रतीक्षित है ।

मुख्य फार्म केन्द्र

४८६. **श्री दाभी:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) बम्बई राज्य में मुख्य फार्म केन्द्रों की संख्या और वे स्थान जहां पर कि उक्त केन्द्र स्थित हैं ।

(ख) उक्त केन्द्रों में रखे गये पशुओं की संख्या और प्रकार; और

(ग) वे साधन जिनसे उक्त केन्द्रों का खर्च पूरा होता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) से (ग). अपेक्षित सूचना युक्त विवरण-पत्र सन्निहित है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४५]

यात्री सहायक

४८७. **श्री धूसिया:** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर और उत्तर पूर्वी रेलों के विभिन्न स्टेशनों पर नियुक्त यात्री सहायकों की कितनी संख्या है ?

(ख) उनमें से कितने अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) उत्तर और उत्तर पूर्वी रेलों के विभिन्न स्टेशनों पर नियुक्त यात्री सहायकों की संख्या का विवरण निम्न है :—

उत्तर रेलवे

१. दिल्ली	४
२. अम्बाला कैंट	२
३. सहारनपुर	२
४. अमृतसर	२
५. जालंधर नगर	२
६. लुधियाना	२
७. अलाहाबाद	१
८. कानपुर	१
९. टूंडला	२
१०. लखनऊ	१
११. बनारस कैंट	३
१२. हरद्वार	२
१३. बरेली	१
योग:	२५

पूर्वोत्तर रेलवे

१. अलाहाबाद	१
२. समष्टिपुर	३
३. दरभंगा	२
४. मुजफ्फरनगर	३

५. सोनपुर	३
६. गोरखपुर	३
७. गोंडा	२
८. बरेली नगर	२
९. लखनऊ	२
१०. बनारस	२
११. मनिहारी घाट	२
१२. कटिहार	१
१३. बदरपुर	२
१४. टिनसुकिया	२
योग :	३०

(ख) कोई नहीं ।

खाद्यान्नों का आयात

४८८. **पंडित एम० बी० भार्गव :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५३ में जनवरी से भारत में आयात किये गये खाद्यान्न का परिमाण और मूल्य कितना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : सन् १९५३ में जनवरी से जुलाई तक लगभग ६९ करोड़ रुपये के मूल्य की विभिन्न अनाजों की कुल १५,६७ लाख टन राशि विदेशों से आयात की गई ।

राष्ट्रीय राजपथ

४८९. **श्री के० पी० त्रिपाठी :** क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत के विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राज पथ कहे जाने वाले सीमेंट कंकरीट और धूअजतुमय मार्ग प्रत्येक राज्य में कितने मील है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण पत्र सदन पटल पर रखा है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ४६]

बैजवाड़ा के दंगों से उत्पन्न दावे

४९०. **डा० अमीन :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) दिनांक १६ दिसम्बर, १९५२ अथवा उसके लगभग बैजवाड़ा के दंगों के फलस्वरूप प्रेष्य माल के खोने के सम्बन्ध में दक्षिण रेलवे के पदाधिकारियों द्वारा प्राप्त दावों की संख्या तथा उनमें सन्निहित रकम;

(ख) स्वीकृत तथा तय किये गये दावों की संख्या और इस तरह के मामलों में क्षतिपूर्ति हेतु दी गई कुल निधि;

(ग) अस्वीकृत दावों की संख्या और कुल राशि ?

(घ) इस प्रकार के विचाराधीन दावों की संख्या तथा उनकी राशि ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) प्राप्त दावों की संख्या २०४४ थी । सन्निहित रकम केवल १०८३ मामलों में निर्दिष्ट की गई थी और उनका कुल मूल्य १०,९३,४७१ था ।

(ख) ५,४१३ रु० के १२ दावे ।

(ग) १८८६ दावे अस्वीकृत कर दिये गये । सन्निहित रक़म केवल ९९७ मामलों में निर्दिष्ट थी और उनका कुल मूल्य १०,९३,४७१ रु० था ।

(घ) १४६ मामले अभी विचाराधीन हैं । सन्निहित रकम केवल ७४ मामलों में निर्दिष्ट है और उनका कुल मूल्य ३८,७७३ रु० है ।

शुक्रवार,
२८ अगस्त, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

शुक्रवार, २८ अगस्त, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९-४७ पू० म०

राज्य परिषद से प्राप्त संदेश

सचिव: श्रीमान्, मैं राज्य परिषद के सचिव से प्राप्त हुए दो सन्देशों की सदन को सूचना देना चाहता हूं :—

(१) राज्य—परिषद के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १२५ के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक-सभा को यह सूचना देने का निदेश दिया गया है कि राज्य-परिषद ने अपनी २६ अगस्त, १९५३ की बैठक में केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९५२ को, जिसे लोक-सभा ने अपनी ५ अगस्त, १९५३ की बैठक में पारित किया था, बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।"

(२) राज्य परिषद् के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १२५

के उपबन्धों के अनुसार, मुझे लोक-सभा को यह सूचना देने का निदेश दिया गया है कि राज्य-परिषद् ने अपनी २७ अगस्त, १९५३ की बैठक में सांख्यकी संग्रह विधेयक, १९५२ को जिसे लोक-सभा ने अपनी ६ अगस्त, १९५३ की बैठक में पारित किया था बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

सदन-पटल पर रखे गए पत्र

भारत में तेल-शोधक कारखानों सम्बन्धी समझौते

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): मैं भारत सरकार तथा कुछ तेल कम्पनियों में भारत में तेल-शोधक कारखानों की स्थापना के सम्बन्ध में हुए समझौतों की प्रतिलिपियां सदन पटल पर रखता हूं ।

[देखियें परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७]

सम्पदा शुल्क विधेयक—(जारी)

उपाध्यक्ष महोदय: अब सदन सम्पदा शुल्क पर अग्रेतर विचार को आरम्भ करेगा । श्री भगत ।

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री बी० आर० भगत) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २ में —

पंक्ति ४६ के बाद

"(16 A) "Public charitable purposes" includes relief of the poor education, medical relief and

[श्री बी० आर० भगत]

the advancement of any other object of general public utility, but does not include any purpose which is expressed to be for the benefit of any particular religious community.

Explanation.—A purpose which is expressed to be for the benefit of scheduled castes, backward classes, scheduled tribes or of women and children shall not be deemed to be for the benefit of a particular religious community within the meaning of this clause.'

['१६ (ए) "सार्वजनिक पूर्त प्रयोजन" में ग़रीबों की सहायता, शिक्षा, चिकित्सा सम्बन्धी सहायता अथवा किसी अन्य जनोपयोगी कार्य की उन्नति शामिल है, परन्तु इस में ऐसा कोई प्रयोजन शामिल नहीं है जो किसी विशेष धार्मिक समुदाय की भलाई के लिए बतलाया गया हो ;

व्याख्या ––अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित आदिमजातियों अथवा स्त्रियों और बच्चों की भलाई के किसी प्रयोजन को इस खण्ड के अर्थों के अन्तर्गत किसी विशेष धार्मिक समुदाय की भलाई का प्रयोजन नहीं समझा जायगा ']

को आदिष्ट किया जाय ।'

श्री धुलेकर (झांसी ज़िला––दक्षिण]: मैं एक औचित्य प्रश्न करना चाहता हूं । मेरा कहना है कि

"परन्तु इस में ऐसा कोई प्रयोजन शामिल नहीं है जो किसी विशेष धार्मिक समुदाय कीभलाई के लिए बतलाया गया हो"

शब्द शक्ति-परस्तात है तथा संविधान के विरुद्ध । मूल अधिकारों के अध्याय में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को किसी धर्म के अपनाने, प्रचार करने और उसका अनुसरण करने का एक समान अधिकार दिया गया है । मेरा औचित्य प्रश्न यह है कि इस प्रकार की व्यवस्था से संविधान का ध्येय जाता रहेगा । संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को किसी धर्म के ग्रहण करने का अधिकार दिया गया है । कल्पना कीजिये कि मैं अपनी मत्यु के बाद १ करोड़ रुपया किसी मन्दिर के बनाने के लिए छोड़ जाता हूं । अब यदि वर्तमान दरों पर ४६ लाख रुपये सरकार को सम्पदा शुल्क के रूप में चले जायें तो मन्दिर बनाने का विचार कभी पूरा नहीं हो सकेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य का आशय यह है कि संविधान में उपासना की स्वतन्त्रता की व्यवस्था के होते हुए भी इस प्रकार का उपबन्ध विभेदात्मक होगा ?

श्री धुलेकर : नहीं, श्रीमान्, मेरा निवेदन यह है कि इससे उस व्यक्ति के अधिकारों की हानि होती है जिसे संविधान के अन्तर्गत स्वतन्त्रता की गारंटी दी गई है । यदि आप उस व्यक्ति द्वारा दी गई भेंट या इच्छापत्र के अनुसार किसी विशेष प्रयोजन के लिए छोड़े गए धन के एक काफ़ी बड़े भाग को सम्पदा शुल्क के रूप में सरकारी कोष में डाल देते हैं तो संविधान के अन्तर्गत उसे स्वतन्त्रता देने का सारा विचार निरर्थक सा हो जाता है ।

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान्, हम कुछ निश्चित जन-पूर्त प्रयोजनों के सम्बन्ध में यहां कुछ रियायत की व्यवस्था करना चाहते हैं । अन्यथा सभी भेंटों को मृत्यु से

दो वर्ष पहले घोषित करना पड़ेगा । यहां हमारा कहना है कि कुछ निश्चित प्रकार की भेंटों को दो वर्ष के उक्त काल तथा छः मास के अन्दर अन्दर भी माना जा सकता है । अतः धर्म के विरुद्ध कोई विभेद नहीं किया गया है । यह विभेद कुछ निश्चित पूर्त–प्रयोजनों के पक्ष में है जिनकी हमने परिभाषा कर दी है । यदि राजस्व की किसी सारभूत राशि को छोड़ा गया है तो यह केवल जन पूर्त–प्रयोजनों के बारे में ही किया गया है । मैं समझता हूं कि अनुच्छेद २५ में ऐसा कोई शब्द या वाक्य नहीं है जो इस मार्ग में बाधा उपस्थित करता हो । प्रत्यक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार उपासना करने का अधिका है, हम इस उपबन्ध से इस पर कोई रुकावट लागू नहीं करना चाहते ।

श्री गाडगिल (पूना मध्य) : क्या किसी इमारतों सम्बन्धी उपविधि को केवल इस कारण संविधान की भावना के विरुद्ध समझा जायगा कि मन्दिर को विशेष नमूने के अनुसार बनाने की उसमें व्यवस्था की गई है ? यह उपबन्ध कुछ इसी प्रकार का है ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : संविधान की प्रस्तावना म सभी समुदायों को प्रतिष्ठा तथा अवसर का एक समान अधिकार दिया गया है । अब वित्त मंत्री पूर्त-प्रयोजनों के पक्ष में विभेद कर रहे हैं । सवाल यह नहीं है कि इससे किसी उद्देश्य को ठेस पहुंचेगी या नहीं । आप किसी पुत्र के हित में की गई भेंट के लिए दो वर्ष की अवधि निश्चित करते हैं, परन्तु पूर्त-प्रयोजनों के लिए यह अवधि छः मास रखी गई है । यह एक अवाञ्छनीय विभेद है ।

श्री सी० डी० देशमुख : ये शब्द आय-कर अधिनियम में हैं जिसे हमने पिछले सत्र में पारित किया था । मैं भी उपाध्यक्ष महोदय के इस प्रश्न को उठाना चाहता हूं कि उसी औचित्य-प्रश्न को उस समय किसी ने क्यों नहीं उठाया ।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : मैं ने यह प्रश्न तब उठाया था ।

श्री धुलेकर : आयकर अधिनियम तथा इस अधिनियम में सादृश्य नहीं है । आय-कर तो चालू आय से लिया जाता है, परन्तु सम्पदा शुल्क सारी सम्पति में से वसूल किया जाता है ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : यदि आप प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक के खण्ड ९ पर दृष्टि डालें तो आप देखेंगे कि मृत्यु से दो वर्ष अथवा अधिक काल पहले की गई भेंट पर सम्पदा शुल्क लागू नहीं होता । हमारा कहना यह था कि कोई अवधि निश्चित न की जाय, परन्तु प्रवर समिति ने यह फैसला किया कि सार्वजनिक पूर्त-प्रयोजनों से घोषित की गई भेंटों के सम्बन्ध में छः मास की अवधि रखी जाय । यदि श्री भगत का संशोधन जिस में ये शब्द हैं, "किन्तु उस में ऐसा कोई प्रयोजन सम्मिलित नहीं, जो कि किसी सम्प्रदाय विशेष के हित में हो" स्वीकार कर लिया जाये, तो इस से विभेद उत्पन्न होगा और यह एक प्रत्याभूत स्वतंत्रता अर्थात समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा । उन का यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद १४ के प्रतिकूल है । यहां हम 'सार्वजनिक पूर्त निमित्त' की व्याख्या कर रहे हैं । मान लीजिये एक मुख्यतया हिन्दू निवासी नगर में एक हिन्दू मरने से पहले दो लाख रुपये का दान करता है और कहता है कि यह हिन्दूओं को दिया

[श्री एन० सी० चटर्जी]

जाये। आप का यह कहना कि इसे कर से छूट न दी जाय, उचित नहीं है। इसी तरह यदि किसी मुख्यतया मुस्लिम निवासी नगर में एक मुस्लिम दान करता है और कहता है कि यह मुस्लिमों को मिले तो यह एक पूर्णतया मान्य सार्वजनिक पूर्त न्यास होगा। अतः 'सार्वजनिक पूर्त निमित्त' की परिभाषा करते हुए, दान पर प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिए। आप इसे अवैध तो नहीं घोषित कर रहे। किन्तु इसे कर से विमुक्त न करना उचित नहीं है। मैं अपने राज्य से राज्यपाल डा० मुकर्जी का उदाहरण देता हूं। वे बंगाल के ईसाइयों के लिए बहुत दान देते रहे हैं। मेरा निवेदन है कि यह एक पूर्णतया मान्य सार्वजनिक पूर्त प्रयोजन है क्योंकि उन्हों ने अपने सम्प्रदाय के हित के लिए दान दिया है। किन्तु यदि छः मास की निर्धारित अवधि के अन्दर अन्दर उन की मत्यु हो जाये तो इस पर कर लग सकेगा। मेरे विचार में यह ठीक नहीं है। यह संविधान के शब्दों के विरुद्ध तो नहीं, इसकी भावना के विरुद्ध अवश्य है। इंगलैंड में यदि इस प्रकार का दान दिया जाय, तो इसे सार्वजनिक पूर्त के निमित्त एक अच्छा और मान्य दान समझा जाता है। इस मामले में भारत में कोई विभेद नहीं करना चाहिए।

श्री वेंकटारमन (तंजोर) : जहां तक माननीय सदस्य के औचित्य प्रश्न का सम्बन्ध है मेरा निवेदन है कि किसी धर्म को मानने, इस का पालन करने या प्रचार करने पर कोई रोक नहीं है।

जहां तक श्री चटर्जी द्वारा उठाये गये प्रश्न का सम्बन्ध है, हम यह नहीं चाहते कि पूर्त किसी विशेष धर्म या वर्ग के लिए हों। यदि कोई धमर्थि काम करना चाहता है तो वह भारत के सब लोगों के हित में होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी विशेष समुदाय के लिए।

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल--रक्षित अनुसूचित जातियां) : संविधान के अनुच्छेद २५ की ओर निर्देश करते हुए, मैं देखता हूं कि इस प्रकार का कानून बनाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : आपत्ति उठाई गई है कि वर्तमान उपबन्ध अनुच्छेद २५ के प्रतिकूल है अर्थात इस के कारण कुछ व्यक्ति बिना रोक टोक धर्म का पालन और प्रचार नहीं कर सकेंगे। मेरा निवेदन यह है कि अनुच्छेद २५ का इस उपबन्ध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं उस माननीय सदस्य से जिस ने यह औचित्य-प्रश्न उठाया है यह पूछता हूं कि क्या धार्मिक प्रयोजनों के लिए दान न देने से कोई व्यक्ति धर्म का पालन या प्रचार नहीं कर सकेगा ? मैं तो समझता हूं कि यह मुख्यतः करारोपण का प्रश्न है और धर्म के मानने, आचरण करने या प्रचार करने का प्रश्न नहीं है। यदि लौकिक प्रयोजनों के लिए, लोगों को देश की विधि के अनुसार कर देना पड़ता है तो इस से धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या कोई ऐसा कानून बनाने से जिसके अन्तर्गत सम्पत्ति पर कर लगाया जा सकता है, धार्मिक या अन्तःकरण की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लग जायेगा ? जहां तक श्री चटर्जी के इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि दान के सम्बन्ध में यह प्रतिबन्ध होने चाहिएं या नहीं, इसका निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जायेगा।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़): मैं ज़ोर देकर यह कहना चाहता हूं कि इस संशोधन पर अनुच्छेद २५ का अवश्य प्रभाव पड़ता है । यह अनुच्छेद केवल अन्तः करण की स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है । इस में "धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने" का भी उल्लेख है । धर्म के प्रचार में धर्म की शिक्षा देना भी सम्मिलित है । आप धर्म की शिक्षा के हेतु दान देने पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगा रहे हे और अबाध रूप से प्रचार नहीं करने दे रहे हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरा निवेदन है कि अबाध रूप से धार्मिक शिक्षा देना निषिद्ध नहीं है ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : जिस तरह से आप सार्वजनिक पूर्त प्रयोजनों की परिभाषा कर रहे हैं, उस से आप धर्म के मानने, आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार पर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं ! दान का ४० प्रति शत भाग आप ले लेंगे । क्या इस तरह आप सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य बनाये रखेंगे ?

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार (तिरुपुर): मैं एक प्रश्न का निश्चित उत्तर लेना चाहूंगा । एक व्यक्ति १ लाख रुपये का दान करता है, जिस में से १०,००० रुपये किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए हैं । यह रुपया किसी सम्प्रदाय विशेष को दिया जायेगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा करने से सारा दान अनियमित हो जायेगा या केवल उस का वही अंश ? दूसरा प्रश्न यह है । मान लीजिये एक व्यक्ति १० वर्ष पूर्व किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए दान करता है । इस परिभाषा के अनुसार तब भी इसको धारा ९ का लाभ प्राप्त नहीं होता ।

वित्त उप मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : दो वर्षों से पहले किये गये किसी भी दान पर, चाहे वह पूर्त निमित्त है या नहीं यह धारा लागू होती है ।

श्री सी० डी० देशमुख : खंड ९ में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि मृत्यु से दो वर्ष पूर्व यह दिया जाता है तो यह किसी भी प्रकार का हो सकता है । हमारा इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं है कि यह धार्मिक कार्यों के लिए अथवा धार्मिक पूजा, अथवा अन्य किसी प्रयोजन के लिए दिया गया है । जो कुछ मुझे कहना है वह यह है कि कुछ दानों के लिए हम उस समय को कम कर रहे हैं । अर्थात हम विशेष छूट दे रहे हैं। अब उसकी परिभाषा सार्वजनिक अथवा धार्मिक कार्यों के रूप में करना चाहते थे । तब हम ने इसे परिवर्तित करके "सार्वजनिक धार्मिक कार्यों" कर दिया । हम इसकी परिभाषा कि 'यह क्या है' करने का प्रयत्न कर रहे हैं । जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था कि हमको इस बात की छूट है कि हम यह कह सकें कि यह कितना संकीर्ण होगा अथवा कितना विस्तीर्ण होगा । गुणिता के आधार पर यह ठीक होगा अथवा गलत इसकी चर्चा बाद को हो सकती है ।

जहां तक औचित्य प्रश्न की बात है, "सार्वजनिक धार्मिक कार्यों" से अभिप्राय सार्वजनिक पार्क बनाना था । कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि किसी बात के विरुद्ध यह मतभेद किया गया है । उतने ही प्रभावशाली रूप से इसमें धर्महेतु दान अथवा अन्य दूसरे कार्यों के लिए स्त्री, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ, यद्यपि स्वास्थ्य के अतिरिक्त, जहां तक पार्कों की खुली हवा का सम्बन्ध है, इसमें सम्मिलित नहीं होंगे । किन्तु विधान मंडल में हमको इस बात की छूट है कि इस विधेयक को संकीर्ण अथवा विस्तीर्ण बनायें । किन्तु, हम नहीं कह

[श्री सी० डी० देशमुख]

सके, उदाहरण के लिए, हम पारसी अथवा मुसलमानों के दान के लिए केवल छूट देंगे क्यों कि वह छूट एक समुदाय के हित में होगी । जो कुछ हमें कहना है वह यह है कि जब हम इस श्रेणी का वर्णन करते हैं जो कि इस लाभ की अधिकारिणी होनी चाहिये तो धर्म के आधार पर इसकी परिभाषा नहीं होगी । यदि यह कोई पार्क है तो यह सभी समुदायों के लिए खुला रहना चाहिए, यदि यह कोई तैरने का स्थान है तो यह बम्बई के "मफतलाल तैरने के स्थान" के समान नहीं होना चाहिए किन्तु अन्य स्थानों की भांति होना चाहिए, किक्रेट क्लब की भांति वह स्थान जो कि सभी के लिए खुला है ।

एक माननीय सदस्य : केवल सदस्यों के लिए यह खुला है ।

श्री सी० डी० देशमुख : ठीक है यह सदस्यों के लिये खुला है । यह दूसरी बात है । यह एक निजी चीज़ है । किन्तु बात यही है । अर्थात हम जो कुछ कह रहे हैं वह यह है कि यह सार्वजनिक इस रूप में होनी चाहिए जिस रुप में आज देश में सार्वजनिक' को समझा जाता है । 'सार्वजनिक' को परिभाषा के सम्बन्ध में कोई झगड़ा कर सकते हैं किन्तु मैं यह नहीं समझता कि किसी भी प्रकार यह अनुच्छेद २५ अथवा किसी अन्य अनुच्छेद के विरुद्ध है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं एक बात और पूछ सकता हूं ? श्री भगत के संशोधन की व्याख्या में बताया है कि:

".....अनुसूचित आदिम जातियां अथवा स्त्रियों और बच्चों को नहीं ..."

क्या इसका अभिप्राय स्त्रियों और बच्चों के सामान्य अर्थ से है अथवा किसी समुदाय विशेष के स्त्रियों और बच्चों से ?

श्री सी० डी० देशमुख : वह ऐसा ही है । यदि यह धार्मिक समुदाय के लिए भी है यदि यह स्त्रियों तथा बच्चों के लिए है, तो इसकी आज्ञा दी जायगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : अर्थात किसी भी विशेष समुदाय को सभी स्त्रियों तथा बच्चों से है ।

श्री सी० डी० देशमुख : जी हां । यही बात माननीय सदस्य श्री चटर्जी ने वाद विवाद में--इसी प्रकार के वाद विवाद में--जो आयकर संशोधन विधेयक के बारे में हो रही थी उठायी थी । और उन्होंने कहा था "मान लीजिये कि कोई व्यक्ति हिन्दू विधवाओं के लिए कुछ छोड़ना चाहता है तो क्या आप इसे निकाल देंगे ?" तब मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ और मैं ने कहा कि "नहीं यह नहीं होना चाहिए" अतएव मैं ने कहा कि स्त्रियों और बच्चों को इससे मुक्त कर देना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री इसे स्पष्ट करने की क्षमता पर विचार करेंगे । संशोधन के प्रारम्भिक भाग में यह कहा गया है कि

"....कोई कार्य जो किसी विशेष धार्मिक समुदाय के लाभ के लिए व्यक्त किया गया है"

यह आवश्यक है कि इसको स्पष्ट किया जाय अन्यथा जैसा कि श्री वेंकटारमन् कहते हैं इसका अभिप्राय समस्त भारत में सभी स्त्रियों से सामान्य रूप में होगा ।

श्री सी० डी० देशमुख . जो किसी विशेष धार्मिक समुदाय के लाभ के लिए व्यक्त किय गया है उसमें काट छांट करने के लिए ही यह व्याख्या है । अर्थात उस उपबन्ध की सामान्यता को व्याख्य द्वारा सीमित

करन का प्रयत्न किया गया है। व्याख्या उसमें से कुछ काट छांट करती है। अतएव कुछ चीज़ें यद्यपि वे धार्मिक समुदायों के लाभार्थ व्यक्त की गई हैं किन्तु व्याख्या के आधार पर उनकी अनुमति दी जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसको स्पष्ट क्यों नहीं कर दें; क्यों कि स्त्रियां समष्टि रूप में समुदाय का केवल एक भाग ही तो हैं ? बच्चे समष्टि रूप में समुदाय का एक भाग हैं। अतएव हमें यह देखना होगा कि यह अधिक स्पष्ट हो जाय। अब श्री बी० आर० भगत के प्रस्तावित संशोधन, संशोधन संख्या ५७८ के ग्राह्यकरण के सम्बन्ध में औचित्य प्रश्न उठाया गया है। उसमें "सार्वजनिक धर्माथ कार्यों" प्रस्तावित रूप में की परिभाषा में व विशष लाभ अथवा दान जो किसी विशेष धार्मिक समुदाय को दिये गये हैं सम्मिलित न करने का प्रयत्न किया गया है। इसे संविधान के अनुच्छेद १४ तथा अनुच्छेद २५ के विरुद्ध बताया गया है।

यह सत्य है कि जैसा कि श्री चटर्जी ने प्रिवी काउंसिल के निर्णय से पढ़कर बताया है कि किसी विशेष धार्मिक समुदाय के लिए दिये गये दान भी सार्वजनिक धार्मिक कार्य हैं। अतएव, किन्तु इस परिभाषा के लिए सार्वजनिक धर्माथ कार्य में किसी विशेष धार्मिक समुदाय के लिए दिये गये दान अथवा लाभ भी सम्मिलित होंगे।

अब प्रश्न यह उठाया गया है कि क्या किसी विशेष धार्मिक समुदाय को दिया गया दान जो साधारण समुदाय के समष्टि रूप से विरुद्ध है सार्वजनिक धर्माथ कार्य के लिए है इस तथ्य के होते हुए भी क्या उस पर कोई प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है ? ऐसा निर्देश भारतीय आयकर अधिनियम के समान उपबन्ध में किया गया है। वह कब पारित हुआ था ?

श्री सी० डी० देशमुख : पिछले सत्र में।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह प्रतिबन्ध भारतवर्ष के सभी मनुष्यों पर लागू होगा; कोई भी व्यक्ति जो दान देता है--चाहे हिन्दू, मुसलमान, पारसी अथवा कोई क्यों न हो। अतएव इस मामले के समानता है असमानता नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : वास्तव में किसी विशेष धार्मिक समुदाय को दान देने वाले व्यक्तियों में यह कोई अन्तर नहीं करता; किन्तु विरोध यह किया गया है कि यदि किसी विशेष धार्मिक समुदाय को दान देने की आज्ञा किसी व्यक्ति को यदि नहीं दी जाती तो इस तथ्य के होते हुए भी विधान के अनुसार इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है कि किसी धार्मिक समुदाय को दिया गया दान सार्वजनिक कार्य के लिए है तो उस व्यक्ति के दान देने की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लग जाता है।

श्री सी० डी० देशमुख : उसे दान देने की आज्ञा तो है किन्तु उसे कर देना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक इस विशेष उपबन्ध की बात है उसके साथ अरुचिपूर्ण बर्ताव किया गया है। जहां सार्वजनिक पूत के अन्य उद्देश्यों के लिए छूट दिखाई गई है वहां इस विशेष बात के लिए छूट नहीं दी गई है।

श्री सी० डी० शमुख : यह ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या इस प्रकार उसके साथ विभेद किया गया है अथवा नहीं। मेरा विचार है कि इसका निर्णय करना मेरे लिये ठीक

[उपाध्यक्ष महोदय]

नहीं है क्यों कि इसी प्रकार का एक उपबन्ध भारतीय आयकर संशोधन अधिनियम में आया है। इस पर विचार किया जा सकता है और गुणिता के आधार पर इसे निपटाया जा सकता है, और इसके बारे में सदन किसी भी निष्कर्ष पर आ सकता है।

मैं केवल वित्त मंत्री से इस पर विचार करने के लिये कहूंगा कि--निस्न्देह पूर्व परिभाषा के साथ ही व्याख्या को पढ़ा जाना चाहिये—"इस तथ्य के होते हुए कि वे स्त्रियां और बच्चे एक विशेष धार्मिक समुदाय के हैं" शब्द नहीं जोड़े जाने चाहियें, वे इस विषय पर विचार करलें।

श्री एस० वी० रामस्वामी (सलेम) : क्या आप महान्यायवादी से स्थिति की व्याख्या सदन में करने के लिये कहेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे सदन के निश्चय पर छोड़ता हूं।

श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर) : कल हम जब इस संशोधन की चर्चा कर रहे थे तो यह कहा गया था कि इसका प्रारूप यह कहते हुए किया गया था कि, "यदि यह पूर्ण रूप से अथवा प्रमुख रूप से धार्मिक कार्यों के लिये है"

रामकृष्ण मिशन को ही लीजिये जो कि आम तौर पर हिन्दुओं द्वारा चलाया जाता है, और किसी जाति के भेद भाव के बिना कोई भी व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है और इससे लाभ उठा सकता है; तो क्या वह भी इस विशेष उपबन्ध से प्रभावित होगा ? क्या गुरुकुल विश्वविद्यालय जैसी संस्था भी पूर्ण रूप में इससे विमुक्त कर दी जायगी ?

श्री बर्मन : इस संशोधन के बारे में मेरा एक संशोधन है :-

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :-

श्री बी० आर० भगत के प्रस्तावित संशोधन में "व्यक्त किया गया है" जो सब से पहिले आए हैं, शब्दों को निकाल दिया जाये।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित संशोधन अब भी सदन के समक्ष ह अथवा केवल इसका स्थानापन्न संशोधन ही है।

श्री सी० डी० देशमुख : श्री भगत का संशोधन मेरे संशोधन के स्थान की पूर्ति करता है ; संशोधन अभी वापिस नहीं लिया गया है, और इस स्थिति पर इसे वापिस नहीं ले सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री देशमुख ने अपना संशोधन कल प्रस्तुत किया था और श्री भगत ने आज। यह सदन के निर्णय के ऊपर है कि वह इसे पारित करे अथवा उसे। यदि एक पारित हो जाता है तो दूसरा स्वतः ही अस्वीकार हो जायगा।

श्री आर० के० चौधरी : माननीय वित्त मंत्री अपना संशोधन वापिस ले लें। दोनो पर समय नष्ट करने में कोई तुक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सदन के सम्मुख श्री भगत का संशोधन रखूंगा ;

प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया

पृष्ठ दो में —

पंक्ति ४६ के बाद

'(16A) "Public charitable purposes" includes relief of the poor, education, medical relief and the advancement of any other object of general public utility, but does not

include any purpose which is expressed to be for the benefit of any particular religious community;

Explanation.-- A purpose which is expressed to be for the benefit of Scheduled Castes, Backward classes, Scheduled Tribes or of women and children shall not be deemed to be for the benefit of a particular religious community within the meaning of this clause.'

['(१६ क) "सार्वजनिक पूर्त प्रयोजन" में ग़रीबों की सहायता, शिक्षा, चिकित्सा सम्बन्धी सहायता अथवा किसी अन्य जनोपयोगी कार्य की उन्नति शामिल है, परन्तु इसमें ऐसा कोई प्रयोजन शामिल नहीं है जो किसी विशेष धार्मिक समुदाय की भलाई के लिये बतलाया गया हो ;

व्याख्या.—अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित आदिम जातियों अथवा स्त्रियों और बच्चों की भलाई के किसी प्रयोजन को इस खंड के अर्थों के अन्तर्गत किसी विशेष धार्मिक समुदाय की भलाई का प्रयोजन नहीं समझा जायगा ।']

इस संशोधन पर भी एक संशोधन है, जो श्री बर्मन द्वारा प्रस्तुत किया गया है । यदि यह स्वीकार कर लिया जाता है, तो श्री भगत का संशोधन इस प्रकार हो जायेगा :

".....किन्तु उसमें ऐसा कोई कार्य सम्मिलित नहीं है जो किसी विशेष धार्मिक समुदाय के लाभ के लिये हो । "

इसका अर्थ यह हुआ कि गर्भित रूप से भी वह किसी विशेष धार्मिक समुदाय के लाभ के लिये हो सकता है ।

श्री सी० डी० देशमुख : वह किसी और चीज़ के लिये व्यक्त किया जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह व्यक्त किया गया हो अथवा नहीं, पर यदि इससे किसी विशेष धर्मिक समुदाय को लाभ पहुंचने की दूर की संभावना हो, तो इस उपबन्ध की आवश्यकता पड़ेगी । ऐसे संशोधन और पहले दे दिये जाने चाहिये थे ।

श्री धुलेकर : श्री भगत का संशोधन हम लोगों को आज ही दिया गया है । अतः इस पर मैं भी एक संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भगत के संशोधन की सूचना कल रात को दी गई थी और तभी वह प्रसारित भी किया गया था । अतः सदन में मैं उस पर अन्य संशोधनों के प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने को तैयार हूं ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : श्रीमान्, श्री भगत के संशोधन पर मैं एक संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

श्री बी० आर० भगत द्वारा प्रस्तुत संशोधन में व्याख्या में, "स्त्रियां तथा बच्चे" (women and children) के बाद "किसी विशेष धार्मिक समुदाय का" (of any particular religious community) शब्द निविष्ट किये जायें ।

माननीय वित्त मंत्री ने थोड़ी देर पहले जो बात कही थी, उसी को स्पष्ट करना इस संशोधन का उद्देश्य है । उन्होंने कहा कि यदि कोई विशिष्ट उपबंध नहीं किया जाता तो सदन में किये गये एक दावे के फलस्वरूप हिन्दू स्त्रियों अथा हिन्दू विधवाओं आदि के लाभ के लिये धर्मस्व अथवा पूर्त नहीं किये जा सकेंगे । हम इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं कि सामान्यतः धार्मिक

[श्री टी० एस० ए० चेट्टियार]

संस्थाओं द्वारा किये गये धर्मस्व तथा सार्वजनिक पूर्त इस देश के सभी समुदायों के लाभ के लिये होने चाहियें न कि केवल छोटे धार्मिक गुटों के लिये क्योंकि यदि वे इतने सीमित होंगे तो उनसे राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा । अतः राष्ट्रीय एकता के हित में हम ऐसे अपहारों अथवा दानों को प्रोत्साहन देना चाहेंगे जो सभी समुदायों के लिये हों । हम इस बात से भी सहमत हैं कि कुछ विशेष पिछड़े हुए समुदायों के सम्बन्ध में विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिये और उनके लिये विशेष रूप से किये गये दानों की अनुमति दी जा सकती है । ऐसे पिछड़े हुए समुदायों का उल्लेख व्याख्या में किया गया है । इसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियां, पिछड़े हुए वर्ग, अनुसूचित आदिम जातियां, स्त्रियां तथा बच्चे आते हैं । अब प्रश्न यह उठता है कि 'स्त्रियां तथा बच्चे' का क्या अर्थ होगा । इसका संभव अर्थ सामान्यतः किसी विशिष्ट समुदाय की स्त्रियां तथा बच्चे होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात माननीय वित्त मंत्री द्वारा स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : मेरा संशोधन उसी बात को और स्पष्ट करता है और अतः मैं आशा करता हूं कि उसे स्वीकार किया जावेगा ।

श्री एन० पी० नथवानी (सोरठ) मेरा संशोधन यह है कि श्री भगत द्वारा प्रस्तुत संशोधन में, व्याख्या की पंक्ति ३ में,

" 'स्त्रियों' के बाद आने वाले 'तथा' शब्द के स्थान पर 'अथवा' शब्द आदिष्ट किया जाये । "

क्योंकि ऐसी संस्थायें भी हो सकती हैं जो केवल स्त्रियों अथवा केवल बच्चों के लिए हों । ऐसी संस्थाओं को भी इसमें सम्मिलित करने के हेतु मेरा यह संशोधन है ।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुधा 'तथा' का अर्थ 'अथवा' और 'अथवा' का अर्थ 'तथा' होता है । 'स्त्रियां अथवा बच्चे' का अर्थ यह हो जायेगा कि दोनों आपस में मिलाये नहीं जा सकते ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

श्री बी० आर० भगत द्वारा प्रस्तुत संशोधन में, व्याख्या में, "स्त्रियां तथा बच्चे" (women and children) के बाद "किसी विशेष धार्मिक समुदाय का" (of any particular religious community) शब्द निविष्ट किये जावें ।

जहां तक श्री नथवानी के संशोधन का संबंध है, 'स्त्रियां तथा बच्चे' शब्द का अर्थ होगा या तो स्त्रियां या बच्चे अथवा दोनों । अतः मैं उनके संशोधन को अनावश्यक समझता हूं ।

इसके उपरान्त श्री आर० के० चौधरी ने अपना एक संशोधन प्रस्तुत किया, जिसको उपाध्यक्ष महोदय ने अनावश्यक निर्णित किया ।

श्री धुलेकर : मैं प्रस्ताव करता हुं कि :

श्री बी० आर० भगत द्वारा प्रस्तुत संशोधन में "विशेष" (particular) के बाद "एक ..... की जाति अथवा भाग" (caste or section of a) शब्द निविष्ट किये जायें ।

वह इस प्रकार पढ़ा जायेगा :

"किन्तु उसमें ऐसा कोई कार्य सम्मिलित नहीं है जो एक धार्मिक समुदाय की किसी विशेष जाति अथवा भाग के लाभ के लिये व्यक्त हो । "

उपाध्यक्ष महोदय : इस संशोधन पर ये संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं । अगले दिन इन पर विचार किया जायेगा ।

सदन की कार्यावाही

उपाध्यक्ष महोदय : अब गैर-सरकारी सदस्यों का विधायन कार्य आरंभ होगा ।

श्री सी० आर० नरसिंहम् (कृष्णगिरि) : श्रीमान्, विधेयक संख्या ३४ के सम्बन्ध में क्या होगा ?

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : क्या हम लोगों को वे विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति मिलेगी जो पिछले दिन बाकी रह गये थे ?

उपाध्यक्ष महोदय : जिन विधेयकों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, उनको अब प्रस्तुत करने की मैं अनुमति दूंगा । जिनके विरुद्ध कोई आपत्ति है, वे साधारण क्रम में आयेंगे । पंडित ठाकुर दास भार्गव के विधेयक संख्याओं ३६, ४२, तथा ४४ और श्री पाटस्कर के विधेयक संख्या ४५ के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं की गई थी । अन्य विधेयकों का विरोध किया गया था । वही स्थिति अब भी है ।

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल) : क्या दूसरे विधेयक प्रस्तुत नहीं किये जा सकते ?

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य विधेयकों के समाप्त हो जाने के बाद यथा समय वे लिये जायेंगे । माननीय सदस्य को गृह मंत्री से पहले ही पूछ लेना चाहिये था कि वे उसके प्रस्तुत किये जाने के पक्ष में हैं या नहीं । इस कार्य के लिये मैं सदन का समय नष्ट नहीं करूंगा ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

(धारा ४९६ तथा ४९७ का संशोधन)

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८, में पुनः संशोधन करने वाले एक विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये ।"

श्रीमान्, क्या आप की अनुमति से मैं अपने नाम के अन्य विधेयकों को भी पुरः स्थापित कर सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : एक के बाद दूसरा आने दीजिये, एक साथ नहीं । माननीय गृह-मंत्री कृपया पंडित ठाकुर दास भार्गव के प्रस्ताव पर ध्यान देंगे ।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : श्रीमान्, मैंने समझा था कि आज संकल्पों पर विचार किया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं । मैं माननीय सदस्यों को यह सुझाव दूंगा कि ऐसी कार्य-वाही के लिये उन्हे पहले से ही मंत्री को सूचित कर देना चाहिये ताकि वह यह निश्चय कर सकें कि वह उसके पक्ष में हैं या नहीं ।

डा० काटजू : जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं दण्ड प्रक्रिया संहिता का कार्य करता हूं । उसकी पुरः स्थापना में मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८, में पुनः संशोधन करने वाले एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

सदन की कार्यवाही

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि सारभूत प्रदाय (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, १९४६ को पुनः संशोधित करने के लिये एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये। (धारा ७ का संशोधन तथा धारा ९ की स्थानापन्नता)

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : मुझे पता नहीं कि यह विधि मंत्रालय से सम्बन्धित है या नहीं। मैंने विधेयक की कोई प्रतिलिपि नहीं देखी है।

उपाध्यक्ष महोदय : तो मैं अभी उसकी अनुमति नहीं दूंगा। माननीय सदस्य को चाहिये था कि वह सरकार को सूचित कर देते।

श्री बिस्वास : यह विधि मंत्रालय का विषय है। मेरी कठिनाई यह है कि यद्यपि विधेयक की प्रतिलिपियां मेरे पास भेजी गई हैं, परन्तु मैंने उनको यह मालूम करने की दृष्टि से नहीं देखा था कि मुझे उनका विरोध करना है या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब से मैं माननीय सदस्यों को यह सुझाव दूंगा कि वे पहले ही से मंत्रियों से यह पूछ लें कि पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयकों के संबंध में उन्हें कोई आपत्ति है या नहीं।

श्री बिस्वास : ऐसी दशा में, औपचारिक रूप से इस समय इसके पुरःस्थापित किये जाने का मैं विरोध करता हूं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम १९२९, को पुनः संशोधित करने वाला एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये। (धारा २ तथा ४ का संशोधन)

श्री बिस्वास : मैं इसका विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : तो मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

श्री पाटस्कर (जलगांव) : मैं आशा करता हूं कि मेरे विधेयक को पुरःस्थापना के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री बिस्वास : यहां पर भी मैं उसी देश में हूं। यदि मुझको ज्ञात होता तो मैं विधेयक का अध्ययन करके उत्तर देने के लिये तैयरा होकर आता।

उपाध्यक्ष महोदय : इस संबंध में अपना मत देने से पूर्व मंत्री महोदय यह जान लेना चाहते हैं कि वह वास्तव में है क्या चीज़। यह बिलकुल उचित बात है।

प्रो० डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : विधेयक संख्या ३१ के बारे में क्या विचार है।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य विधेयकों के बारे में अनुमति नहीं दी जाती है।

दण्डप्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

(धारा २६६, २६७ आदि निरसन)

श्री एस० वी० रामस्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

दंड प्रक्रिया संहिता १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने सम्बन्धी इस विधेयक पर विचार किया जाये।

सदन के विचारार्थ इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय मैं उद्देश्य तथा कारणों का विवरण पढ़ देता हूं।

"जूरी प्रणाली अनावश्यक है और असेसर प्रणाली व्यर्थ है ..... इन्हें समाप्त करने से अत्यधिक बचत होगी तथा दंड प्रक्रिया संहिता सरल हो जायगी।"

जूरी प्रणाली का इतिहास वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह इंगलैंड में नार्मन युग में जारी की गई थी। जूरी प्रणाली की सहायता से ही प्रसिद्ध डूम्सडे पुस्तक का संकलन किया गया। यह गर्म

पानी, तैल और अग्नि आदि यातना पर आधारित अभियोग प्रणाली के स्थान पर आदिष्ट की गई थी ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव अध्यक्ष-पद पर आसीन हुये]

अंत में जूरी प्रणाली दीवानी और फौजदारी मामलों में लागू कर दी गई और अब यह समस्त अंग्रेजी भाषी राष्ट्रों में मिलती है । जूरी प्रणाली के अभाव में आप अंग्रेजी न्यायपालिका की कल्पना नहीं कर सकते जो कि उसका अविछिन्न भाग है ।

किन्तु इंगलैंड में जूरी प्रणाली की सफलता का कारण ऐतिहासिक स्थितियां हैं, श्रीमान्, मैं आप को अभी बताऊंगा कि किसी भी भिन्न व्यवस्था और सभ्यता वाले देश में जहां कहीं भी यह प्रणाली लागू की गई है वह सफल नहीं हुई है ।

अमरीकी संविधान के अनुच्छेद ३ में स्पष्ट कहा गया है कि महाभियोग के मामले के अतिरिक्त सब मामलों में जूरी द्वारा अभियोग चलाया जायेगा । इसी संविधान का अनुसरण करते हुए कई राज्य संविधानों ने भी इसी तरह के उपबंध जारी कर दिये किन्तु अमरीका में वे अंग्रेजी प्रणाली के मूल क्षेत्र से अत्यधिक दूर चले गये । अमरीका में इस प्रणाली की तीव्र आलोचना की गई है । लगभग हर दिशा से इस पर आक्रमण किया जा रहा है । समस्त अमरीकी संविधानों ने इस आशय की प्रत्याभूति दी थी कि स्वातन्त्रय और अबाध शासन के लिये यह परमावश्यक है । सब ओर इसके प्रति असन्तोष व्यक्त किया जा रहा है ।

भारत में जूरी प्रणाली के इतिहास का भी संक्षिप्त परिचय म आप को दूंगा । भारत में इस प्रणाली को लागू करने का मुख्य कारण यह था कि प्रधान न्यायाधिकारी यूरोपियन होते थे । वे भारतीय रीति रिवाजों से अनभिज्ञ होते थे अतः जूरी का कार्य उनकी सहायता करना था ।

दंड प्रक्रिया संहिता के एकत्रीकरण के सम्बन्ध में गवर्नर जनरल की कौंसिल में बोलते हुए इंगलैंड के विख्यात बैरिस्टर श्री एम० डी० चामर ने कहा था कि अंग्रेज वकील की दृष्टि से दंड संहिता को देखने पर मुझे इसकी जटिलता, दुरूहता और अत्यधिक सूक्ष्मता पर महान आश्चर्य हुआ ।

जूरी प्रथा का इतिहास कोई संतोषजनक नहीं रहा है । मेरे इस प्रश्न को सदन में उठाने से पूर्व भी यह कई बड़े बड़े वकीलों और वकील संस्थाओं को खटकता रहा है । मद्रास वकील संस्था ने सम्भवतः १९४६ में मदुरा में अपने सम्मेलन में और उससे पहले भी यह संकल्प पारित किया था कि जूरी और असेसर प्रथा को समाप्त कर दिया जाये । जूरी प्रथा से न्याय में जरा भी सहायता नहीं मिलती ।

श्री ए० एम० टामस (ऐरगाकुलम) : क्या माननीय सदस्य को यह ज्ञात है कि डा० काटजू जैसे प्रमुख वकील व्यक्तिगत रूप से जूरी प्रथा के पक्ष में हैं ?

श्री एस० वी० रामस्वामी : सत्र न्यायालयों में तो प्रतिवादी के वकील और अभियोक्ता पुलिस अधिकारी का सदा यही प्रयत्न रहता है कि जूरी पर किसी प्रकार का कोई नैतिक या भौतिक प्रभाव न पड़े । मैं आपको एक उदाहरण देता हूं । एक बार मैं ने एक अभियोग में सायंकाल ६ बजे न्यायाधीश से प्रार्थना की कि इस मामले को आज ही देर तक बैठकर समाप्त किया जाये, क्योंकि यदि कल इस मामले की सुनाई हुई तो निर्णय आज के समान नहीं होगा । सत्र न्यायाधीश ने मेरी बात मान ली और रात के साढ़े नौ बजे तक उस मामले की सुनवाई हुई और आप विश्वास कीजिये कि जूरी न

[श्री एस० वी० रामस्वामी]

"दोषी नहीं" का निर्णय दिया। यदि सुनवाई उस दिन न होती तो निर्णय निश्चय ही इसके विपरीत अर्थात् 'दोषी' दिया जाता। क्योंकि सारी रात पुलिस जूरी के पीछे लगी रहती और निर्णय बदल जाता।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): श्रीमान्, मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं। सम्भवतः मेरे माननीय मित्र ने एक अच्छा मामला जीत लिया। परन्तु यह कहना "कि पुलिस जूरी के पीछे लगी रहती और उन पर प्रभाव डाल देती" अनुचित होगा। यह तो वस्तुतः कल्पना मात्र है। मैं यह मानने को तय्यार नहीं कि हमारे देशवासी इतने बिगड़े हुए हैं।

सभापति महोदय : यदि यह मामला कई दिन से सत्र न्यायालय में चल रहा था तो पुलिस ने उससे पहली रातों को क्यों कुछ कर दिया ?

श्री एस० वी० रामस्वामी : श्रीमान्, इस में यह सब तो होता ही है। मैं पुलिस पर कोई दोष नहीं लगा रहा हूं।

डा० काटजू : यह तो जीवन और मरण का प्रश्न है और मेरे माननीय मित्र इसे खिलवाड़ समझ रहे हैं।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिये।

मैंने दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय २३ का उल्लेख किया था। इसमें ७० धारायें हैं। मेरे विचार में इसमें से केवल १० धारायें रहनी चाहियें। ये १० धारायें २७०, २७१, २७३ और २८६ से २९२ तक हैं। शेष धारायें बड़ी जटिल और जनसाधारण की समझ से बाहर हैं, अतः उन्हें निकाल दिया जा सकता है। इस के अतिरिक्त इन के कारण राज्य को अनावश्यक व्यय और काम करना पड़ता है।

श्री एन० सोमना (कुर्ग) : क्या इस विधेयक में इन धाराओं को रद्द करने के सम्बन्ध में कोई उपबन्ध हैं ?

श्री एस० वी० रामस्वामी : मैं ने श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले संशोधन को स्वीकार कर लिया है।

अंत में मेरा यह निवेदन है कि जूरी और असेसर प्रथा को समाप्त कर देने से हमें कोई हानि नहीं होगी, अपितु लाभ ही होगा। अतः हमें इस विधेयक को स्वीकार करके महान् भारतीय न्यायपालिका के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिये।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि :

"दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने के लिये इस विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस में एक संशोधन है कि इस विधेयक पर जनमत जानने के लिये इसे परिचालित किया जाये। क्या माननीय सदस्य इसे प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री वेंकटारमन् (तंजोर) : हां, श्रीमान्। मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"इस विधेयक पर जनमत जानने के लिये इसे ३१ दिसम्बर, १९५३ तक परिचालित किया जाये।"

इस विधेयक के प्रस्तावक न यूरोप, इंग्लैण्ड और भारत में जूरी तथा असेसर प्रथा के इतिहास का बड़ी योग्यता से दिग्दर्शन कराया है।

मेरा इस संशोधन को प्रस्तुत करने का उद्देश्य भारत की वकील संस्थाओं,

न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों और जनता की इस प्रथा के सम्बन्ध में सम्मति को सदन के समक्ष लाना है । जैसा कि आप जानते हैं असेसर न तो किसी पर अभियोग चलाते हैं और न ही किसी बात का निश्चय करते हैं, वे तो केवल निर्णय करने में न्यायाधीश की सहायता करते हैं । कई वकील संस्थाओं ने यह सम्मति प्रकट की है कि अब असेसरों की सहायता से अभियोग चलाने की प्रथा को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

यदि आप असेसरों की सहायता से अभियोग चलाने की प्रथा के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो आप देखेंगे कि उन दिनों जब कि अंग्रेज न्यायाधीश देशी भाषा नहीं जानते थे तो उन्हें ऐसे असेसरों की सहायता की आवश्यकता होती थी जो न केवल साक्षियों की भाषा को समझ सकें, अपितु जिस भावना से साक्ष्य दिया गया हो उसे समझकर न्यायाधीश को उसे बतला भी सकें । अतः अब जब कि हमारी न्याय-पालिका में हमारे अपने ही भाई काम करते हैं तो इस प्रकार की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । खैर, इस विषय में हमें सबकी सम्मति जान कर ही कुछ निश्चय करना चाहिये ।

निर्णय देने की शक्तियों के सम्बन्ध में मुफस्सिल की जूरी प्रथा और नगरों की जूरी प्रथा में अन्तर है । मुफस्सिल में न्यायाधीश के लिये जूरी की सम्मति को मानना आवश्यक नहीं होता, किन्तु नगरों में जूरी का सर्वसम्मत निर्णय न्यायाधीश के लिये मानना आवश्यक होता है । मेरा अपना यह अनुभव है कि नगरों में जूरी प्रथा काफी अच्छी चली है । नगरों में जूरी लोग पढ़े लिखे और सभ्य समाज में से लिये जाते हैं और इस काम में उनकी सहायता लेना अच्छा है । मुफस्सिल के सम्बन्ध में इस बारे में जिला न्यायाधीशों की राय पूछी जानी चाहिये । मुझे आशा है कि इस विधेयक पर जनमत जानने के लिये इसे परिचालित करने के मेरे इस प्रस्ताव से सभी सहमत होंगे । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री पुन्नस (आल्लप्पी) : मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं । जूरी तथा असेसर प्रथा के विरुद्ध बहुत कुछ सुना जाता है । इस की खराबियों का पता लगाने के लिये इस प्रथा की परीक्षा की जानी चाहिये । यदि यह बिल्कुल निरर्थक हो तो इसे समाप्त कर देना चाहिये किन्तु इससे पूर्व जनमत अवश्य जान लेना चाहिये । मेरे विचार में इस प्रथा में सुधार करने पर जूरी और असेसर हमारी इस प्रजातन्त्र प्रणाली में सहायक हो सकते हैं । मैं इस संशोधन का जोर शोर से समर्थन करता हूं ।

श्री ए० एम० टामस : दण्ड प्रक्रिया संहिता जैसी केन्द्रीय विधियों के प्रयोग के साथ भाग ख के कुछ राज्यों में जूरी अथवा असेसरों द्वारा अभियोग की प्रथा को हाल में प्रवर्तित किया गया है । मैं निजी अनुभव से इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता । यह अच्छा रहेगा कि पहले न्यायपालिका, विधि जीवी संस्थाओं और अन्य विश्वसनीय संस्थाओं का मत लिया जाए ।

जूरी द्वारा अभियोग की प्रथा के गुण-दोषों के सम्बन्ध में मैं नहीं कहना चाहता । इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध अधिवक्ताओं के विभिन्न मत हैं । डा० काटजू अवश्य इसके समर्थक होंगे क्योंकि यह प्रथा प्रेसीडेन्सी नगरों में सफल रही है । केवल इस कारण से कि इस की रूप रेखा विदेशी प्रणाली के आधार पर है, हमें इस प्रथा का विरोध नहीं करना चाहिये । आज के युग में हम जनता के न्यायालय की

[श्री ए० एम० टामस]

आकांक्षा कर रहे हैं। इस लिये अच्छा होगा कि हम लोक मत और अन्य विश्वस्त संस्थाओं का मत प्राप्त करके अपने आप को सशक्त बना लें।

मैं श्री वेन्कटारमन् के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री एम० एल० अग्रवाल (जिला पीलीभीत व जिला बरेली—पूर्व) : श्रीरामस्वामी ने एक प्रमुख लोक सेवा की है, इस विधेयक को विचारार्थ प्रचारित करने का प्रस्ताव रखा है, इस देश के न्याय और विधि प्रणाली का उद्गम तो बृटिशप्रणाली है। प्रायः एक सौ वर्ष से यह ऐसे ही चल रही है।

बहुत समय से देश की विधि तथा न्याय प्रणाली में सुधार की मांग की जा रही है। केवल यहां ही नहीं वरन् ऐसी मांग इंगलैंड में भी है जहां इस न्याय प्रणाली का उद्गम है। वहां एवरशेड समिति ने हाल में सुधार सम्बंधी विस्तृत सिपारिशें की हैं। इस से स्पष्ट है कि विधि तथा न्याय प्रणाली के सुधार की मांग विश्वव्यापी है।

हमारे देश में भी १९२४ से समितियां नियुक्त की जाती रही हैं। अन्तिम समिति १९५० में नियुक्त की गई थी जिसके अध्यक्ष न्यायाधीश श्री वांचू थे। यह समिति उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई थी और इस के निर्देश्य पद बहुत विस्तृत थे। सरकार का यह उद्देश्य था कि वह ऐसे ढंग सुझाए जिन से विधि प्रणाली अधिक सरल, अनुपचारिक तथा अधिक शीघ्र और कुशल काम वाली बन सके।

१८७२ में भारत के लेफ्टीनेन्ट गवर्नर की कौंसिल की कार्यवाही में कहा गया था कि जूरी प्रणाली को इस लिए नहीं छोड़ना चाहिये कि भारत के लोगों के राजनैतिक शिक्षण के लिये इस की आवश्यकता है। आज हम राजनैतिक शिक्षा की स्थिति से आगे बढ़ गए हैं। परन्तु इस प्रणाली में सदा ही कुछ ओज रहा है और आज भी कतिपय लोग इस के समर्थक हैं।

वांचू समिति में बहुत प्रख्यात न्यायाधीशों और विधिवेत्ताओं ने सहायता की। समिति ने न्याय के प्रशासन सम्बन्धी सब समस्याओं पर एक प्रश्न-सूची जारी करके कार्य आरम्भ किया। जिला दण्डाधीशों, न्यायपदाधिकारियों, संसद् के सदस्यों प्रख्यात अधिवक्ताओं, सरकारी प्रतिग्रहीताओं, जिला सरकार के परामर्श दाता और विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों आदि से मत लिया गया। समिति ने न्यायसभ्यों और असेसरों के संबंध में पृथक पृथक सिपारिशें की हैं। असेसरों के सम्बन्ध में उन्होंने कहा है कि यह प्रणाली बहुत समय से बिना व्यावहारिक उपयोग के चल रही है। जब सत्र न्यायालयों में विदेशी लोग मुख्य हुआ करते थे तो इस का कुछ उपयोग होता था क्योंकि वे देश के रीति रिवाज नहीं जानते थे और असेसर उन की सहायता कर देते थे। अब इस प्रणाली का दण्ड प्रक्रिया संहिता से सर्वथा लोप हो जाना चाहिये।

जूरी अभियोग के सम्बन्ध में भी उन्होंने बताया है कि अत्यधिक लोगों का यह उत्तर है कि जूरी प्रणाली समाप्त कर देनी चाहिये। यह सामान्य शिकायत है कि न्यायसभ्यों के पास पहुंच हुआ करती है, यह प्रश्न भी उत्पन्न हुआ कि सत्र के बहुत से मामलों का पहली बार निर्णय नहीं होता। तब लम्बित मामलों के लिये जूरी को बन्द कैसे रखा जा सकता है। अन्त में समिति ने यही सिफारिश की कि इस प्रणाली को समाप्त करना चाहिये। श्री रामस्वामी के प्रस्ताव का समर्थन करते

हुए मैं इस से बड़ा और कोई उद्धरण क्या दे सकता हूं ।

जूरी तथा असेसर प्रणालियों में इतनी हानियां हैं कि उन्हें विस्तार से नहीं कहा जा सकता । उन में अत्यधिक व्यय होता है और देर भी होती है । कभी कोई न्यायसभ्य उपस्थित नहीं होता । अभियोग स्थगित करना पड़ता है, और अधिक लोक-धन का व्यय होता है । मैं समझता हूं कि श्री रामस्वामी का प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य है । दण्ड प्रक्रिया संहिता में बहुत सी धारायें हैं जिनका लोप होना चाहिये और विधेयक के खण्ड ४, ५ तथा ७ पर मेरे संशोधन हैं । नए खण्डों ६ (क) और ७ (क) में अन्य सब धाराएं सम्मिलित हो जाती हैं और उन का भी लोप होना चाहिये ।

अन्त में मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री एस० एस० मोरे : मैं इस विशेष प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा होता हूं ।

डा० काटजू : कौन से प्रस्ताव का ?

श्री एस० एस० मोरे : परिचालन सम्बन्धी ।

वर्त्तमान न्याय-प्रणाली अंग्रेजों ने बनाई थी और इंगलिश प्रणाली की यथासम्भव नकल करने का प्रयत्न किया था । उन्होंने यहां के व्यक्तियों के स्वभाव तथा प्राचीन रीतियों का भी ध्यान रखा था तथा एक प्रकार की नौकरशाही जारी रखने का प्रयत्न किया था । मैंने कुछ प्रलेख देखे हैं जिनमें सर स्टीफैन्स ने व्यक्तियों की मनोवृत्ति की व्याख्या की है कि वे शताब्दियों से "जुल्म" के आदि हो गये हैं । उन्हों ने प्रकट किया कि यदि यहां जिला अधिकारी को संसार के सारे अधिकार दे दिये जायें तो उसका सम्मान भी होगा और राजस्व वसूल करना भी सरल हो जायेगा ।

मैं श्री रामस्वामी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं परन्तु मैं सरकार से एक प्रतिपादन करना चाहता हूं कि वह सम्पूर्ण न्याय-प्रणाली को फिर से बनाने तथा पुनः स्थापित करने पर यथा शीघ्र विचार करें । मैं तो यह भी कहूंगा कि हमें अपराधों को दो वर्गों में बांटना चाहिये अर्थात् घोर अपराध तथा साधारण अपराध । उदाहरण के लिये, किसी गांव के व्यक्तियों के दो दलों में झगड़ा होता है । झगड़ा करने वाले दोनों दल अदालत में जाते हैं और उनका निर्णय होने में ६ मास या १ वर्ष लग जाता है । परिणामस्वरूप गांव का धन नगर को जाता है और इस से ग्रामीणों की स्थिति बिगड़ जाती है । अतः इस प्रकार के कुछ अपराधों को साधारण अपराध माना जा सकता है, और पंचायत या एक प्रकार की अभिसत्र अदालत बनाई जाये जो झगड़े की जांच तथा निर्णय वहीं करे जहां दल वाले रहते हैं । इसी प्रकार हम विधि के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत से सुझाव दे सकते हैं ।

एक अन्य उदाहरण लीजिये, अपराधी से आशा की जाती है कि वह अपने अपराध को स्वीकार करे । पुलिस अपराध का पता लगाने की बजाय इस बात पर पूरा ध्यान देती है कि अपराधी अपने अपराध को स्वीकार कर ले । ऐसे सारे उपबन्धों में संशोधन होना चाहिये । मैं चाहता हूं कि न्याय प्रणाली ऐसी हो जो आधुनिक समय तथा व्यक्तियों के स्वभाव के अनुकूल हो और निष्पक्ष, शीघ्र तथा यथा सम्भव थोड़े व्यय में न्याय प्रदान कर सके ।

परिचालन के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं अपने माननीय मित्र डा० काटजू तथा श्री विश्वास से सविनय निवेदन

[श्री एस० एस० मोरे]

करता हूं कि वे आजकल की भांति ही मिल कर काम करें।

डा० काटजू : आप भी हमारी सहायता करें।

श्री एस० एस० मोरे : यदि आप चाहते ह तो मैं आपकी सहायता करने को तैयार हूं।

मैं जूरी की जांच के भी पक्ष में नहीं हूं। अपने थोड़े से अनुभव में मैं ने देखा है कि जब अपराधी किसी विशेष धर्म का अनुयायी होता है, और जूरी या न्यायाधीश सहायक किसी अन्य धर्म का, तो न्यायधीश सहायक या जूरी मामले की जांच निष्पक्ष होकर नहीं करती है।

एक माननीय सदस्य : ग्राम पंचायतों में क्या होता है ?

श्री एस० एस० मोरे : यह प्रश्न एक कांग्रेस-सदस्य पूछ रहे हैं जिनका मुख्य आधार गांधीवाद है। इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि ग्रामवासी भी कुछ मामलों में गलती कर सकते हैं। परन्तु थोड़ी सी प्रशिक्षा तथा थोड़े से अनुभव के पश्चात् ग्राम-पंचायतें समान तथा निष्पक्ष न्याय कर सकती हैं। अतः सरकार को इस प्रस्ताव पर विचार करना चाहिये।

श्री एन० सोमना : मैं श्री वेंकटारमन् के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि जनमत जानने के लिये विधेयक को परिचालित किया जाय।

असेसरों अथवा जूरी सदस्यों की उपयोगिता के बारे में मतभेद है। कभी यह कहा जा सकता है कि इन्होंने ठीक निर्णय करने में न्यायाधीश को सहायता दी है। परन्तु कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जहां वर्तमान के जटिल होने के कारण, असेसर या जूरी सदस्य साक्ष्य के बारे में ठीक निश्चय नहीं कर पाते हैं। हमारे देश में दुर्भाग्यवश, फौजदारी के मामलों के बारे में बड़ी जटिल विधि है।

मैं अपने माननीय मित्र श्री रामस्वामी के इस मत से, निश्चय ही, सहमत नहीं हूं कि जूरी-सदस्य या असेसरों को वकीलों द्वारा भ्रष्टाचार या घूंसखोरी अपनाने का अवसर मिलता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि वकीलों का एक मत यह है कि जूरी-सदस्यों या असेसरों का रखा जाना समाप्त हो जाये क्योंकि प्रायः इनका मत वकीलों के पक्ष में नहीं हो सकता। परन्तु इस विषय में सत्र न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का मत जानना श्रेयस्कर है। वास्तव में उन्हीं का मत स्वीकार किया जाता है न कि वकीलों का।

मेरी एक टेक्निकल कठिनाई भी है। वर्त्तमान रूप में विधेयक व्यापक नहीं है। इस विधेयक में बहुत सी धाराओं को सम्मिलित नहीं किया गया है। यदि यह इसी रूप में परिचालित किया जाता है तो यह अपूर्ण रहेगा। क्योंकि जूरी-सदस्यों तथा असेसरों के सम्बन्ध में बहुत सी धाराएं हैं और उनका इस में लेशमात्र भी कथन नहीं है। अतः मैं नहीं जानता कि . . . . . .

डा० काटजू : हम इस अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर मत जानना चाहते हैं कि आप जूरी-प्रणाली रखना चाहेंगे या नहीं।

सभापति महोदय : अन्य धारायें बाद में रखी जा सकती हैं।

श्री एन० सोमना : यदि प्रसंग मुख्यतः इस प्रश्न का है कि जूरी प्रणाली रहे या नहीं, तो निश्चय ही इस विषय पर मत लिया जा सकता है। तत्पश्चात् यदि आवश्यक हो तो,

विधेयक पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर भी मेरा निवेदन यह है कि इसके पूर्व कि हम इसे अन्तिम रूप में स्वीकार करें, जनता का मत, मुख्यतः सत्र न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का मत लेना श्रेयस्कर होगा। अतः मैं विधेयक का परिचालन करने तथा जनता का मत जानने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री आल्तेकर : (उत्तर सतारा) : मैं परिचालन के संकल्प का समर्थन करने के लिये खड़ा हूं। इंगलिस्तान में पड़ोसियों द्वारा परीक्षण से जूरी प्रणाली का विकास हुआ। प्रारम्भ में राजा तथा लोक सभा के बीच न्यायाधीशों के अधिकारों के सम्बन्ध में वहां संघर्ष होता रहा किन्तु अब न्याय-पालिका पर राजा तथा सत्तारूढ दल का कोई प्रभाव नहीं रहने के बाद वहां भी जूरी प्रणाली के समर्थकों की संख्या कम हो गई है।

डा० काटजू: मुझे इस बारे में संदेह है।

श्री आल्तेकर : जहां तक व्यवहार विषयक वादों के परीक्षण का संबंध है, कई बार वहां जूरी प्रणाली को अंगीकार नहीं किया जाता है।

डा० काटजू : मानहानि, बदनामी आदि जैसे व्यक्तिगत क्षति के सारे मामलों में इंगलिस्तान की जनता को जूरी द्वारा परीक्षण का बहुमूल्य अधिकार प्राप्त है।

श्री आल्तेकर : इस में कोई संदेह नहीं कि यह अधिकार बहुमूल्य है। किन्तु गत कुछ एक वर्षों में जूरी द्वारा परीक्षण इतना प्रचलित नहीं है जितना कि पहले था।

डा० काटजू : दाण्डिक वादों के बारे में क्या वस्तु स्थिति है ?

श्री आल्तेकर : दाण्डिक वादों में तो जूरी द्वारा परीक्षण होता है।

डा० काटजू : प्रत्येक मामले में।

श्री आल्तेकर : इंगलिस्तान में इसको बहुमूल्य माना जाता है किन्तु अमरीकी लोक मत इस के विरुद्ध है। भारत में इस प्रणाली को अंग्रेज़ों ने लाया। किन्तु यहां भी इस के बारे में दो मत रहे।

हमारे यहां असेसरों तथा जूरी द्वारा परीक्षण की प्रणाली प्राचीन काल से चली आती है। ब्रिटिश सरकार ने भी बाद में इसी प्रणाली को अपना तथा ग्राम पंचायतों की स्थापना तक यह प्रणाली प्रचलित रही। अब प्रश्न यह है कि इसे किस सीमा तक तथा किस प्रकार से जारी रखा जाय। प्रश्न यह है कि हमारे गणराज्य में स्वतन्त्र न्यायपालिका की व्यवस्था के अन्तर्गत जूरी प्रणाली का जारी रखना आवश्यक भी है ? इस पर विचारनीय बात यह है कि भारत में यह प्रणाली सर्वत्र प्रचलित नहीं है। यह केवल कहीं कहीं है। हमें चाहिये कि सभी विधि सन्थाओं, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा सभी सत्र न्यायालयों से इस प्रणाली के काम करने के विषय में मत लिया जाय। एक आम शिकायत न्यायाधीशों की अनिभिज्ञता के बारे में सुनी जाती है। इस विचार से हमें यह देखना है कि क्या इस प्रणाली को जारी रखा जाये। ऐसे महत्वपूर्ण मामले में उच्चतम न्यायाधीशों तथा विख्यात वकीलों का मत लिया जाय तथा देखा जाय कि क्या इस में किसी परिवर्तन की आवश्यकता है तथा यदि है तो किस सीमा तक।

अतएव मेरा निवेदन है कि इस विधयक को लोक-मत जानने के लिए परिचालित किया जाय। इन सब पर भली प्रकार से विचार के बाद ही किसी निश्कर्ष पर पहुंचना चाहिये। यह स्पष्ट है कि जूरी प्रणाली अब पुरानी हो चुकी है तथा अब यह देश की परिवर्तित परिस्थिति के अनुकूल तथा उपयुक्त

[श्री आल्तेकर]

नहीं रही । अतएव में इस विधेक को लोक मत जानने के विचार से परिचालित करने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं श्री मोरे के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मेरी प्रार्थना है कि व्यवहार तथा दण्डविधि के मामलों में असामान्य विलम्ब को तथा शोचनीय परिस्थिति को दूर करने के लिये एक आयोग की स्थापना की जाय ।

मुझे एक मामले का स्मरण है जिसमें ३९ अभियुक्तों को दण्ड दिया गया था। उनके विरुद्ध चार वर्ष तक मामला चलता रहा था तथा एक व्यक्ति सत्र न्यायालय द्वारा मुक्त किये जाने पर भी कारावास से न्यायालय में केवल इस लिये आता रहा कि वह जमानत नहीं दे सकता था ।

डा० काटजू : अपीलार्थियों को तो शिकायत नहीं करना चाहिय । उन्हें परीक्षण में दाखिल होना ही था । सभी अपराधी नाना-प्रकार के प्रश्न उठा कर छूटना चाहते हैं तथा फिर शिकायत करते हैं कि उन्हें पुनर्परीक्षण का आदेश दिया गया है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : पुनर्परीक्षण का आदेश नहीं दिया गया था । उच्च न्याया-लय ने सभी को बरी कर दिया था तथा मुझे खेद है कि इस में उच्च न्यायालय को , जिससे डा० काटजू का सम्बन्ध रहा है, पांच वर्ष लग गए । मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की स्थिति को सुधारने के लिये कुछ किया जाना चाहिये । यदि डा० काटजू इस सम्बन्ध में कुछ करें तो सदन के सभी दल उनका समर्थन करेंगे ।

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि गृह-कार्य मंत्रालय इस बारे में कार्य-वाही कर रहा है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : हम इस बारे में अपना पूरा सहयोग देकर बहुत प्रसन्न होंगे । प्रत्येक उच्च न्यायालय में काम का बकाया बढ़ता जा रहा है ।

इस विधेयक के बारे में लगभग सारे देश में यही मत पाया जाता है कि असेसरों द्वारा परीक्षण की प्रणाली सफल नहीं हुई है । समय आन पहुंचा है कि इसे समाप्त कर दिया जाय ।

जूरी द्वारा परीक्षण में मेरा मत यह है कि यह प्रणाली पूर्णतः असफल रही है । आज स्वतन्त्र भारत में भी आप को बहुत थोड़े लोग ऐसे मिल सकते हैं जो न्याय को ईमानदारी से चलाने तथा ईमानदारी का निर्णय देने में समर्थ हों । वास्तव में जूरी प्रणाली से स्वतन्त्रता के विकास तथा उन्नति में बहुत सहायता मिली है । ब्रिटिश न्याय-व्यवस्था का जूरी प्रणाली एक महत्वपूर्ण अंग है । इंग्लैंड में मामलों का परीक्षण अभी तक जूरी की सहायता से किया जाता है ।

न्याय की सब से बड़ी गारंटी क्या है ? यह जूरी द्वारा परीक्षण की प्रणाली है ।

आप जानते हैं कि इंगलैंड में मानव की स्वतन्त्रता की रक्षा करने में जूरी प्रणाली ने कितनी सहायता दी है । आप यह नहीं कह सकते कि भारत में सब जूरर्स भ्रष्ट होते हैं और उन को जाति आदि के नाम में प्रभावित किया जा सकता है । जूरी प्रणाली की निन्दा करना उचित नहीं । कुछ स्थानों पर जूरी प्रणाली का उचित प्रयोग नहीं किया गया । इन स्थानों पर वकीलों से सलाह लेनी चाहिये और उच्च न्यायालयों को यह कहने का अधिकार होना चाहिये कि क्या किया जाये ।

भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों के भिन्न भिन्न विचार होंगे किन्तु मैं समझता हूं कि भारत से अधिकतर न्यायाधीश और विधि जीवी संस्थायें इस विधेयक का समर्थन नहीं करेंगी। ये जूरी प्रणाली को जारी रखने के पक्ष में हैं। हमारे न्याय प्रशासन में कई त्रुटियां हैं किन्तु यदि आप ने जूरी प्रणाली को बन्द करने का निर्णय किया तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। मेरे विचार में यह कहना ठीक नहीं कि यह प्रणाली असफल सिद्ध हुई है। इससे बहुत लाभ हुआ है। जहां भी यह सफल सिद्ध हुई है इसे वहां जारी रखना चाहिये।

एक और बात यह है कि दिल्ली और कलकत्ता जैसे बड़े बड़े नगरों में न्यायापालिका का संतोषजनक रूप से काम करना असम्भव है क्योंकि न्यायालयों के कमरे बहुत छोटे हैं और न्यायाधीशों के लिये उचित स्थान नहीं है। यदि आप न्याय प्रशासन में सुधार करना चाहते हैं तो आप को अधीन न्यायपालिका को अच्छा वेतन देना होगा और उस को सेवा की शर्तों में सुधार करना होगा। इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये।

डा० काटजू : सरकार परिचालन के प्रस्ताव से सहमत है। परन्तु चूंकि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण हैं और कुछ माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में मेरा नाम भी लिया है इस लिये मैं अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहूंगा। पुराने ज़माने में जो विदेशी यात्री यहां आया करते थे वे सब कहते थे कि भारतीय सच बोलने के लिये प्रसिद्ध हैं। वे कहते थे कि भारतीय कभी झूठ नहीं बोलते। परन्तु आज स्थिति कया है ? प्रत्येक न्यायालय वह चाहे दीवानी हो या फ़ौजदारी—कूट साक्षियों का घर बन चुका है।

श्री एस० एस० मोरे : क्या मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिला सकता हूं कि उन दिनों जब न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग करने के सुधार पर चर्चा हो रही थी एक प्रख्यात ब्रिटिश वकील ने कहा था कि भारत में किसी अपराध के लिये किसी धनवान् व्यक्ति को दण्ड दिलाना कठिन है क्योंकि ऐसे साक्षी उपलब्ध नहीं हो सकते जो कि सच बोलें।

डा० काटजू : मैं एक हज़ार वर्ष पहले के यात्रियों की बात कर रहा हूं। मैं ब्रिटिश लोगों का उल्लेख नहीं कर रहा। आज मुझे जिस चीज़ से पीड़ा होती है वह यह है कि न्याय प्रशासन में—दीवानी तथा फ़ौजदारी दोनों ही में सामाजिक विवेक को जाग्रत करने की अत्यधिक आवश्यकता है ताकि कम से कम गवाह तो झूठ न बोलें। मैं क़ानून न जानने वाले सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आप लोग नहीं जानते कि जिस कठिनाई का सामना हम और विशेष रूप से न्यायाधीश करते हैं—वह यह है कि समस्त अभिलेख असत्य से भरा पड़ा है। यह जूरी असेसर अथवा किसी अन्य प्रकार की प्रथा का प्रश्न नहीं है। अभियुक्त को निर्दोष ठहरा दिया जाता है। मुझे बताया गया कि पंजाब में हत्या के ९५ प्रतिशत अभियोगों में अभियुक्त बरी किये गये हैं। मैं ने अभी हाल में ही सुना है कि एक व्यक्ति पर हत्या का अभियोग चलाया गया और उसे निर्दोष बता कर मुक्त कर दिया गया; मैं यह भूल गया हूं कि उसे सत्र न्यायाधीश ने बरी किया था अथवा वह उच्च-न्यायालय में अपील के आधार पर बरी किया गया था। विमुक्त किये व्यक्ति का एक सम्बन्धी उसकी विमुक्ति के कुछ दिनों के भीतर ही मृतक के परिवार के एक सदस्य द्वारा मार दिया गया, पुलिस ने उन पर अभियोग चलाया और हत्या का उद्देश्य यह बताया गया था कि उस मनुष्य की विमुक्ति ग़लत थी। मनुष्य प्रतिहिंसात्मकता से भरे थे और उन्होंने उसकी हत्या करके

[डा० काटजू]

बदला ले लिया । क्या आप इस बात का विश्वास करेंगे कि उस उद्देश्य को सिद्ध करने के लिये पुलिस ने उस व्यक्ति को जो कि पिछले अभियोग में मुक्त किया गया था वादी पक्ष के गवाह के रूप में उपस्थित किया ? वह व्यक्ति आया और शपथ लेकर कहा कि "मेरे विरुद्ध लगाया गया आरोप बिल्कुल ठीक था, मैं ने उस व्यक्ति को गोली से मारा था आदि आदि" ... और अपनी बात के पक्ष में अपने एक दो सम्बन्धियों को भी प्रस्तुत कर दिया । वह मनुष्य अपराधी था किन्तु उसने यह बयान दिया । उसका कुछ नहीं हुआ क्योंकि साधारण सिद्धान्त है कि एक व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिये दो बार से अधिक अभियोग नहीं चलाया जा सकता । पहले मामले में पता नहीं कि उसने क्या किया होगा ; उसने अपने आपको अन्यत्र सिद्ध करने का प्रयत्न किया होगा अथवा अपने बचाव के लिये और कुछ कह दिया होगा, वह मुक्त कर दिया गया । पंजाब में इस प्रकार का कार्य बार बार हो रहा है । बारी बारी से हत्या की जाती है । जनता इसे सहन नहीं कर सकती । यदि न्याय ठीक रूप से नहीं होता है तो लोग स्वयं हत्या कर डालते हैं ।

हमारे न्याय प्रशासन का ढंग ऐसा होना चाहिये कि यह बुराई बन्द हो जाये । यह किस प्रकार होगा ? जनता के सामाजिक विवेक को जागृत करके और न्याय के प्रशासन में इसका अधिक सम्पर्क बढ़ाकर किया जा सकता है । ब्रिटिश सत्ता के समय से चली आई एक बुरी बात मैं यह देख रहा हूं कि भारतवासी न्यायालयों को अपना नहीं मानते ।

संसद् को वे अपना मानते हैं प्रान्तीय विधान-मण्डलों को अपना मानते हैं । इस बात को मानते हैं कि वे मंत्रियों को बना और हटा सकते हैं और कहते हैं कि मंत्री उनके सेवक हैं । किन्तु वे कहते हैं कि न्यायालय उनके नहीं हैं अतएव लोग वहां जाकर झूठ बोल सकते हैं । और इस प्रकार की कहावत भी प्रचलित है कि "अरे यह अदालत थोड़े ही है सच्ची बात बता दो ।" अतएव प्रश्न यह है कि न्याय के प्रशासन में जनता का विवेक और विश्वास उत्पन्न किया जाय ।

न्याय प्रशासन में आस्था न होना ब्रिटिश शासन की बुरी देनों में से एक देन है । यह मानी हुई बात थी कि न्यायालय विदेशी प्रशासन द्वारा चलाये जाते थे । किन्तु हमने आज क्या किया है ? आप साधारण सामान्य ग्रामीण एवं सामान्य स्त्री तथा पुरुषों को सार्वजनिक क्षेत्र में ; विधान बनाने में प्रशासन कार्य करने में ले आये हैं । किन्तु आप कहते हैं कि मुक़दमे के मामले में साधारण व्यक्ति का विश्वास न किया जाय । मैं जानता हूं कि राय क्या हो सकती है, वकीलों की राय भी मैं जानता हूं । किन्तु इसे इस प्रकार देखना होगा कि हम जनता से ऐसा सम्पर्क बढ़ायें कि वह इस बात का अनुभव करने लगे कि यदि एक व्यक्ति अन्याय के आधार पर मुक्त हो गया है तो यह उन का दोष है ।

ग्राम पंचायतों के प्रशासन में भी मेरा कुछ हाथ रहा है । मैं ने एक विधि का मसौदा तैयार किया था और उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का कार्य किया है । मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले ९ महीनों में २०० रुपये तक के छोटे छोटे मामलों में एवं छोटे छोटे फ़ौजदारी के अभियोगों में गावों की इन पंचायतों ने २ लाख ४० हज़ार मामले निपटा दिये हैं । और ९८ प्रतिशत मामलों में निर्णय को मान लिया गया है । वास्तव में देखा जाय तो अभियोगों के ९४ प्रतिशत

मामलों में तो अपील ही नहीं की गई । साधारण से पुनरीक्षण का उपबन्ध किया गया है ।

पंडित के० सी० शर्मा (ज़िला मेरठ—दक्षिण) : अपील करने का कोई उपबन्ध नहीं है ।

डा० काटजू: ९४ प्रतिशत मामलों में निर्णयों को स्वीकार कर लिया गया है । और शेष ६ प्रतिशत मामलों में साधारण पुनरीक्षण हुआ है । और पुनरीक्षण को जानबूझ कर काफ़ी विस्तृत बनाया गया है । धाराओं में कहा गया है कि आप पुनरीक्षण कार्यालयों को डिवीज़नल मजिस्ट्रेट अथवा अधीनस्थ न्यायाधीश अथवा सिविल जज के यहां आवेदन कर सकते हैं । और यदि न्यायाधीश का समाधान हो जाये कि अनियमिता और अन्याय हुआ है, तो उसके स्थान पर वह अपनी डिग्री नहीं कर सकता । वह उस मामले को दूसरी पंचायतों को भेज सकता है क्योंकि हम यह नहीं चाहते कि पंचायतों पर से उत्तरदायित्व नहीं हटाना चाहिए । इन ६ प्रतिशत पुनरीक्षण के मामलों में से ४ प्रतिशत पुनरीक्षण के मामले असफल रहे । केवल २ प्रतिशत मामलों में न्यायालयों ने उन्हें वापिस लौटाया ।

ज़रा सोचिये तो इन मुक़दमों में उत्तर प्रदेश के ग्रामीणों को कितना अधिक लाभ हुआ है । यदि ये मुक़दमें वकीलों और न्यायालयों के पास गये होते तो प्रत्येक मामले में मुख्तारों, वकीलों आदि को करने और गवाहों को बुलाने में कम से कम १०० रुपये व्यय हुये होते । इन सब २४०,००० मुक़दमों में गांव वालों के कुल मिला कर लगभग ३ करोड़ रुपये व्यय हो जाते । उनका इतना धन बच गया ।

तो मैं कहना यह चाहता हूं कि आप को जनता के सम्पर्क में आना चाहिये । आप को लोगों में यह विश्वास पैदा करना चाहिये कि यह उनका न्यायालय है । जब हमने पंचायतें स्थापित कीं तब मैं देहातों में जाता था । मैं ने उन लोगों से कहा 'यदि आप समझते हैं कि अन्याय हुआ है तो आप मेरे पास मत आइये, जिन पंचों ने अन्याय किया हो उन्हीं को जाकर जूतों से मारिये ।' उत्तर प्रदेश में 'पंच परमेश्वर' कहा जाता है । पंच ईश्वर होते हैं । यह एक प्रक्रिया है । गांवों में अति महान् विश्वसनीय एवं स्वतन्त्र विचारों वाले तथा प्रभावशाली व्यक्ति साधारण मामलों में बहुत न्याय करते हैं और उस मामले को वे निबटा देते हैं । वे गांव में किसी पीपल के पेड़ के नीचे जमा होते हैं । सारी कार्यवाही सारे गांव की उपस्थिति में होती है और वहां पर लोग झूठ नहीं बोल सकते, झूठ बोलने का उन्हें साहस ही नहीं हो सकता । न्यायालयों में वे इसलिये झूठ बोलते हैं क्योंकि वे गांवों से काफ़ी दूर चले आते हैं । वे दिल्ली आते हैं और पूरी आज़ादी से झूठ बोलते हैं ।

एक बात और याद रखिये । मेरे मित्र श्री रामस्वामी ने बहुत से लोगों की रायों का हवाला दिया है, विशेषकर वकीलों और न्यायाधीशों की राय का, और कहा है कि भारतीय जूरी भ्रष्ट और विकारग्रस्त है । मैं ऐसा नहीं समझता । ईश्वर की कृपा से हमारी न्यायपालिका उच्चतम श्रेणी की है और उसमें स्वतन्त्र विचारों वाले निर्भीक तथा ईमानदार व्यक्ति हैं ? आप को मालूम है उत्तर प्रदेश में क्या होता है ? मेरे पास कुछ आंकड़े हैं । उन १०० व्यक्तियों में से, जिन्हें सत्र न्यायाधीश ने मृत्यु दण्ड दिया था और जिन्होंने उच्च न्यायालय में अपीलें की थीं, लगभग एक तिहाई मुक्त कर दिये गये थे । एक तिहाई लोगों के दण्ड परिवर्तित करके या तो विपर्यस्त कर दिये गये थे अथवा घटा दिये गये थे । शेष एक तिहाई लोगों की

[डा० काटजू]

अपीलें अस्वीकार कर दी गई थीं । किसी ने यह नहीं कहा कि ३३ प्रतिशत विमुक्ति के मामलों में या तो न्यायाधीश ने बेईमानी की है या उनके सम्बन्ध में उसने कुछ भी नहीं किया था । लोग कहते हैं "मत भिन्न भिन्न हो सकते हैं ।" न्यायाधीश ग़लती कर सकता है, उच्च न्यायालय ग़लती कर सकता है । ७५ प्रतिशत मामलों में न्यायाधीश साक्ष्य से इतना असन्तुष्ट होता है कि वह अभियुक्त को छोड़ देता है । ऐसे मामलों में कोई यह नहीं कहता है कि अभियुक्त की वह विमुक्ति भ्रष्टाचार, जातीयता अथवा प्रांतीयता के कारण हुई है । परन्तु ऐसे मामलों में यदि जूरी ने अभियुक्तों को छोड़ दिया होता, तो प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा कि जूरी विकार ग्रस्त है, किसी ने उसको रिश्वत दे दी थी अथवा जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने कहा कि अभी वह कुछ निर्णय देती है, पर कल वह कुछ और निर्णय देती ।

हमें इस प्रकार सोचने की आदत पड़ गई है । मैं तो यह कहता हूं कि हमने जूरी को उचित अवसर नहीं दिया । मैं तो और भी आगे जाने को तैयार हूं । जूरी को ग़लतियां करने दीजिये किन्तु यदि लोग यह समझें कि वे न्याय कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि थोड़े ही समय में स्थिति ठीक हो जायेगी । आजकल हम लोग अत्यन्त अस्वाभाविक परिस्थितियों में रह रहे हैं । मैं अपनी जानकारी के आधार पर ऐसा कह रहा हूं । इस क्षेत्र में मैं ने चालीस वर्ष काम किया है ।

प्रत्येक व्यक्ति की यह शिक़ायत है कि प्रक्रिया बहुत पेचीदा है, साक्ष्य में त्रुटियां हैं आदि । अब देखिये होता क्या है ? बेचारा न्यायाधीश एक मुक़दमे को सुनता है । उसको एक निर्णय देना है । अपने निर्णय के कारण भी उसको देने हैं । व कारण उच्चतर न्यायालय के सामने जाते हैं और वहां पर योग्य वकीलों की सहायता से उस निर्णय की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं : यह निर्णय ग़लत है, इसमें यह प्रविधिक त्रुटि है ..... आदि । लोग यह नहीं समझते कि यह एक बहुत अच्छा नियम है कि मध्यस्थ के समान ही जूरी से भी अपने निर्णय के कारण बताने को नहीं कहा जाता । जूरी या तो यह कहते हैं कि अभियुक्त अपराधी है अथवा निर्दोष है । वे पक्षों के कथन को सुनते हैं और अपना निर्णय दे देते हैं । एक बार आप ईश्वर के भय का वातावरण पैदा कर दीजिये—यह कि न्याय न करना समाज विरोधी कार्य है, और हम न्याय व्यवस्था को सुधार देंगे । अन्यथा वह न्याय व्यवस्था किस काम की है जिसमें ७५ प्रतिशत चलाये गये मुक़दमों में अभियुक्त छूट जाता है ? या तो आपकी पुलिस की जांच पड़ताल सर्वथा बेईमानी से भरी हुई और अयोग्य है, अथवा यदि पुलिस की जांच पड़ताल ठीक है, तो अपराधी व्यक्ति बच जाता है । याद रखिये मैं ने इस सिद्धान्त में कभी भी विश्वास नहीं किया है कि चाहे नौ अपराधी व्यक्ति छट जायें परन्तु एक निर्दोष व्यक्ति को दण्ड नहीं मिलना चाहिये । यह मैं मानता हूं कि निर्दोश व्यक्ति को दण्ड नहीं मिलना चाहिये परन्तु आज एक भी दोषी व्यक्ति का अनुचित रूप से छूट जाना ऐसी चीज़ है जिसकी निन्दा की जानी चाहिये और हम ऐसी दशा को नहीं रखना चाहते ।

हत्या के मुक़दमों में, वकीलों का साधारण अनुभव यह है कि इनमें से अधिकांश मुक़दमे सच्चे होते हैं किन्तु अपराधी व्यक्ति प्रविधिक त्रुटियों आदि के कारण छूट जाते हैं । जूरी के सम्बन्ध में लोग बहुत सी बातें कहते हैं किन्तु प्रतिवादी पक्ष के सम्बन्ध में कोई कुछ नहीं कहता है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी (ज़िला हमीरपुर): इसको सुधारने के लिये आप क्या कर रहे हैं ?

डा० काटजू : मैं आपको बताने जा रहा हूं । मेरे माननीय मित्र ने मुझ से यह प्रश्न पूछा है । यहां फ़ाइल है...

श्री बी० एस० मूर्त्ति (एलूरु) : वह क्या है ?

डा० काटजू : सरकार यह आशा करती है कि वह सदन के शरत्कालीन सत्र में, न कि शीतकालीन सत्र में, लगभग १५ नवम्बर को, न्याय-प्रशासन के सम्पूर्ण क्षेत्र से सम्बन्धित ठोस प्रस्ताव सदन के सामने रख सकेगी । मैं अपने मित्र श्री चटर्जी द्वारा दिये गये इस आश्वासन का स्वागत करता हूं कि इस कार्य में वह मुझे अपना सहयोग प्रदान करेंगे । जहां तक इस विषय का सम्बन्ध है, यह किसी दल का मामला नहीं है । सभी दल वाले चाहते हैं कि न्याय का प्रशासन पवित्र हो ।

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने यह संकल्प पारित किया है कि भारत में न्याय-प्रशासन महंगा, विलम्बकारी तथा पेचीदा है । यही तीन मुख्य शीर्षक हैं । और मैं आशा करता हूं कि सदन के सामने इन तीन बुराइयों को दूर करने के उद्देश्य से न्याय के दीवानी और फ़ौजदारी प्रशासन से सम्बन्धित प्रस्ताव रखे जायेंगे । तब मैं यहां पर आकर आपसे अधिक से अधिक सहयोग देने के लिये कहूंगा । और मैं आशा करता हूं कि पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, क्योंकि उस मामले में किसी प्रकार की दलीय भावना का कोई प्रश्न नहीं होगा, और यह कि हम संविधि-पुस्तक में आवश्यक रूप भेद आदि ला सकेंगे ताकि हमारा न्यायप्रशासन वित्तीय वर्ष के अन्त तक अत्यन्त सुव्यवस्थित हो सके । यह करने को मैं तैयार हूं । इस सम्बन्ध में हम काफ़ी मेहनत से काम करते रहे हैं । ये सब चीज़ें सामने आयेंगी ।

परन्तु हो सकता है यह विधेयक जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाये । मैं केवल इतना ही अनुरोध करूंगा कि जब यह विधेयक प्रसारित किया जाये, तो उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायाधीश, अनेक प्रान्तों के वकील-संघ, वकील गण तथा प्रत्येक नागरिक इन बातों का ध्यान रखेंगे । इसी लिये मैं ने इस विधेयक का स्वागत किया है ।

यहां पर पूर्व धारणा का कोई प्रश्न नहीं है । मैं कहता हूं कि ९५ प्रतिशत मामलों में जूरी पर भ्रष्टाचार, रिश्वत, जातीयता की भावना आदि का दोषारोपण सर्वथा असत्य है । जूरी के प्रति आप अकृपालु न होइये । प्रशासन की व्यवस्था में आप सुधार कर सकते हैं । यदि आप मुझ से पूछें तो मैं तो यह कहूंगा कि प्रेसीडेंसी नगरों के बाहर सब से बड़ा दोष यह है कि न्यायाधीश जूरियों से व्यवहार करना नहीं जानते । चूंकि वे इसके आदी नहीं है, अतः वे नहीं जानते । यह बात मैं अपने उत्तर प्रदेश तथा अन्य प्रान्तों के अनुभव से कह रहा हूं । उत्तर प्रदेश के छै ज़िलों में जूरी प्रथा चालू है । वहां कानपुर, इलाहाबाद जैसे बड़े बड़े नगर हैं । लेकिन, यूं कह लीजिये कि, अलीगढ़ अथवा बरेली में एक ऐसा न्यायाधीश है जिसका वास्ता कभी किसी जूरी से नहीं पड़ा, जो यह नहीं जानता कि मुक़दमे को जूरी के सामने किस प्रकार रखा जाये, जूरी का पथ प्रदर्शन किस प्रकार किया जाये, जूरी को निर्देश किस प्रकार दिया जाये । वह बदल कर इलाहाबाद जाता है और उसके सामने जूरी आता है । यहीं पर मानव सम्बन्ध का प्रश्न उठता है ।

आप अंग्रेज़ न्यायाधीशों द्वारा जूरी को दिये गये निर्देश पढ़िये तो आप को ज्ञात

[डा० काटजू]

होगा कि किस चतुरता से वे उनसे व्यवहार करते हैं और उनका पथ निर्देश करते हैं। प्रत्येक क्षण पर वे कहते हैं : तथ्यों के निर्णायक आप हैं, परन्तु मैं भी एक अनुभवी व्यक्ति हूं, मुझको जूरी का तेरहवां व्यक्ति समझिये, आदि। वे ऐसा वातावरण उत्पन्न कर देते हैं।

जूरी के चुनाव, बाहरी दबाव से बचाने के लिये उन्हें अलग रखने आदि के सम्बन्ध में इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। यह सब करना पड़ेगा।

पूर्ण रूप से साक्ष्य पर आधारित मामले में अपील को मैं घृणा की दृष्टि से देखता हूं। अपीलीय न्यायाधीशों को 'मृत अभिलेख' के आधार पर चलना पड़ता है। वे गवाहों को तथा उनके व्यवहार को नहीं देख पाते हैं। गवाह का व्यवहार काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उसको लिखित रूप में नहीं देखा जा सकता।

श्रीमान्, मैं सदन का और अधिक समय नहीं लूंगा। विधेयक को प्रसारित करने के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। और मैं पहले ही से, सदन के सामने रखे जाने वाले प्रस्तावों पर विचार करने में सभी पक्षों को सहयोग देने के लिये अनुरोध कर रहा हूं। ये प्रस्ताव न्याय प्रशासन के सम्पूर्ण क्षेत्र से सम्बन्धित होंगे और वे निश्चित रूप से शरत्कालीन सत्र में सदन के सामने रखे जायेंगे।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या हम प्रस्तुत विधेयक पर माननीय विधि मंत्री के भी विचार जान सकते हैं ?

श्री विस्बास : मैं नहीं समझता कि मेरे माननीय मित्र विधि मंत्री के विचार जानने के लिये क्यों उत्सुक हैं। गृह मंत्री ने सरकार की ओर से कहा है और जो विचार उन्होंने प्रकट किये हैं विधि मंत्री उनसे सहमत हैं। हम दोनों मिलकर कुछ ऐसा मार्ग ढूंढ निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं जिससे वर्तमान प्रशासन प्रणाली में सुधार हो सकेगा, उसमें शीघ्रता आ जायेगी और वह सस्ता सरल हो जायगा। इसमें कोई सन्देह नहीं है। जहां तक जूरी प्रणाली का सम्बन्ध है वह वृहत्तर प्रणाली ही का एक हिस्सा होगी। इसमें भी सन्देह की कोई बात नहीं है।

वर्तमान विधेयक, जिसे प्रचारित किये जाने का प्रस्ताव है, जूरी प्रणाली के प्रश्न तक ही सीमित है। जूरी प्रणाली का भूत काल में विस्तृत इतिहास रहा है। हमें मालूम है कि इगलैंड में क्योंकर इसका उद्भव हुआ। हम यह भी जानते हैं कि किस तरह यह प्रत्येक अंग्रेज का जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता है। यह भी हमें ज्ञात है कि विगत इतने वर्षों से यह किस तरह कार्य कर रहा है। यह कहना सर्वथा असत्य होगा कि जूरी प्रणाली का परीक्षण किया गया है और वह इस देश में अनुपयुक्त सिद्ध हुआ है। यह बिल्कुल सच है कि इस प्रणाली को अपने वर्तमान रूप में अंग्रेज़ों से जारी किया गया है। किन्तु हमें केवल इसीलिये ही इसकी निन्दा नहीं करनी चाहिये कि यह अंग्रेजों से लिया गया है। हमें स्वयं ही प्रस्तुत प्रणाली की जांच कर यह मालूम करना चाहिये कि देश में अब तक व्याप्त परिस्थितियों में यह कहां तक उचित सिद्ध हुआ है। मैं किसी मानवीय संस्था के विषय में यह दावा नहीं करता कि वह अपूर्णताओं से मुक्त है। जरी प्रणाली इस देश में अधिकांश फ़ौजदारी मामलों के सम्बन्ध में ही काम में ली गई है। फ़ौजदारी मामलों के निर्णयों को दृष्टिगत करते हुये ही हमें इस सम्बन्ध में निर्णय करना चाहिये। मेरा अनुभव इस दिशा में

सीमित है । विधिजीवी और न्यायाधीश के कार्यकाल के मेरे थोड़े से अनुभव के आधार पर मैं यह कहने के लिये उद्यत नहीं हूं कि बंगाल में जूरी प्रणाली असफल रही है । मैं जानता हू कि कितने ही ज़िलों में ज़िला न्यायाधीशों ने यह शिकायत की थी कि जूरी सत्य से परांगमुख रहे हैं, वे भ्रष्टाचारी थे अतः उक्त सम्बन्धित जिले में जूरी प्रणाली समाप्त कर दी जानी चाहिये । विषय उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ और उस पर विचार किया गया । किन्तु उच्च न्यायालय को इस प्रणाली को समाप्त करने के पक्ष में निर्णय देने से संकोच हुआ । वस्तुतः कुछ ऐसे जिले हो सकते हैं कि जहां पर जूरी का काम करने वाले व्यक्ति बाहरी दबाव अथवा अन्य तथ्यों आदि से प्रभावित हो सकते हैं । जूरी के चुनाव में पूरी सावधानी से काम लेने की आवश्यकता है । साधारण जूरी हैं और विशेष जूरी भी हैं । ऐसे व्यक्तियों को चुनने का प्रयत्न किया जाता है जो समुचित शिक्षा प्राप्त हों और जिनको न्यायनिष्टता सर्व विदित हो और जो कि उसी प्रकार से अपने कर्तव्य का पालन करें जैसे कि उन्हें करना चाहिये । परन्तु ऐसे भी मामले हो सकते हैं जिन में आप के सत्प्रयत्नों के बावजूद भी आप सन्तोषप्रद जूरर न चुन सकें । क्यों कि कतिपय मामलों में कुछ जूररों ने अनुचित कार्य किये हैं अतः सारी प्रणाली की ही निन्दा करना और यह कहना कि सभी जूरर बेईमान होते हैं, ठीक नहीं है ।

श्री आर० के० चौधरी : श्रीमान्, सूचना के हेतु माननीय मंत्री से यह पूछ सकता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि जिन मामलों में जूरी के निर्णय को नहीं माना गया उस का कारण न्यायाधीश का गलत रास्ते पर जाना था, जूरी का उस में कोई दोष नहीं था ।

श्री बिस्वास : मैं सिधान्त रूप से कुछ नहीं कहूंगा, में इस विषय में सामान्य रूप से कुछ नहीं कहूंगा । निश्चय ही जिन आपराधिक मामलों को अपीलों में सफलता मिलती है उन में यह देखा जाता है कि वह गलत रास्ते पर जाने के कारण सफलता मिलती है ।

श्री आर० के० चौधरी : न्यायाधीश के ।

श्री बिस्वास : न्यायाधीश के । अतः मैं यह कह रहा था कि केवल इस कारण कि कतिपय मामलों में जूररों का निर्णय स्वीकार नहीं किया गया यह कहना गलत होगा कि वह निर्णय उल्टा ही होगा । न्यायाधीश भी तो गलत निर्णय कर सकता है । वास्तव में जो अपीलें सफल हो जाती हैं उन में यह देखा गया है कि न्यायाधीश ने जूरी को गलत विधि बतलाई । इसी प्रकार यह भी हो सकता है कि जूरर तथ्यों के सम्बन्ध में एक ऐसा दृष्टिकोण अपनायें जो दूसरे न्यायाधिकरण को ठीक न प्रतीत हो । किन्तु इस का अर्थ यह नहीं कि वे बेईमान या भ्रष्ट हैं और वे कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि उन्हे नहीं करना चाहिये था । सारा प्रश्न यह है । आप तथ्यों के बारे में किस से, अपना निर्णय करवाना चाहेंगे ? उन व्यक्तियों से जो आप को जानते हैं और जिन्हें आप जानते हैं, जिन के निर्णय में आप को विश्वास है या किसी ऐसे व्यक्ति से जो कि मामले के तथ्यों की अपेक्षा सम्भवतः कहीं अधिक अपने वैधानिक ज्ञान के आधार पर मामले का निर्णय करेगा । यदि किसी न्यायाधिकरण में ऐसे व्यक्ति हों जो विधि के सम्बन्ध में जूररों का मार्ग दर्शन करें और कुछ और व्यक्ति हों जो अन्तिम रूप से तथ्यों का निर्णय करें तो क्या आप को एक ऐसा न्यायाधिकरण नहीं मिल जाता जिस से अधिक से अधिक न्याय की आशा की जा सके ? यही जूरी

[श्री बिस्वास]

प्रणाली है। इस प्रश्न के दोनों पहलू हैं। मेरे हाथ में एक पुस्तक है। मेरे विचार में अधिकांश माननीय सदस्य इस से परिचित होंगे। मेरे माननीय मित्र श्री चटर्जी इसे अवश्य जानते होंगे। इसे स्वर्गीय सर मन्मथ नाथ मुकर्जी ने लिखा था जो कि बंगाल के एक बहुत बड़े आपराधिक मामलों के वकील थे। यह जानकारी का भंडार है।

श्री एस० वी० रामस्वामी : पुस्तक का नाम क्या है ?

श्री बिश्वास : "ट्रायल बाई जूरी एण्ड मिसडायरेक्शन"। इस में न केवल भारत में जूरियों द्वारा अभियोग चलाने की प्रणाली दी हुई है, अपितु अन्य देशों की भी दी हुई है। इसमें आप को अमेरिकन न्यायवेत्ताओं के, अंग्रेज़ न्यायवेत्ताओं के तथा अन्य देशों के न्यायवेत्ताओं के विस्तृत उद्धरण मिलेंगे और इसमें प्रश्न के दोनों पहलुओं पर निष्पक्ष रूप से विचार किया हुआ है। जिन माननीय सदस्यों को इस देश में जूरियों द्वारा अभियोग चलाने की प्रणाली के भविष्य में रुचि है उन सब से मैं इस पुस्तक को पढ़ने की सिफ़ारिश करूंगा। यह पुस्तक बहुत ही रचनात्मक और शिक्षाप्रद है।

अतः इस प्रणाली में गुण भी हैं और दोष भी हैं। हमें दोनों की तुलना करनी होगी और देश की वास्तविक सामाजिक अवस्था को ध्यान में रखते हुये इस प्रणाली की सफलता या असफलता का निर्णय करना होगा। आज जो चीज़ अच्छी है, कल वह ख़राब भी हो सकती है। जो चीज़ एक देश के लिये अच्छी हो सम्भव है वह दूसरे देश के लिये अच्छी न हो। अतः इन सब बातों को ध्यान में रख कर आप को इस का निर्णय करना होगा। जैसा कि मेरे माननीय सहयोगी ने कहा आप न्याय करने के लिये चाहे कोई भी प्रणाली निश्चित कर दें या कोई भी न्यायाधिकरण बना दें सब से अधिक आवश्यक बात तो यह है कि समाज की आत्मा को बहुत अधिक उन्नत बनाना चाहिये जिस से कि जो व्यक्ति साक्ष्य दे कर न्यायालयों और न्यायाधिकरणों की सहायता करें—चाहे वे न्यायाधिकरण एक न्यायाधीश के हों या न्यायाधीश और जूरी के हों—वे ऐसे व्यक्ति हों जिन पर आप पूरी तरह विश्वास कर सकें। मुझे इतना ही कहना है।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला बनारस-मध्य) : असेसरों के बारे में आप की क्या राय है ?

श्री बिस्वास : जहां तक असेसरों का सम्बन्ध है, असेसरों द्वारा अभियोग चलाने की प्रणाली कोई सन्तोषजनक नहीं रही है।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मैं परिचालित करने के प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं।

सभापति महोदय : मैं प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है कि :

"विधेयक पर सम्मति जानने के लिये इसे ३१ दिसम्बर, १९५३ तक परिचालित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अभी दस मिनट शेष हैं। हम अगले विधेयक को लेते हैं।

दहेज प्रतिरोध विधेयक

श्रीमती उमा नेहरू (ज़िला सीतापुर व जिला खेरी-पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

"विवाहों में दहेज लेने या देने की प्रथा को रोकने के विधेयक पर विचार किया जाय।"

जनाब चेयरमैन साहिब, आज एक मुद्दत के बाद ग़ालिबन दो साल के बाद और बहुत इन्तज़ार के बाद यह दहेज़ की प्रथा का बिल मैं आप के और हाउस के सामने पेश कर रही हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बिल को हाउस बख़ुशी मंज़ूर करेगा। स्त्री जाति में बराबर एक हलचल मची हुई है, उस का हृदय व्याकुल व परेशान है और उस की ख्वाहिश है कि वह समाज में ज़बर्दस्त परिवर्तन करे ताकि वह भी एक इंसान की नाई बसर कर सके। आजकल जो भी समाज में परिवर्तन हुए हैं वह संतोष-जनक नहीं हैं। क़ानून के हिसाब से स्त्री की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और जो हुए भी हैं वह निहायत सुपर-फ़िशियल हैं और नतीजा यह है कि आज के दिन भी स्त्री की बेसिक पोज़ीशन वैसी ही है जैसी कि श्री मनु के समय में थी। इस समय मैं नहीं चाहती कि मैं स्त्री समाज का इतिहास आप लोगों को सुनाऊँ। इतना ही कहना चाहती हूं कि स्त्री के भी हृदय और दिमाग़ है, और एक इंसान के नाते उस की भी ख्वाहिशें हैं और स्त्री चाहती है कि समाज में लोग उस को भी इंसान समझें। हमारी समाज ने स्त्री के साथ जो अन्याय किया है वह तक़लीफ़देह है। हमारे देश में सामाजिक उन्नति तब तक सम्भव नहीं है जब तक हम हर एक के साथ एकसा बर्ताव नहीं करते, समाज में कोई ऊंच नीच न हो, और कोई छोटे बड़े का भेद न रहे, उसी दशा में समाज उन्नति कर सकता है और वही समाज आदर्श समाज होता है। समाज की ऐसी दयनीय अवस्था देख कर हमने बहुत परिश्रम के बाद इस संसद के सामने हिन्दू कोड बिल रखा ताकि स्त्री के बन्धनों को तोड़ दें और स्त्री को फिर से आजाद करें।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी): श्रीमान् सूचना के हेतु में पूछना चाहता हूं कि.....

कुछ माननीय सदस्य: हिन्दी में बोलिय।

श्री आर० के० चौधरी: आप को मालूम होगा कि आज कल बहुत से नौजवान मुंह से तो यही बोलते हैं कि हम डाउरी नहीं लेंगे, लेकिन वक्त पर सब डाउरी ले लेते हैं, बल्कि डाउरी का बाबा ले लेते हैं, क्या आप को इस की ख़बर है?

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़): डाउरी का बाबा क्या होता है?

श्री आर० के० चौधरी: दस गुणा चीज़ लेता है।

श्री गाडगिल (पूना मध्य): क्या यह संसदोचित है?

(अन्तर्बाधायें)

सभापति महोदय: शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्या को बोलने दीजिये।

श्रीमती उमा नेहरू: जैसा आनरेबुल मेम्बर ने डाउरी के बारे में बतलाया, मैं उन से ज्यादा इस बारे में जानती हूं, जो नौजवान लड़के डाउरी लेते हैं, वह उनके जो वालिद होते हैं या बाबा कहिए या पिता कहिए, उन के कहने पर लेते हैं।

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी): जिन की शादी हो चुकी है वह ऐसा कह सकते हैं, जिन लड़कों की शादी नहीं हुई है उन को डाउरी ज़रूर मिलना चाहिए।

सभापति महोदय : आर्डर, आर्डर मैं जानना चाहता हूं कि क्या आनरेबुल मेम्बर और ज़्यादा वक्त इस के ऊपर लेंगी ?

श्रीमती उमा नेहरू : जी हां ।

सभापति महोदय : तो माननीय सदस्या कल अपना भाषण जारी रख सकती हैं ।

इस के पश्चात् सदन की बैठक मंगलवार, १ सितम्बर, १९५३ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।